खण्ड-309, अंक-5
सोमवार, 24 आषाढ़, शक संवत् 1896
(15 जुलाई, 1974 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 309 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७५

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १५ जुलाई, १९७४

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३७६

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरन यादव, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाशपति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगादेवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंगबहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जगदीश अवस्थी, श्री
जंगदीश मिश्र, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
धर्म चन्द मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसा अहमद अन्सारी, श्री
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू

प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाब सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी,श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनो राम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री

रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राधवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम अौतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवतीशरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)

शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत पाल मलिक, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री

नोट:---लघु उद्योग मन्त्री श्री इस्तफा हुसेन भी सदन में उपस्थित थे ।

---

## प्रश्नोत्तर

सोमवार, १५ जुलाई, १९७४

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### लेवी योजना के अन्तर्गत गेहूं देने वाले काश्तकारों को खाद एवं आवश्यक वस्तुओं की सुविधा

**१---श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

**क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार की लेवी योजना के अन्तर्गत जिन कृषकों ने दिनांक १ जून, १९७४ के पूर्व गेहूं दिया है उन्हें भी खाद, सीमेंट, तेल, कपड़ा आदि आवश्यक वस्तुयें दिलाने की व्यवस्था करेंगे ? क्या मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि दिनांक १ जून, १९७४ के पश्चात् गेहूं बेचने वालों को जो उपरोक्त आवश्यक वस्तुयें दी जा रही हैं वह जिले के निर्धारित कोटे से दी जा रही हैं ? अथवा उसके लिये अतिरिक्त कोटा निर्धारित किया गया है ?

**खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)---

**सीधी खरीद केन्द्रों पर रु० १०५ प्रति क्विंटल पर गेहूं न बेचने के कारण काश्तकारों को प्रोत्साहित करने हेतु तथा गेहूं की खरीदारी में प्रगति लाने के अभिप्राय से शासन ने १९-५-७४

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

को यह निर्णय लिया कि केवल उन काश्तकारों को जो सीधी खरीद केन्द्रों पर १०५ रु० प्रति कुंतल के भाव से गेहूं बेचेंगे उनको खाद व अन्य आवश्यक वस्तुओं की सुविधा दी जायगी। क्योंकि अन्य किसानों ने व्यापारियों को १०५ रु० से कहीं अधिक मूल्य पर गेहूं बेचा। इसलिये ऐसे किसानों को यह सुविधायें नहीं दी गयीं।

जो आवश्यक वस्तुयें गेहूं खरीद के सम्बन्ध में उपलब्ध करा दी गई हैं वह जिलों के लिये निर्धारित कोटे से ही दी जा रही हैं। कोई अतिरिक्त कोटा आवंटित नहीं किया गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

माननीय खाद्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि १०५ रु० प्रति कुंतल गेहूं के मूल्य को अलाभकर समझकर क्या कोई क्षतिपूर्ति किसानों को अतिरिक्त सुविधा के रूप में प्रदान कर रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

१०५ रु० तो केन्द्रीय सरकार ने कीमत तय किया इसमें अलाभकर का सवाल नहीं उठता है। इसको बहुत सोच विचार कर ही केन्द्रीय सरकार ने तय किया। हमने तो प्रोक्योरमेन्ट की दृष्टि से यह सुविधायें किसानों को दी हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कृषक १०५ रु० प्रति कुंटल पर गेहूं अपना दे रहा है सुना यह जा रहा है कि अभी खाद्य को डिलिंक्ड कर दिया है गेहूं के प्रोक्योरमेंट से, तो क्या जो कृषक १०५ रु० पर दे रहे हैं उनको वह सुविधा कब तक रहेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

डिलिंक्ड नहीं किया है। मैं उनको खाद की सुविधा देती रहूंगी।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जिन किसानों ने ज्यादा गल्ला दिया और उन्हें सीमेंट, खाद, कपड़ा आदि की जरूरत नहीं रही, तो उनको गेहूं के बदले यह सामान किस आधार पर और क्यों प्रदान किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

वह सामान किसानों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार ही लिये कोई जबरदस्ती तो किसानों के साथ की नहीं गई कि लो ही।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गेहूं के बदले में जो शुगर किसानों को दी थी, देहात का जो रेगुलर कोटा था वही उनको दी गई, वह तो उनको वैसे भी मिलता। तो क्या माननीय मंत्री जो उन्हीं की चीज उन्हीं को दूसरे तरीके से देकर इसको विशेष सुविधा कहती हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

विशेष सुविधा का सवाल इस रूप में आता है कि जितनी शुगर देहात में जाती थी उसमें जो प्रोक्योरमेन्ट के लिये गेहूं लिया गया किसानों से, उनको विशेष रूप से दिया गया जो देहाती क्षेत्र के लिये जितना कोटा आवंटित है। यह माननीय सदस्य का कहना एक प्रकार से ठीक है कि उन्हीं की उपलब्ध सामग्री को ही किसानों को दिया गया।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

**क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह ही है कि प्रदेश में किन्हीं जिलों में एक कुन्टल पर एक बोरी खाद दी गई और कहीं-कहीं दो कुन्टल पर एक बोरी खाद दी गई । यदि ऐसा है तो यह भेदभाव क्यों है कि कहीं पर एक कुंटल गेहूं पर एक बोरी खाद और कहीं पर दो कुंटल पर एक बोरी खाद दी गई ?**

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

**ऐसी सूचना शासन को नहीं है लेकिन माननीय सदस्य यदि लिखकर इस प्रकार की बात को दे देंगे तो मैं जांच करा लूंगी ।**

श्री राम सेवक यादव---

**बाराबंकी में २ कुंटल गेहूं पर एक कुंटल खाद दी गई है ।**

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

**क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से इन आवश्यक वस्तुओं को दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में उतना उपलब्ध नहीं कर रहा है, केन्द्रीय सरकार से जितनी उसकी आवश्यकता है और जितनी उसकी आबादी है ? तो फिर क्यों प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार से अतिरिक्त कोटा नहीं मांगा ?**

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

**प्रदेशीय सरकार तो हर मास भारत सरकार से कोटा मांगती है । अतिरिक्त भी मांगती है लेकिन जितना मिलता है, उतने से ही हम अपने यहां की व्यवस्था करते हैं ।**

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

**चीनी और मिट्टी का तेल जो मिलता था वह १ जून, १९७४ से बन्द कर दिया । उन्होंने यह भी कहा है कि ३० जून, १९७४ तक यह सुविधा देने लगेंगे । तो मैं माननीय खाद्य मंत्री जी जानना चाहूंगा कि जिस खाद्य को डिलिंक किया गया है, उसे कब से देना आरम्भ कर देंगे ?**

**(कोई उत्तर नहीं दिया गया )**

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

**ऐसे छोटे कृषक जिनकी जोत में उतना भी पैदा नहीं होता है कि वे अपनी आवश्यकता भर इस्तेमाल कर सकें, उनको आगे पैड़ी और ईख के लिये खाद दिलाने की माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था की है ?**

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

**सरकार की ओर से प्रयास है कि खरीफ की फसल अच्छी हो, इसलिये उन सब कृषकों के लिये जो ये फसलें पैदा करते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में खाद दी जायेगी ।**

## मुरादाबाद में गेहूं तथा आटे की कमी के फलस्वरूप कथित खाद्य दंगे

**२---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) ( अनुपस्थित ) तथा मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

**क्या खाद्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि मुरादाबाद नगर में आज कल गेहूं तथा आटा बाजार में बिल्कुल नहीं मिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जनता में भीषण उत्तेजना है क्या खाद्य दंगे भी प्रारम्भ हो रहे हैं ? यदि हां, तो नगर में गेहूं आपूर्ति से सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?**

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जून, १९७४ के द्वितीय पक्ष में मुरादाबाद की मंडी में गेहूं की आमद की कमी की सूचना मिली जिस पर शासन के आदेशानुसार निकटवर्ती क्षेत्र से जिला प्रशासन ने गेहूं की आमद में बढ़ोत्तरी की और उसको उचित मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराया। इसके अतिरिक्त मुरादाबाद जिला मुख्यालय को जुलाई, १९७४ के प्रथम पक्ष में सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरण हेतु गेहूं का आवंटन कर दिया गया है।

गेहूं की आमद में कमी के कारण कोई खाद्य दंगे नहीं हुए हैं। दो अन्य घटनाओं की सूचना शासन को मिली है जिनका विवरण निम्न प्रकार है —

दिनांक १-७-१९७४ को स्थानीय आटे की एक चक्की पर लगभग १४ बोरे निम्न श्रेणी का गल्ला आया। इस पर वहां उपस्थित भीड़ ने यह लांछन लगाया कि इसी गल्ले की गेहूं के साथ पीसकर आटे के रूप में बेचा जाता है। समय से पुलिस ने आकर घटना को संभाला और आटा मिल मालिक को गिरफ्तार किया।

दूसरी घटना दिनांक २-७-१९७४ को हुई जब एक बीज गोदाम से गेहूं ट्रक में भरा जा रहा था। जनता ने इसे बाजार में बिकवाने के मांग की और इसे न मानने पर भीड़ ने गोदाम के आंगन में घुसकर ७७ बोरे गेहूं के गायब कर दिये। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर तलाशी लेकर कुछ बोरे बरामद किये। मामले की जांच चल रही है। गोदाम से जो गेहूं भेजा जा रहा था उसके मालिक को नेशनल सीड्स कारपोरेशन आफ इंडिया को ४०० कुन्टल बीज देने का कान्ट्रैक्ट है।

श्री मोहन लाल कपूर—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रशासन को जो गेहूं उपलब्ध कराया है वह किस रूप में और कितना उपलब्ध कराया है, कितना आवंटित किया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जिस प्रकार पहले ३ किलो प्रति यूनिट गेहूं और चावल दिया जाता था उसी हिसाब से इस बार भी कराया गया है। अभी १५ दिन का उपलब्ध कराया गया है, १५ दिन का फिर कराया जायगा।

श्री मोहन लाल कपूर—

मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि बाहर से जो उपलब्ध कराया वह कितना और किस रूप में कराया, जो ओपिन मार्केट में उपलब्ध कराया गया और बिका वह कितना और किस रूप में था ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ओपिन मार्केट में भी गेहूं आ सके, जो वहां पर रोकथाम थी, उनमें थोड़ा रिलेक्सेशन किया गया है ताकि थोड़ी-थोड़ी मात्रा में आसपास से गेहूं आ सके।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

जैसा कि आपने फर्माया कि जिला मुरादाबाद के अन्दर एक ट्रक लूटा गया, इसकी वजह यह हो सकती है कि वहां पर आटा गेहूं वगैरह न मिलने के वजह से परेशानी है जिसने वहां के लोगों को इस बात पर मजबूर किया है कि वे ऐसे करें।

तो क्या वजह है कि जिला मुरादाबाद के अन्दर इतनी कमी है ? इस कमी को कब तक पूरा कर दिया जायगा और वहां पर कितनी कमी है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

शासन के पास जब इत्तला आयी तो उसका प्रबन्ध किया गया है और हमारी पूरी कोशिश है कि जनता को अनाज उपलब्ध हो ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करें कि जिन काश्तकारों से ४००क्विंटल सीड कारपोरेशन से तय हुआ तो वह कौन हैं जिनके यहां खेती हो रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह २-७-७४ को पौने दो बजे बी० एन० सिन्हा के गोदाम से बीज लेकर एक सौ क्विंटल ट्रक में भरा जा रहा था--यह जिलाधीश की रिपोर्ट है--और ७७ बोरा गेहूं भरा जा चुका था तो मोहल्ले के लोगों ने कहा, आस-पास के लोगों ने कि इसको यहीं बिकवा दो और सब लोग इकट्ठे हो गये और जितना गेहूं था वह ले लिया ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

इस बात को देखते हुए कि मुरादाबाद जैसी स्थिति और जिलों में न होने पाये सरकार ने वसूली भी कर ली है तो क्या अन्य जिलों में भी राशन की दूकानों पर गेहूं बेचने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न मुरादाबाद नगर के सम्बन्ध में था, आपने व्यापक बना दिया है ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

ऐसी स्थिति और जिलों में भी उत्पन्न हो सकती है, यह तो नीति विषयक सवाल है कि वहां सरप्लस गेहूं है.....

श्री अध्यक्ष--

मुरादाबाद नगर के बारे में ही आप इसे व्यापक करना चाहें तो करें ।

श्री अदल (जिला वाराणसी)--

सरकार ने आदेश दिया था कि ३० जून तक गल्ला न दिया जाय राशन की दूकानों पर और मुरादाबाद में १५-१५ दिन के लिए इकट्ठा दे दिया है, तो क्या उस आदेश को वापस ले लिया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

आदेश वापस लेने की बात नहीं थी । मैंने पिछले दिनों भी सदन में कहा था कि जिन जिलों की अभी सस्ती दूकानों पर गल्ला नहीं दिया जा रहा है उनको पूरा-पूरा देना आरम्भ कर देंगे और वह अवेलेबिलिटी हो मार्केट में, यह सब बतलाया था । तो सरकार का इरादा नहीं है कि गल्ला न दिया जाय, लेकिन जैसे-जैसे आवश्यक होगा वैसे गल्ले की दूकानों से बांटना शुरू कर देंगे ।

## दालों के मूल्य नियंत्रण की मांग

**३--श्री राम सुन्दर पान्डेय--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अरहर, चना, उर्द, मूंग, मटर आदि जो दालों की किस्में हैं उनकी बढ़ती हुई कीमत को रोकने के लिये सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे ह ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

खाद्यान्नों के मूल्य अथवा संचरण पर नियंत्रण भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही संभव है। अरहर, चना, उर्द, मूंग, मटर आदि दालों के मूल्य पर किसी प्रकार के नियंत्रण का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या खाद्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि कम लागत वाले जो खाद्यान्न हैं और ज्यादा लागत वाले खाद्यान्न के मुकाबले में जो उसकी कीमत बेतहाशा बढ़ती जा रही है, इसकी ओर सरकार का ध्यान न जाने का क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

सरकार का ध्यान तो पूरा ही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा भारत सरकार इस मामले को निर्धारित करती है, राज्य सरकार इसमें दखल नहीं देती है। यह केन्द्रीय नीति के आधार पर तय होता है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय--

क्या इस सम्बन्ध में माननीय खाद्य मन्त्री ने उत्तर प्रदेश सरकार की कोई राय भारत सरकार के पास भेजी है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इन सब प्रश्नों पर प्रायः विचार होता ही रहता है। हमने भी अपनी राय दी है लेकिन यह फैसला फाइनल तो केन्द्रीय सरकार को करना है।

श्री कृष्ण राय (जिला देवरिया)--

माननीय मन्त्री जी को पता है कि पूर्वी जिलों के बाजारों में आज गेहूं का भाव क्या है और क्या यह बात सही है कि २१५ रुपये क्विंटल भाव हो गया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न अलग है :

श्री कृष्णा राय ...

मैं तो गेहूं के भाव के बारे में ही पूछ रहा हूं कि क्या बाजारों में गेहूं २१५ रुपये क्विंटल हो गया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो दालों का सवाल है :

श्री मोहन लाल कपूर--

क्या इस बात को देखते हुए कि दालों के दाम बहुत अधिक बढ़ रहे हैं माननीय खाद्य मंत्री जी जिस तरह से सस्ते गल्ले की दुकानों पर साबुन आदि कम दामों पर बिकवा रही हैं उसी तरह से दालों को भी बिकवाने का प्रबन्ध करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

विचार तो मैं कर रही हूं और यदि सम्भव होगा तो कर भी लेंगे :

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

क्या माननीय खाद्य मन्त्री बतलायेंगी कि यहां के लोगों के खाद्य का प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी किसकी है, केन्द्र सरकार की है या उत्तर प्रदेश सरकार की है या दोनों की है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

दोनों की है।

चौधरी चरण सिंह---

अगर दोनों की है तो माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह केन्द्र की नीति है लेकिन यह कह कर गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती। तो अध्यक्ष महोदय, आप इनसे जवाब लिखवाते कि कोर्स ग्रेन्स के दाम क्यों बढ़ते जा रहे हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

कोर्स ग्रेन या जितने भी प्रकार के अनाज हैं उनकी कीमत और संचरण के लिये केन्द्र सरकार ही नीति निर्धारित करती है और राज्य सरकार उसके अनुरूप कार्य करती है। अभी तक गेहूं धान इन चीज की कीमत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। दालों वगैरह के लिये कीमत निर्धारित नहीं है और फिर उत्तर प्रदेश से अनाज बाहर भी जाता है। उसका संचरण भी हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। उनके लिये केन्द्र के कान्करेन्स की आवश्यकता पड़ती है।

श्री ऊदल---

दालों के बढ़ते हुए भावों को देखकर क्या माननीय मन्त्री जी भारत सरकार से तुरन्त इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

ठीक है, आपने जो सुझाव दिया है उस पर केन्द्रीय सरकार से हम बातचीत करेंगे।

श्री रामसेवक यादव---

मन्त्री महोदय ने बताया कि मोटे अनाज का भाव केन्द्रीय सरकार ने तय किया। तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस भाव को तय करने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार से सलाह मश्विरा किया ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

कीमत तय करती है रबी और खरीफ की फसलों की और उसके लिये ऐग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन वगैरह सब चीजों को तय करते हैं। यह बात अन्डर कन्सीडरेशन है कि गवर्नमेंट खरीफ की फसल के कितने पहले कीमत तय कर दे। यह नीति का प्रश्न है जिस पर भारत सरकार ही विचार करती है।

श्री रामसेवक यादव---

प्रश्न मेरा मोटे अनाज के बारे में था। दूसरा प्रश्न था कि आप से भी सलाह मश्विरा होता है या नहीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

सलाह मश्विरा होता है।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)---

मोटा गल्ला एक जिले से दूसरे जिले न जाय इसको प्रदेश सरकार तय करती है या भारत सरकार ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

## विधायक निवास, लखनऊ में रहने वाले विधायकों को दिये गये राशन कार्ड्स की दोहरी सुविधा

*१---श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित विधायक निवासों में रहने वाले वर्तमान कितने और कौन-कौन विधायकों को नये राशन कार्ड्स १ मार्च, १९७४ से १५ जून, १९७४ के मध्य जारी किये गये और क्या उक्त सभी विधायकों ने अपने पुराने स्थायी निवास स्थान पर जारी किए गए राशन कार्डों को नये राशन कार्ड प्राप्त करने हेतु वापस कर दिया था ? यदि नहीं, तो इन विधायकों को नये राशन कार्ड्स देकर दोहरी सुविधा देने का आधार क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

प्रश्नगत अवधि में लखनऊ स्थित विधायक निवासों में रहने वाले १७८ वर्तमान विधायकों को नये राशन कार्ड्स जारी किए गए जिनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं।

राशन कार्ड विधायकों की सुविधा हेतु उनके द्वारा भरे गये जांच-पत्र के आधार पर बनाये गये। जिन विधायकों ने अपने जांच-पत्र में यह घोषणा स्पष्टतः नहीं की थी कि पूर्व में उनका राशन कार्ड नहीं बना है अथवा यदि बना था तो वह वापस कर दिया गया है उनसे ऐसी घोषणा प्राप्त की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५२६-५३० पर)

श्री सत्यप्रकाश मालवीय---

जांच-पत्र में क्या कोई कालम ऐसा है जिसमें विधायक को यह घोषणा करनी पड़ती हो कि उनके परिवार का पहले राशन कार्ड बना था और उसे वे अब वापस कर रहे हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जांच-पत्र तो मेरे पास इस समय नहीं है। लेकिन इस सम्बन्ध में एक जी० ओ० है जिसके अनुसार घोषणा करनी होती है।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय---

जांच-पत्र में ऐसा कोई कालम नहीं है, मेरे पास यह जांच-पत्र है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मेरी जानकारी नहीं है।

श्री हिम्मत सिंह---

कितने ऐसे पुराने विधायक हैं जिन्होंने अपने पुराने राशन कार्ड वापस कर दिये हैं और नये बनवाये हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

यह प्रश्न तो नये विधायकों के बारे में पूछा गया था, उसका उत्तर दे दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

१८ जून, १९७३ को मैंने राशन कार्ड के साथ कानूनी पोजीशन जानने के लिए मुख्य मन्त्री जी को एक पत्र लिखा था, उसकी लीगल पोजीशन क्या है ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जितने राशन कार्डों की दरख्वास्तें थीं उनमें से कुछ रोक ली गयी हैं, बाकी तैयार हो गये हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

रोकने की सूचना मुझे नहीं है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

जिन लोगों को नये राशन कार्ड दिये गये हैं उनके पास पुराने भी राशन कार्ड मौजूद हैं या नहीं इसकी क्या जांच की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह समझा जाता है कि विधायक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वे नियमानुसार ही कार्य करेंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

## सरोजनी नायडू ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद, के कोयले के परमिट को अनियमितताओं के कारण रद्द किया जाना

*१--श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ) तथा श्री ओम प्रकाश (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९७२ में फिरोजाबाद में सरोजनी नायडू ग्लास वर्क्स के कोयले के परमिट को अनियमितताओं की वजह से कैंसिल किया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री इस्तफा हुसैन)--

हमारी सूचना यह है कि उद्योग निदेशालय से १९७२ में सरोजनी नायडू ग्लास वर्क्स को कोयला दिये जाने की कोई संस्तुति उद्योग निदेशालय ने १९७१ में नहीं की थी। जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा ने सर्वश्री सरोजनी नायडू ग्लास वर्क्स का कोयला टुंडला स्टेशन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा ३/७ व उत्तर प्रदेश कोल कंट्रोल आदेश, १९५९ के अन्तर्गत अप्रैल, १९७१ में जब्त कर लिया था। इसके बारे में उपरोक्त इकाई ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट दायर कर दिया और यह आदेश प्राप्त कर लिया कि जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा इकाई को कोयला प्राप्त करने में कोई बाधा उत्पन्न न करेंगे और इसी आधार पर इकाई ने सन् १९७२ में कोयला प्राप्त किया। इधर जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा द्वारा किया हुआ चालान भी अदालत ने खारिज कर दिया।

माह अप्रैल, वर्ष १९७१ में जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा द्वारा सीज किया हुआ कोयला जब न्यायालय द्वारा पार्टी को दे दिया गया तो पार्टी उसको अपनी इकाई में ले गई जिसका कि उपयोग भूतपूर्व विकास अधिकारी (कांच) श्री बी० बी० भाटिया ने जून, १९७२ में चेक किया तथा सही पाया। सेल्स टैक्स विभाग की चोरी रोकने वाली विशेष शाखा द्वारा इस इकाई के बारे में की गई कथित कार्यवाही की सूचना हमें नहीं है।

श्री सत्यपाल मलिक—

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह कायदा है कि जब कोई फैक्टरी कोई चीज बनाती है और उसके लिये रा-मेटीरियल लेती है तो डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज को एक स्टेटमेंट देती है कि हमने यह चीज बनायी। जिस फैक्टरी का जिक्र है, उस फैक्टरी ने डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज को कोई स्टेटमेंट नही दिया। तो क्यों फिर उनका रा मटीरियल रिन्यू हुआ? सेल्स टैक्स विभाग ने कागजों में अनेक अनियमितायें पायी हैं। इसी संदर्भ में विजीलेंस इन्क्वारी ग्लास टेक्नोलोजिस्ट, डी० एस० ओ० के खिलाफ चली थी। तो वगैर उत्पादन किये किस तरह से उन्हें कोयला दिया गया।

श्री इस्तफा हुसैन—

मैंने जैसा निवेदन किया है कि हमारे एक विशेष अधिकारी (कांच) (श्री भाटिया) ने जांच की थी। उन्होंने बताया कि वहां काम हो रहा है। विजीलेंस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी इसकी सूचना हमारे पास नहीं है। हमारे विभाग के अधिकारी ने जाकर देखा कि ब्लैक ग्लास बनता है और जो सामान उनको दिया जाता है वह उसका उपयोग करते हैं।

डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता (जिला आगरा)—

मान्यवर, इस फैक्टरी में ब्लैक ग्लास या कोई अन्य चीज नहीं बनती है। तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे?

श्री इस्तफा हुसन—

मान्यवर, मैंने पहले निवेदन किया कि मेरे अधिकारी ने जाकर देखा कि ब्लैक ग्लास बनता है। अगर माननीय सदस्य ऐसा कह रहे हैं तो मैं जांच करा लूंगा।

श्री सत्यपाल मलिक—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो कोयला उनको दिया जाता था उसका वह जहां फक्टरी है वहां न गिरा कर जहां पर ब्लक किया जाता था वहां पर गिराते थे। फिरोजाबाद, खुर्जा, हापुड़ जहां यह ब्लैक किया जाता था वहां पर कोयला गिराया जाता था। तो मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि जो मामला सेल्स टैक्स विभाग का ग्लास टेक्नोलोजिस्ट के बारे में था उसको निगाह में रखकर जांच कराकर बतायेंगे और सेल्स टक्स के बारे में क्या कार्यवाही हुयी इसकी सूचना देंगे?

श्री इस्तफा हुसैन—

मान्यवर, कोयले के बारे में डी० एस० ओ० ने उन पर दो बार मुकदमा चलाया, लेकिन वह हार गये। जो सेल्स टक्स के बारे में माननीय सदस्य कहते ह उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि आप चाहेंगे तो वित्त मंत्री जी इस बात की जानकारी आपको अवश्य देंगे।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि जिला पूर्ति अधिकारी ने इस सिलसिले में मुकदमा कायम किया था और चालान किया था तो चालान के आधार पर मुख्य आरोप क्या थे?

श्री इस्तफा हुसैन—

मान्यवर, विश्वस्त सूत्रों से जिला पूर्ति अधिकारी को सूचना मिली थी कि यह जो इकाई है और जो कोयला इसको मिलता ह वह इसको कहीं और बेचती है। इस वास्ते १९७०-७१ में जो कोयला उनको मिला था उसको उन्होंने सीज कर दिया और मुकदमा कायम किया। लेकिन वह मुकदमा हार गये।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, क्या मुकदमे के खिलाफ कोई अपील सरकार द्वारा की गयी थी?

श्री इस्तफा हुसैन---

मान्यवर, पहले जिला पूर्ति अधिकारी ने ए० डी० एम० के यहां मुकदमा दिया लेकिन वह हार गये। इसके बाद जजी में मुकदमा दायर हुआ और वह वहां पर भी मुकदमा हार गये।

*२---श्री ओम प्रकाश सिंह---

[पुनर्विचार पर निरस्त]

[१५ जुलाई, १९७४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

## गोरखपुर व देवरिया की चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों के बकाये का भुगतान

*१---श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, देवरिया के चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों का कितना रुपया बकाया ह और यह बकाये कितने वर्षों से चले आ रहे हैं तथा इसके भुगतान के सम्बन्ध में शासन द्वारा कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

गोरखपुर तथा देवरिया जिलों की कुल १९ चीनी मिलों पर दिनांक ३१-५-७४ तक गन्ना उत्पादकों का कुल बकाया गन्ना मूल्य १५९.२७ लाख रुपया था। इस बकाया धनराशि में १९६८-६९ के पूर्व का, १९६८-६९, १९६९-७०, १९७०-७१ तथा१९७२-७३ तथा १९७३-७४ सीजनों का गन्ना मूल्य बकाया सम्मिलित है। इस बकाया का भुगतान कराने के सम्बन्ध में हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं, जिनमें निम्न कार्यवाही उल्लेखनीय हैं :--

(१) गोरखपुर की एक चीनी मिल को नीलाम किया गया।

(२) देवरिया जिले की चार चीनी मिलों को पुराने, गन्ना मूल्य बकाये की वसूली के सम्बन्ध में कुछ अन्य जिलों की चीनी मिलों के साथ शासन द्वारा अधिग्रहीत किया गया, परन्तु उन में से देवरिया जनपद की दो चीनी मिलों ने कुछ अन्य मिलों के साथ हाई कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये और शासन का प्रयास है कि शीघ्र उनका निर्णय हो जाय।

(३) देवरिया जिले की एक अन्य चीनी मिल में रिसीवर नियुक्त किया गया, जो उसके नियंत्रण में संचालित है।

(४) क्रेडिट स्क्वीज नीति के कारण बैंकों ने चीनी मिलों को कम धन उपलब्ध किया, क्योंकि क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ाई गयी व मार्जिन का प्रतिशत बढ़ा दिया। चीनी मिलों को गन्ने की कीमत देने के लिये अधिक धन उपलब्ध हो, इसलिये शासन ने रिजर्व बैंक व भारत सरकार से आग्रह किया है।

## सस्ते गल्ले की दुकानों की जांच हेतु सतर्कता समितियों का गठन

*२---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)---

क्या यह सही है कि शासन सरकारी राशन की दुकानों के लिये सतर्कता समितियों के गठन पर विचार कर रही ह ? यदि हां, तो गठन का आधार क्या होगा तथा उनका गठन कब तक कर दिया जायेगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जी हां।

समस्त जिलाधिकारियों को सतर्कता समितियों के गठन हेतु आदेश ८-५-७४ को जारी किये गये थे।

[डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी]

इन समितियों का कार्य-क्षेत्र एक राशनिंग क्षेत्र में स्थित सभी सस्ते गल्ले की दूकानों तक रहेगा और इसके तीन से पांच तक सदस्य होंगे, जिनका नामांकन जिलाधिकारी करेंगे। सदस्यों की योग्यता के लिये यह आवश्यक है कि :

(क) सदस्य लिख-पढ़ सकता हो और सम्बद्ध राशनिंग क्षेत्र में स्थित किसी दूकान से सम्बद्ध उपभोक्ता हो।

(ख) वह सामाजिक कार्यकर्ता हो (महिला कार्यकर्ता भी), किसी सामाजिक संगठन से, विशेष कर उपभोक्ता समिति से सम्बद्ध हो, अथवा सम्भ्रान्त एवं लोकप्रिय नागरिक हो और किसी राजनतिक दल से सम्बद्ध न हो ।

यह सतर्कता समितियां प्रत्येक राशनिंग क्षेत्र में स्थित समस्त गल्ले की दूकानों के निरीक्षण हेतु गठित की जा रही हैं। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार ५० जिलों में उक्त समितियां गठित हो चुकी हैं।

यह समितियां शेष जिलों में भी गठित की जा रही हैं।

## देवरिया में परमिट धारियों को बनस्पति घी का न मिलना

*३---श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि देवरिया में शादी विवाह के लिये मई, १९७४ के अन्तिम सप्ताह में जो परमिट वनस्पति घी के सप्लाई विभाग से कट चुके हैं, उन पर बनस्पति घी न मिलने का क्या कारण है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मई, १९७४ के अन्तिम सप्ताह (२४-५-७४ से ३१-५-७४ तक) में कुल १६५१.५ किलोग्राम वनस्पति के परमिट विवाह हेतु जारी किये गये थे। इनमें से १२१६.५ किलोग्राम परमिटों पर दिया गया और ४३५ किलोग्राम के परमिटों पर वनस्पति लेने हेतु परमिट-धारी निर्धारित समय के भीतर उपस्थित नहीं हुये जिससे उन्हें वनस्पति घी नहीं मिल सका।

## कानपुर शुगर वर्क्स, पडरौना, जिला देवरिया पर किसानों के गन्ने का बकाया

*४---श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि कानपुर शुगर वर्क्स, पडरौना पर गन्ना किसानों का कितना रुपया बकाया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

दिनांक ३१-५-७४ को सर्वश्री कानपुर शुगर वर्क्स, पडरौना (जिला देवरिया) पर गन्ना किसानों का कुल रु० ७.४९ लाख गन्ना मूल्य के रूप में अवशेष था।

## जलालपुर, फैजाबाद के हैन्डलूम्स व पावर लूम को सूत व स्टेपुल का वितरण

*५---श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के प्रमुख हथकरघा व पावरलूम केन्द्र कस्बा जलालपुर में कितने हैन्डलूम तथा पावरलूम हैं और उनके लिये प्रति माह अलग-अलग कितने सूत तथा स्टेपुल के वितरण की व्यवस्था की गई है ?

श्री इस्तफा हुसैन--

जलालपुर में ४,८७७ हैण्डलूम तथा ३५७ पावरलूम हैं। चूंकि अब सूत पर नियंत्रण नहीं है अतः उसके वितरण की व्यवस्था करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। स्टेपुल प्रदेश की आवश्यकता से बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। अतः उसको निश्चित मात्रा में वितरण कराना संभव नहीं है।

श्री भगवती प्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कष्ट करेंगे कि ३५७ पावरलूम केन्द्र जो इस समय आये हैं क्या इसके पहले आपकी किताब में २५० पावरलूम केन्द्र से कम कस्बा जलालपुर में दिखाये गये हैं जो कि १८ घंटे बिजली से संबंधित नहीं है। और मंत्री महोदय अकबरपुर में जहां २५० पावरलूम केन्द्र से कम हैं वहां १८ घंटे बिजली क्यों दी जाती है ?

श्री इस्तफा हुसैन--

मान्यवर मैंने निवेदन किया कि स्टेपुल कम आता है। लेकिन जो सूचना मेरे पास है उससे मैं यह कह सकता हूं कि जलालपुर में अभी जून के महीने में ९८९ गांठें दी गई थी और मई के महीने में ५०० गान्ठें दी गई थी। इसी तरह मई १९७३ में ९९९ गांठें दी गई थी जो बराबर आता है उनको दी जाती है।

श्री भगवती प्रसाद--

क्या छूटे हुये हैन्डलूम और पावरलूम का सर्वेक्षण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री इस्तफा हुसैन--

मान्यवर १९७२ के सितम्बर महीने में पहले ही सर्वेक्षण हो चुका है। उसी के आधार पर हम दे रहे हैं। यह कितनी जगह छूटा है तो यदि प्रार्थना-पत्र आप दे दें तो उनकी जांच कराकर काडँ बनवा दें।

श्री ऊदल--

मैं यह जानना चाहता हूं कि ३५७ की जगह पहले २५० थी। अब पावर लूम केन्द्र बढ़ गये हैं। तो मान्यवर क्या हम सर्वे करा कर उनको रेगुलर करायेंगे और जितनी बिजली मिल सके उतनी दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री इस्तफा हुसैन--

मान्यवर इसका सम्बन्ध बिजली से है। तो बिजली के संबंध में मैं कोशिश करता हूं कि बराबर बिजली मिलती रहे। लेकिन जो नहीं चल पाते उसका मेरे ऊपर कोई दोष नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, १८ घंटे बिजली जलालपुर में नहीं मिलती है जब कि दूसरी जगहों पर मिलती है। तो क्या मंत्री जी वहां १८ घंटे बिजली देने की व्यवस्था करेंगे ? मान्यवर क्या हथकरघा और पावरलूम केन्द्र कस्बा जलालपुर को बिजली दिलायेंगे ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया)

*६--श्री मुलायम सिंह यादव--

[पुनर्विचार पर निरस्त । ]

## शाहजहांपुर नगर तथा मुरादाबाद की तहसील बिलारी में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों तथा कोल डिपो हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

*७—श्री मोहम्मद रफी खां (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर शहर तथा मुरादाबाद जिले की तहसील बिलारी में दिनांक १ जनवरी, १९७० से दिनांक ३१ मार्च, १९७४ तक जिन लोगों ने सरकारी गल्ले की दुकानों और कोयले के डिपो के लिये प्रार्थना-पत्र दिये उनके नाम पते क्या हैं और शाहजहांपुर में जिन लोगों को यह दुकानें दी गई उनके नाम व पते क्या हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मांगी गयी सूचना एक तालिका† में दी गयी है, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

*८—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त।]

## शाहजहांपुर के पूर्ति इन्सपेक्टरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें

*९—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १ जून से १० जून, १९७४ तक कुल कितनी शिकायतें भ्रष्टाचार सम्बन्धी शाहजहांपुर के पूर्ति इन्सपेक्टरों के खिलाफ जिला पूर्ति अधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुई हैं और उनमें अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्नगत अवधि में दो शिकायतें प्राप्त हुयीं। शिकायतों, तथ्यों एवं अभिलेखों की छान-बीन के आधार पर शिकायतें सही नहीं पायी गयीं। शिकायतों के निराधार होंने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

## देवरिया कोषागार के लिपिकों को दिया जाने वाला अतिरिक्त वेतन

*१०—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष १९७३–७४ में कोषागार लिपिकों को दिया जाने वाला अतिरिक्त वेतन देवरिया कोषागार लिपिकों को न देकर उक्त मद में प्राप्त धन वापस लौटा दिया गया, और क्या इस सम्बन्ध में देवरिया कोषागार लिपिकों का प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी देवरिया के माध्यम से सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वर्ष १९७३–७४ में देवरिया कोषागार के लिपिकों के लिये कोई अतिरिक्त वेतन स्वीकृत नहीं किया गया। अतः इसके वापस लौटाने का प्रश्न नहीं उठता। इस सम्बन्ध में देवरिया कोषागार लिपिकों का कोई प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी, देवरिया के माध्यम से शासन को प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस पर किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

---

†छापी नहीं गई।

## प्रदेश को बनस्पति मिलों से प्राप्त घी की मात्रा और निर्धारित कोटे से कम सप्लाई करने वाली बनस्पति मिलों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

*११—श्री सत्य प्रकाश (अनुपस्थित) (जिला बरेली) श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बनस्पति घी की कितनी मात्रा, प्रदेश को अप्रैल व मई, १९७४ में बनस्पति मिलों से प्राप्त होनी थी और कितनी वास्तव में प्राप्त हुई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये १०,६८६ मीट्रिक टन बनस्पति घी का मासिक आवंटन किया गया है जिसकी पूर्ति प्रदेश के भीतर व प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न मिलों द्वारा की जाती है। प्रदेश में स्थित मिलों से अप्रैल और मई, १९७४ में प्रतिमाह ६,८१८ मीट्रिक टन बनस्पति घी मिलनी थी। इसके विरुद्ध माह अप्रैल, ७४ में ७,१०४ मीट्रिक टन और मई, ७४ में ५,२१६ मीट्रिक टन बनस्पति प्राप्त हुई।

*१२—श्री सत्य प्रकाश (अनुपस्थित) तथा श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या सरकार यह बतायेगी कि निर्धारित कोटे से कम सप्लाई करने वाले बनस्पति कारखानों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अप्रैल माह में उत्तर प्रदेश में स्थित मिलों द्वारा बनस्पति की जो पूर्ति की गई वह आवंटित मात्रा से अधिक थी। मई, १९७४ में इन मिलों द्वारा वास्तविक पूर्ति आवंटन से कम अवश्य थी लेकिन इन मिलों द्वारा उत्पादित लगभग सम्पूर्ण मात्रा उत्तर प्रदेश में ही वितरित हुई अतः इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या सरकार यह बतायेगी कि मई मास में जो बनस्पति का कोटा मिला वह उत्तर प्रदेश के अन्दर सब मिलों से मिला या बाहर से आया ? अगर उत्तर प्रदेश की मिलों से मिला तो उन मिलों के नाम क्या क्या हैं जिनसे कोटा मिला और कितना-कितना मिला ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, मई मास में जो बनस्पति हमें मिलों से प्राप्त हुई तथा उनका क्या वास्तविक उत्पादन था और कितना जिन्होंने उत्पादन किया वह इस प्रकार है :

| | मासिक आवंटन | वास्तविक उत्पादन | कितना मिला |
|---|---|---|---|
| १—नारायन वेजिटेबिल प्रोडक्ट्स, सीतापुर | ६०९ | ४८० | ४३६ |
| २—हिन्दुस्तान लीवर्स लि०, गाजियाबाद | ७८१ | ९५७ | ६८८ |
| ३—मोतीलाल पदमपति उद्योग, कानपुर | ३९६ | ४६३ | ४६९ |
| ४—गनेश क्लावर मिल्स, कानपुर | ७६८ | ८६५ | ८७१ |
| ५—अमृत वनस्पति, गाजियाबाद | १३९३ | ६३३ | ६३३ |
| ६—मोदी वनस्पति, मोदीनगर | १४११ | ९४४ | १०३० |
| ७—जैन शुद्ध वनस्पति गाजियाबाद | ६०९ | ४६२ | ४३४ |
| ८—प्राग वेजिटेबिल, अलीगढ़ | ५८८ | ४४५ | ५७९ |
| ९—केशव वनस्पति, लखनऊ | २६३ | ८० | ७६ |

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

हमारे पास उत्तर प्रदेश के जो कारखाने हैं उन्हीं के आंकड़े हैं। बाहर की मिलों के आंकड़े हमारे पास नहीं है।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगी कि यह जो कोटा आवंटित किया था और उससे कम सरकार को दिया। शेष जो बचा वह किस आधार पर बांटा गया और जब उन्होंने मार्केट में बेचा तो क्या सरकार ने उसके लिये कोई निर्देश दिये थे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कुछ तो ओपेन रहता ही है। जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उससे आपने देखा होगा कि सरकार ने ज्यादा से ज्यादा उनसे ले लिया है।

श्री भीखालाल—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि वनस्पति मिलों ने जितना उत्पादन किया उसे उत्तर प्रदेश में दे दिया इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन मिलों ने अपनी उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन किया उनसे आपने पूछा कि इतना कम उत्पादन क्यों किया और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

हमारे यहां जो वनस्पति के कारखाने हैं वे रा-मेटीरियल की कमी और कुछ अन्य कारणों से पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पाते।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि उत्पादन के हिसाब से मिलों ने आपको दिया और कुछ ओपेन मार्केट में बेचने के लिये उनके पास छोड़ दिया, तो उस छोड़े हुए माल को उन्होंने किस भाव पर बेचा ? क्या सरकार ने उसके लिये कोई मूल्य निर्धारित किया था ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ओपेन मार्केट के लिये भी वनस्पति की कीमत तय है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय मंत्री जी ने सभी घी के कारखानों की चर्चा की। मुजफ्फरनगर में भी एक घी का कारखाना है जो परिवार घी बनाता है। वह कारखाना बन्द पड़ा है। क्या सरकार उस कारखाने को अपने हाथ में लेकर चलाने की कोशिश करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह अलग सवाल है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उन्होंने सभी कारखानों की चर्चा की है। उनके पास इसका उत्तर भी है।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर तो वे सभी दे सकती हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मई मास में विवाह के लिये लोगों को घी नहीं मिला। जनता में त्राहि-त्राहि मच गयी। क्या सरकार को जानकारी है कि मिल मालिकों ने ज्यादा घी का उत्पादन किया और कागज में कम दिखाया और सारा माल ब्लैक में बेच दिया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय गंगवार साहब को उसकी ज्यादा जानकारी हो सकती है।

*१३—श्री त्रिवेणी सहाय—

[७वें सोमवार के लियें स्थगित]

## बिजनौर के बुनकरों को राष्ट्रीय कृत बैंकों से ऋण

*१४—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुनकरों को जो सरकार ने बैंकों से लोन दिलाने का वायदा किया है तो क्या उसके अनुसार जिला बिजनौर में अब तक कुल कितने बुनकरों को लोन दिया गया और कितने लोगों को अभी तक नहीं दिया गया है और जो लोग बाकी रह गये हैं क्या उनको शीघ्र दिलाने पर शासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री इस्तफा हुसैन—

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिजनौर जनपद में वर्ष १९७३–७४ में १०४० बुनकरों को ऋण दिया गया। संस्थागत वित्त निदेशालय को कहा गया है कि वह रिजर्व बैंक का ध्यान इस ओर आकर्षित करा कर बैंकों को सूचना प्राप्त करवा दें तथा ऋण शीघ्र दिलाने का प्रयास करें।

*१५—श्री अब्दुल वहीद—

[निरस्त]

## वरिष्ठ हाट निरीक्षकों की उपक्षेत्रीय वाणिज्य अधिकारी के पदों पर पदोन्नति

*१६—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासनादेश संख्या एम० १३८३/XXII-C–१–एम०—२६११, दिनांक १४ सितम्बर, १९६४ द्वारा ५० प्रतिशत भर्ती लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से वरिष्ठ हाट निरीक्षकों की नियुक्ति की गई थी और क्या हाल में वरिष्ठ हाट निरीक्षकों को उप क्षेत्रीय वाणिज्य अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है जिसमें उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत आयोग द्वारा चुने गये वरिष्ठ हाट निरीक्षकों को प्रोन्नत नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

शासनादेश दिनांक १४–९–६४ द्वारा आयोग के माध्यम से वरिष्ठ हाट निरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी थी बल्कि उक्त शासनादेश में यह प्राविधान किया गया था कि वरिष्ठ हाट निरीक्षक का पद लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में रहेगा और ५० प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे तथा शेष ५० प्रतिशत पद हाट निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। उक्त शासनादेश दिनांक १४–९–६४ के अन्तर्गत आयोग के माध्यम से चुने गये सीधी भर्ती के वरिष्ठ हाट निरीक्षकों को वर्ष १९६७ तथा १९७० में नियुक्तियां दी गयी थीं। शासनादेश दिनांक ७–६–७४ द्वारा १५ विभागीय वरिष्ठ हाट निरीक्षकों को उप क्षेत्रीय हाट

[डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी]

अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है और वे सभी १९६४ में वरिष्ठ हाट निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुये थे। १९६७ तथा १९७० में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये वरिष्ठ हाट निरीक्षक कनिष्ठ हैं तथा अभी इनको पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

क्या खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १५ वरिष्ठ हाट निरीक्षकों को उप क्षेत्रीय हाट अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया तो किस-किस तिथि में किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

७ जून, १९७४ को ज्येष्ठ हाट निरीक्षकों को उप क्षेत्रीय हाट अधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय---

७ जून, १९७४ का तो शासनादेश है। क्या उसी दिन पदोन्नति भी कर दी गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

पदोन्नति देने के तिथि के बाद आदेश जारी हुये। ये १५ लोग १९६४ के थे। वे ही ज्येष्ठ निरीक्षक से उप क्षेत्रीय हाट अधिकारी के लिये पदोन्नत किये गये।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

क्या यह पदोन्नति ज्येष्ठता सूची के अनुसार की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जिन लोगों की पदोन्नति की गयी, वे ज्येष्ठ थे। ज्येष्ठता की पूरी सूची तैयार हो रही है।

*१७---श्री त्रिवेणी सहाय---

[७वें सोमवार के लिये स्थगित।]

## उपाध्यक्ष खादी बोर्ड के मनोनयन तथा उनकी यात्राओं पर किया गया व्यय

*१८---श्री राम सुन्दर पांडेय---

क्या लघु उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी बोर्ड के वर्तमान उपाध्यक्ष का मनोनयन सरकार द्वारा कब किया गया है तथा क्या यह सही है कि उनके १ वर्ष के काल में उन पर लगभग ८७ हजार रुपया व्यय हुआ है और उक्त उपाध्यक्ष महोदय लखनऊ में रहते हैं और प्रतिदिन कानपुर कार्यालय देखने जाते आते हैं ? यदि हां, तो प्रतिदिन का व्यय उन पर क्या है ?

श्री इस्तफा हुसैन---

खादी बोर्ड के वर्तमान उपाध्यक्ष का मनोनयन ११ जनवरी, १९७३ को किया गया। यह बात सही नहीं है कि उपाध्यक्ष के एक वर्ष के कार्यकाल में उन पर ८७ हजार रुपया व्यय हुआ।

यह सही है कि वे लखनऊ में रहते हैं परन्तु प्रति दिन कानपुर नहीं जाते। अतः उन पर प्रति दिन के व्यय का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

क्या लघु उद्योग मंत्रीजी बतायेंगे कि इस ८ महीने के कार्यकाल में उन पर कुल कितना व्यय सरकार का हुआ है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

मान्यवर, मेरे पास उनके ब्योरेवार खर्चे के आंकड़े हैं। ११ जनवरी, ७३ से दिसम्बर, ७३ तक का ब्योरा मेरे पास है जो कि ६२,००० रुपये है, जिसमें २६,१४६ रु० एक नयी कार की कीमत भी शामिल है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

मैंने दिसम्बर तक नहीं पिछले ८ महीने का पूछा था।

श्री इस्तफा हुसैन—

जनवरी, ७४ से ३० जून तक के आंकड़े हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, इसे स्थगित कर दें प्रश्न स्पष्ट है, उत्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

हर महीने का पूछना तो ब्योरेवार हो गया।

श्री इस्तफा हुसैन—

३० जून तक का बता सकता हूं। ३० जून तक १६,०३३ रुपये खर्च हुआ था, इनके कार्य पर।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

१६ हजार कुल खर्च है। इसके अलावा भी खर्च हुआ है तो कितना ?

श्री इस्तफा हुसैन—

श्रीमन्, उपाध्यक्ष के लिये प्रश्न पूछा गया था। वैसे तो खर्च होता ही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या लघु उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या ये लखनऊ से कानपुर हफ्ते में कई बार जाते हैं ? यदि हां तो इस पर सरकार का क्या खर्च होता है? क्या उसके लिये सरकारी मोटर प्रयोग में लाई जाती है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

मान्यवर, यह बातें सही नहीं है कि हफ्ते में कई बार या प्रतिदिन जाते हैं। मेरे पास जो आंकड़े हैं उससे साबित होता है कि एक-दो बार जाते हैं। सन् ७३ में ज्यादा से ज्यादा १६ दिन गये थे एक महीने में कभी ऐसा हुआ कि एक दिन भी गये। उनके पास मकान कानपुर में नहीं है। कानपुर में जो मकान भूतपूर्व उपाध्यक्ष के पास था उस पर ४०० रुपये माहवार खर्च होता था लेकिन इनके पास लखनऊ में मकान १४० रुपये किराये पर है। कभी-कभी पेट्रोल महंगा होने से टैक्सी करके भी जाते हैं जिससे किफायत होती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष जी का नाम बतलाने की माननीय मंत्री कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आवश्यकता नहीं है। इसे आप जानते होंगे।

## उत्तर प्रदेश निर्यात निगम (राजकीय हस्तकला) लखनऊ के कर्मचारियों के नये वेतनमानों का निर्धारण तथा उसके बकाया का भुगतान

*१९—श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

**क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश निर्यात निगम (उ०प्र० हस्तकला, लखनऊ) के समस्त कर्मचारियों के नये वेतनमानों के निर्धारण से कुल कितने कर्मचारी लाभान्वित हुये हैं और शेष कितने कर्मचारी लाभान्वित होने से वंचित रह गये हैं ? यदि हां, तो किस कारण और कब तक निर्धारण किया जा रहा है ?**

श्री इस्तफा हुसैन—

नये वेतनमान लागू होने के दिनांक १—८—७२ को उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि०, (उत्तर प्रदेश हस्तकला, लखनऊ) के अन्तर्गत कार्यरत १२१ कर्मचारियों में से ११७ कर्मचारी नये वेतनमान के निर्धारण से लाभान्वित हुये हैं तथा शेष ४ कर्मचारी अभी लाभान्वित होने से वंचित रह गये हैं। इनमें से एक कर्मचारी की मृत्य हो जाने, दूसरे की सेवा निवृत्ति के पश्चात् मृत्यु होने व तीसरे के १०—१२—७३ से २७—६—७४ तक दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाने के कारण नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण न हो सका था जो अब किया जा रहा है तथा शीघ्र ही उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो जायगा। चौथे कर्मचारी द्वारा २८—५—७३ से अवकाश पर चले जाने तथा तत्पश्चात् एक वर्ष से अधिक समय तक बिना प्रार्थना-पत्र दिये कार्य से अनपस्थित रहने के कारण उसकी सेवायें स्वतः समाप्त मानी गई है। उस कर्मचारी को भी नियमानुसार लाभ देने की व्यवस्था की जा रही है।

*२०—श्री रेवती रमण सिंह (अनुपस्थित)—

**क्या उद्योग मन्त्री यह भी बतायेंगे कि राजकीय उत्तर प्रदेश हस्तकला, लखनऊ में बढ़े हुये वेतन के बकाये का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?**

श्री इस्तफा हुसैन—

राजकीय उत्तर प्रदेश हस्तकला के १७ कर्मचारियों को बढ़े हुये वेतन का भुगतान किया जा चुका है। १५ कर्मचारी ऐसे है जिनके पदों के नये वेतनमान की स्वीकृति शासन द्वारा मई, १९७४ मे निर्गत की गई है। इन कर्मचारियों का नये वेतनमान में वेतन निर्धारित किया जा चुका है। बढ़े हुये वेतन के बकाये के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। एक कर्मचारी निलम्बित है। इनका नये वेतनमान में निर्धारण नहीं हुआ। तीन राजकीय कर्मचारी कलकत्ते में हैं, जिन्होंने कोर्ट केस दायर कर रखा है। उनका वेतन निर्धारण आदि की कार्यवाही कोर्ट केस के निर्णय के पश्चात् की जा सकेगी।

## सिम्लावली केन यूनियन, मेरठ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

*२१—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

**क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें १९ मई, १९७४ का सिम्लावली, जिला मेरठ के केन यूनियन में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और क्या तथ्य प्रकाश में आये ?**

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

कथित समिति में भ्रष्टाचार से संबंधित उल्लिखित पत्र पर जांच उप गन्ना आयुक्त (पश्चिमी क्षेत्र) म मेरठ से कराई गई। जांच रिपोर्ट के फलस्वरूप निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए:—

(१) समिति को जीप द्वारा की गई कुछ यात्रायें संदिग्ध प्रतीत हुई और जीप की लाग बुक का रख-रखाव त्रुटिपूर्ण पाया गया।

(२) एक समायिक तौल लिपिक की नियुक्ति उसके ग्राम से संबंधित क्रय केन्द्र पर की गई ।

(३) प्रति गाड़ी अधिक तुले गन्ने का समिति द्वारा समायोजन नहीं किया गया ।

(४) १९७३–७४ सीजन में समिति की प्रबन्ध कमेटी ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर सामयिक लिपिकों की नियुक्ति की तथा स्वीकृत संख्या से अधिक लिपिकों से कार्य लिया ।

(५) खाद वितरण में विभागीय निर्देशों एवं समिति की उपविधियों का उल्लंघन किया गया ।

(६) कुछ कृषकों की कर्जे की मांग डिमाण्ड लिस्ट में वसूली हेतु अंकित नहीं की गई तथा कुछ कृषकों से गन्ना मूल्य भुगतान के समय ऋण वसूल करने से छोड़ दिया गया ।

(७) समिति की प्रबन्ध कमेटी ने प्रबन्ध कमेटी के तीन सदस्यों को अनुचित ढंग से बैठकों में भाग लेने से वंचित रखा ।

(८) दो सामयिक लिपिकों को बिना यथेष्ट कारण के 'बी' श्रेणी देते हुए समिति सेवा से वंचित रखा गया ।

श्री मंजूर अहमद—

जीप की जो यात्रा बतलाई गई उत्तर में वह किन महीनों में की गयी और किन-किन कार्यों के लिये की गयी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैंने स्वयं उत्तर में बतलाया कि तथ्य जो प्रकाश में आये उनसे यात्रा संदिग्ध प्रतीत हुई और लाग बुक त्रुटिपूर्ण पाई गयी । मार्च जुलाई में जीप कहां गई और किस उपयोग में लाई गयी, ये कालम नहीं भरे गये हैं ।

श्री मंजूर अहमद—

जितने क्लर्क समिति में रखने चाहिये थे उनसे अधिक क्लर्कों की नियुक्ति की गयी तो क्यों की गयी और उनके नाम क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप चिट्ठी लिखकर माननीय मंत्री के पास भेज दें ।

श्री ऊदल—

जब जांच से तथ्य सरकार के सामने आ गये तो अब तक उस समिति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी–

उसको अब नोटिस दिया गया है क्यों न उसको अतिक्रमित किया जाय ।

श्री मंजूर अहमद—

जब एक साल पहले गन्ना अधिकारी ने जांच करके रिपोर्ट सरकार को दे दी कि इस समिति में खाद में, गन्ने की कटौती में तथा दीगर मामलों में इतना भ्रष्टाचार तो सरकार ने उस समिति को अब तक निलम्बित क्यों और किन कारणों से नहीं किया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह १९ मई, १९७४ के पत्र के सम्बन्ध में है । इसकी पूरी जांच की गई और इसके पहले कितनी शिकायतें आई हैं, उसका पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है ।

*२२—चौधरी वीरेन्द्र कुमार—

[७वें सोमवार के लिये स्थगित]

कानपुर में मौरंग के काम से प्राप्त आय और बकाये की वसूली

*२३—श्री सत्य प्रकाश मालवीय तथा श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में मौरंग का काम कब से हो रहा है और इससे सरकार को अब तक कितना रुपया प्राप्त हो चुका है ? कितना रुपया किन-किन लोगों पर बाकी है ? यदि हां, तो क्यों और अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कानपुर जिले में मौरंग का काम १४ सितम्बर, १९६३ के बाद से आरम्भ हुआ। वर्ष १९७३–७४ तक रु० ११,३७,३४६.५० प्राप्त हो चुका है। रु० १,६९,३४५.०० वसूली के लिये बाकी है क्योंकि ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय पर किस्तें अदा नहीं की गईं। उसका विवरण तथा की गई कार्यवाही का उल्लेख संलग्न सूची में किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५३१ पर)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्रम-संख्या १ पर जो मेसर्स किशनलाल गहंगसिंह हैं जिनके ऊपर १ लाख २० हजार रुपये बकाये है उनकी अपील किस तिथि को खारिज हुई और वसूली के आदेश किस तिथि को जारी हुये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

रिकवरी सर्टिफिकेट के लिये शासन की ओर से हाई कोर्ट में पैरवी की गई। २४ मई, ७३ को उक्त धनराशि के लिये स्पेशल अपील दायर की गई जो कि दिसम्बर, १९७३ में खारिज हुई। जिलाधिकारी ने अभी २५ तारीख को आदेश दिये हैं कि रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किये जायं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्रम-संख्या २ से १२ तक में जिन लोगों के ऊपर रुपया बाकी है उनको रिकवरी सर्टिफिकेट कब जारी किये गये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्रम-संख्या २ में सिविल वाद के द्वारा वसूली स्थगित थी, उसकी वसूली की कार्यवाही जारी है और क्रम-संख्या ३ से १२ तक मालगुजारी की तरह यह धनराशि वसूल करने के लिये संबंधित तहसीलदार को भेज दिया गया जो कि वसूली की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

किस तिथि को रिकवरी के आदेश जारी हुये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पिछले मई के महीने में जारी किये गये।

*२४—चौधरी चरण सिंह—

[७ वें सोमवार के लिए स्थगित।]

## मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ स्थित डाइंग, ब्लीचिंग व कैलेण्डरिंग फैक्टरी के खरीदारों से अवशेष धनराशि की वसूली

*२५—चौधरी चरण सिंह—

क्या सरकार कृपया बनायेगी कि मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ स्थित डाइंग, ब्लीचिंग और कलेण्डरिंग फैक्टरी के खरीदारों से सेल डीड में लिखित शर्त के अनुसार एकमुश्त भुगतान न लेने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त सेल डीड की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन—

सेल डीड की शर्त के अनुसार अवशेष धनराशि की किस्त जमा न करने पर प्रश्नगत फैक्ट्री के खरीददारों से सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त वसूल करने हेतु जिलाधिकारी, आजमगढ़ को आदेश दिये गये। इस पर खरीदारों ने शासन को प्रत्यावेदन भेजा। विचारोपरांत शासन ने २५-१-७३ को जिलाधिकारी को आदेश दिये कि खरीदारों द्वारा ७५,००० रु० पन्द्रह दिन के अन्दर जमा करने पर शेष धनराशि की वसूली ६०,००० रु० की वार्षिक किस्तों में, जो हर १५ फरवरी को देय होगी, कर ली जाय। सेल-डीड की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

चौधरी चरण सिंह—

मुझे जवाब नहीं मिला। इसलिए इसे कल तक के लिए मुल्तवी कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी फिर से उत्तर पढ़ दें।

(मन्त्री जी ने उत्तर पुनः पढ़ा)

चौधरी चरण सिंह—

मैंने तो अर्ज किया कि कल तक के लिए मल्तवी कर दिया जाय ....।

*२६—चौधरी चरण सिंह तथा डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता—

(७ वें सोमवार के तारांकित प्रश्न ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

## अतारांकित प्रश्न

## फैजाबाद जिले में उद्योगों की स्थापना

१—श्री हुबराज (जिला फैजाबाद)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले के पिछड़ेपन को देखते हुए सरकार उक्त जिले में सार्वजनिक क्षेत्र का कोई वहत् या मध्यम उद्योग लगाने पर विचार कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील में उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम लि० द्वारा एक कताई मिल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

२—उपरोक्त के अतिरिक्त अकबरपुर तहसील में ही एक सहकारी चीनी मिल स्थापित करने हेतु भी भारत सरकार से लाइसेन्स की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

---

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या २५ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

## स्टील रोलिंग मिलों व आर्क फरनेस को दिया गया कोयला

श्री सत्यपाल मलिक—

२—क्या सरकार बतायेगी कि गत जनवरी, फरवरी या मार्च में जब प्रदेश के स्टील रोलिंग मिलों व आर्क फरनेस को बिजली नहीं दी गई तो उस दौरान उन्हें कितना कोयला दिया गया और उस कोयले का क्या हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## "स्वतन्त्र भारत" दैनिक के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में माननीय ओमप्रकाश सिंह ने एक सूचना दी है—

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, विधान सभा के सामने हजारों मजदूर इस सरकार की पूंजीवादी नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आप....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए । माननीय ओमप्रकाश सिंह जी ने अपना विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया था समाचार-पत्र के विरुद्ध । किन्तु अब उन्होंने उसकी वापसी का आवेदन-पत्र दिया है, तो मैं समझता हूं कि आप सहमत होंगे इसको वापस किया जाए ।

(सदन की अनुमति से वापस लिया गया ।)

## श्री काशीनाथ मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक दूसरा माननीय श्री ओमप्रकाश सिंह जी ने श्री काशीनाथ मिश्र के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है । श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है वह ११ जुलाई, ७४ की घटना के सम्बन्ध में है । उसके बाद १२ जुलाई, १९७४ को सदन की बैठक हुयी थी और उसी दिन यह प्रश्न श्री सिंह को उठाना चाहिए था । इसके अलावा यह भी है जो प्रश्न उठाया गया है वह यह है कि उस दिन सदन से वह कहकर चले गये थे और "गुण्डई" शब्द का जो प्रयोग किया उसको वापस नहीं लिया । इसके बारे में यह परम्परा है कि जो सदस्य इधर या उधर कुछ कर देता है तो दल के नेता उसके लिए क्षमा याचना कर लिया करते हैं, फिर वह बात वहीं समाप्त हो जाती है । यह उस हालत में विशेष बात नहीं है । माधव प्रसाद जी ने भी कई बार ऐसा किया और उस दिन उसके लिए भी नेता सदन ने सदस्य के व्यवहार के प्रति अपना खेद प्रकट किया था । जब सम्बद्ध नेता क्षमा याचना कर चुका हो.....

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

उस दिन मुख्य मन्त्री जी ने मात्र इतना कहा था कि काशीनाथ जी का जो व्यवहार है, उससे मुझे ठेस लगी है। क्या इसको ही क्षमायाचना समझा जाय ?

श्री अध्यक्ष—

जब कोई नेता अपने सदस्य के विरुद्ध इस तरह से खेद प्रकाश करे तो उससे ज्यादा उसकी और क्या भर्त्सना हो सकती है नेता की तरफ से।

## कतिपय समितियों तथा परिषदों के निर्वाचन कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक और सूचना दे दूं आपको। दिनांक ११-७-७४ को ५.१५ बजे अपरान्ह मेरे कमरे में जो एक बैठक हुयी थी, जिसमें नेता सदन, नेता विरोधी दल, जनसंघ दल के श्री हिम्मत सिंह व श्री कल्याणसिंह तथा संगठन कांग्रेस दल के नेता भी उपस्थित हुए थे और उसमें विचार-विमर्श के उपरांत निम्नलिखित समितियों और निकायों के सम्बन्ध में जो तय हुआ है, वह सूचना मैं आपको दे रहा हूं:—

एक तो जहां-जहां चुनाव होने हैं—लोक लेखा समिति के लिए २१ सदस्यों, प्राक्कलन समिनि के लिये २५ सदस्यों, २७ स्थायी समितियों में प्रत्येक में १६-१६ सदस्यों, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के लिए २ सदस्यों, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के लिए ४ सदस्यों तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज सलाहकार परिषद् के लिए ३ सदस्यों के इनका कार्यक्रम यह है—नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समय—मंगलवार, ३०-७-७४ अपरान्ह ३ बजे तक। जो समितियों के इच्छुक सदस्य होंगे वह अपना नामांकन पत्र इस समय तक दे सकेंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा बुधवार, ३१-७-७४ को ३ बजे तक, सचिव, विधान सभा के कमरे में। नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय—शुक्रवार, २ अगस्त, १९७४ को अपरान्ह ४ बजे तक। मतदान यदि आवश्यक हुआ लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज सलाहकार परिषद् के लिए मंगलवार, ६ अगस्त, ७४ को १२ बजे दिन से अपरान्ह ५ बजे तक विधान वाचनालय, विधान भवन लखनऊ में तथा २७ स्थायी समितियों के लिये बुधवार, दिनांक ७-८-७४ को दिन के १२ बजे से अपरान्ह ५ बजे तक विधान वाचनालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, इन कमेटियों के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहिए। पहले भी इनके लिए तारीख निश्चित हुयी थी और नाम-निर्देशन पत्र भी दाखिल हुए थे। तो जो पहले दाखिल हुए थे, वही इसके लिए समझे जाएंगे या फिर से दाखिल करने होंगे।

श्री अध्यक्ष—

उसको मैंने आपकी सहमति से टाल दिया था। सदन की सहमति का प्रश्न है। आप सबकी इच्छा लेकर राय रखते हैं उसको क्या...

× × × ×

---

[×××] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

## ८० फैक्ट्रियों को प्रदेश के बाहर ले जाने की सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने से उत्पन्न आर्थिक संकट के सम्बन्ध में वक्तव्य

**वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—**

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में गत वर्ष से चल रहे गम्भीर विद्युत संकट से उत्पन्न विषम समस्या सर्वविदित है । इसके फलस्वरूप शासन के सतत् प्रयासों के उपरांत भी प्रदेश के विभिन्न अधिक विद्युत् इस्तेमाल करने वाले नये उद्योगों, विशेष रूप से स्टील आर्क फरनेस की इकाइयों को, अपेक्षित विद्युत् भार उपलब्ध कराया जाना सम्भव न हो सका है । उपरोक्त आधार पर, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाई स्थापित किए जाने हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त ६ उद्यमकर्ताओं ने प्रदेश शासन से अनुरोध किया था कि उन्हें प्रस्तावित इकाइयां प्रदेश के बाहर ल जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा "अनापत्ति पत्र" (नो आब्जेक्शन सार्टीफिकेट) दे दिया जाय । आल इंडिया मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से प्रार्थना की कि यदि शासन उद्यमकर्ताओं को अपेक्षित समय पर विद्युत् शक्ति उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है तो उन्हें दूसरे राज्यों में जाने की अनुमति देना न्यायोचित होगा, क्योंकि अब तक विनियोजित व प्रस्तावित भारी पूंजी लगाने के उपरांत अपनी इकाइयों का यहां रख-रखाव उनके लिये सम्भव न हो सकेगा । विद्युत् शक्ति की उपलब्धि में कठिनाइयों तथा उसके अभाव से उद्यमकर्ताओं के लिए उत्पन्न होने वाली वास्तविक समस्याओं व उपलब्ध मशीनरी राष्ट्र हित में उत्पादन करे इस महत्व को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय किया गया कि ऐसी प्रत्येक प्रार्थना पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाय । उपरोक्त प्रत्येक मामले में विस्तृत रूप से छानबीन की गई, परन्तु वर्तमान में उनको अपेक्षित विद्युत् भार उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना नहीं पाई गई । उल्लिखित परिस्थिति में छः उद्यमकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा "अनापत्ति पत्र" जारी किया गया । ये ६ इकाईयां हैं—

(१) गंगा स्टील एन्ड एलायज लि०, लखनऊ,
(२) राठी इस्पात लि०, गाजियाबाद,
(३) राठी एलायज एन्ड स्टील लि०, गाजियाबाद,
(४) राठी गैसेज लि०, गाजियाबाद
(५) प्योर गैसेज प्रा० लि०, गाजियाबाद तथा
(६) ट्यूमस इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लि०, इलाहाबाद ।

इनमें से पहली तीन इकाइयां लगी हुयी हैं तथा शेष तीन स्थापित नहीं हुई हैं, केवल लाइसेन्स मिले हैं । केवल उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा अपेक्षित विद्युत भार उपलब्ध कराये जाने में असमर्थता व्यक्त किये जान की दशा में ही, पार्टी की प्रार्थना पर विचार किया गया तथा उसे इकाई बाहर ले जाने की अनुमति दी गयी है । जैसा कि ऊपर कहा गया है, अब तक केवल छः इकाइयों को ही ऐसी अनुमति दी गई है ।

२—विद्युत् शक्ति की कमी को दृष्टिगत रखते हुए ही, राज्य सरकार उद्यमकर्ताओं को स्वयं अपने डीजल जेनरेटिंग सेट्स । टर्बो सेट्स लगाने हेतु प्रोत्साहित कर रही है । इस योजना के अन्तर्गत, उक्त सेटों के क्रय हेतु विभिन्न औद्योगिक निगमों तथा बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है । उन सभी इकाईयों को जो नये सेट्स या उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् से प्रथम बार क्रय किए गए पुराने सेट्स क्रय करके औद्योगिक प्रयोजनार्थ लगाती हैं, उन्हें उन सेट्स के मूल्य का २५ प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा सब्सीडी दी जाती है, शर्त यह है कि प्रति इकाई सब्सीडी की अधिकतम धनराशि डीजल सेट्स के लिये ५ लाख रु० तथा टर्बो सेट्स के लिए १० लाख रुपये हैं । छोटी इकाइयों को और अधिक प्रोत्साहित करने के ध्येय से उपरोक्त सब्सीडी की धनराशि लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों के लिये १ जनवरी, १९७४ से ५० प्रतिशत कर दी गयी है। मार्च, १९७४ तक २४० इकाइयों को डीजल जेनरेटिंग

सेट्स लगाने के सम्बन्ध में ८२,७८,२४७ रु० की सबसीडी स्वीकृति की जा चुकी है। इन जेनरेटिंग सेट्स के स्थापित हो जाने पर प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में ५० एम० वी० ए० की वृद्धि होने की आशा है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों को या तो अपने इस्तेमाल के लिये या मिलकर अपने सबके इस्तेमाल के लिये पावर प्लान्ट्स लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

३—राज्य सरकार का यह प्रयास है कि प्रदेश से उद्योग बाहर जाने के बजाय यहां नये उद्योग बढ़े। पर बिजली की भारी कमी व उपलब्ध बिजली के खेती के इस्तेमाल करने के महत्व को देखते हुए अत्यधिक बिजली खर्च करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देना फिलहाल संभव नहीं है। आशा है, भविष्य में बिजली उत्पादन के बढ़ने पर स्थिति में सुधार होगा।

(वित्त मन्त्री के वक्तव्य के मध्य कई सदस्य खड़े होकर बोलते रहे और नारे लगाते रहे और सदन में काफी शोर मचता रहा।)

## श्री अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही के किसी अंश को निकालने के अधिकार पर आपत्ति

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह बर्दाश्त नहीं किया जायगा। आप सदन की कार्यवाही नहीं चला सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

मैं मांग करता हूं कि खाद्य मन्त्री इस्तीफा दें।

(कई सदस्य अध्यक्ष की तानाशाही नहीं चलेगी। जोर जुल्म के चक्कर में अध्यक्ष की तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष—

नियम ५६ के अन्तर्गत आज सात सूचनायें जिनको सभी को मन अस्वीकार किया है। (व्यवधान शोर) (सदन में इतना शोर हो रहा था कि कुछ सुनाई नहीं दिया।)

श्री अध्यक्ष—

अब कार्य सूची ७ (व्यवधान)।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम नहीं था जैसा कि मोतीलाल जी ने बताया कि उस दिन इधर से मांग की गई थी कि दोनों मन्त्री इस्तीफा दें क्योंकि उनकी कांस्टीटुयेंसी का सदस्य हार गया। आपने यदि इसको कार्यवाही से निकाल दिया है तो यह विचारणीय विषय है क्योंकि कोई अशोभनीय बात या जैसी बात जिससे जनतन्त्र के चलने में बाधा पैदा करने वाली मान्यता पैदा हो तो ऐसी बात कहीं जाये तो आप निकाल दें। लेकिन एक राय की बात है और कुछ मित्रों ने कहा उसको आपने निकाल दिया तो मैं गुजारिश करूंगा कि यह विचारणीय है। आप इस पर विचार करें। कम से कम मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही कि माननीय देहलवी जी लिख कर दें तो उससे सहमत हूं। मैंने उनसे कहलवाया भी था कि आज न सही कल उठ जायेगा। मैं दरख्वास्त करता हूं कि वह इसको कल उठायें। अगर आप अपने आदेश वापस नहीं लेते हैं तो यह बहस का विषय हो जाता है। फिर बहस कल इस पर हो।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो मेरी इजाजत से खड़ा होकर नहीं बोलना है वह कार्यवाही का अंग है या नहीं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

उसी सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—

मान लिया यहां आपस में बात करते हैं। हमारे लिए जो नियम है वह यह है कि जिसको मैं इजाजत दंगा वह अपनी बात कहे। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने जिस बात को कहा वह ठीक कहा, लेकिन जो अध्यक्ष के विरुद्ध नारे लगाये गये उसके विरुद्ध उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

श्री अध्यक्ष—

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर) आप न बोलिए, नेता विरोधी दल।

चौधरी चरण सिंह—

सवाल यह उठता है कि अगर आप कोई नियम बनाते हैं तो सब पर लागू हो, तो मुझे आपत्ति नहीं। आपकी इजाजत नहीं ली इसलिए दर्ज नहीं हुई तो फिर आप पहले से बतला देते तो देहलवी साहेब चप हो जाते। फिर आपने यह क्यों कहा कि लिखकर दीजिए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

तानाशाही के नारे लगाये जा सकते हैं ?

(विरोधी पक्ष की ओर से शोर)

श्री अध्यक्ष—

मुझे केवल यही कहना है कि किसी तानाशाह के सामने "तानाशाही नहीं चलेगी" कहने की हिम्मत नहीं होगी।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाये थे। कई लोगों के कार्य-स्थगन के प्रस्ताव हैं। बीच में मन्त्री को बुला दिया।

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन है। मैं फिर सुनाये देता हूं। माननीय सदस्य अगर कोई सुनना नहीं चाहता और कार्य स्थगन की नोटिस मैं पढ़ रहा हूं। और मैंने बता दिया। अब नियमानुसार तो मुझे जो स्वीकार करना है किया और शेष अस्वीकार, लेकिन मैं सुनता भी हूं। लेकिन सवाल यह है कि इसमें व्यवस्था नहीं है। आप चाहते हैं कि इसको फिर पढ़ दिया जावे।

८० फैक्ट्रियों को प्रदेश के बाहर ले जाने की सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने से उत्पन्न आर्थिक संकट के सम्बन्ध में वक्तव्य—(क्रमागत)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, मैं सुन नहीं सका और आ गये। यह जो इन्डस्ट्रीज उत्तर प्रदेश की....

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि इसी समय व्यवस्था का सवाल उठाते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आपके संरक्षण में.....

श्री अध्यक्ष—

आप सुनें। आप कहें कि कार्य-स्थगन को फिर से सुनाया जाये। यह व्यवस्था का प्रश्न उठना है कि मैंने नहीं सुना ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

यह जो इन्डस्ट्रीज उत्तर प्रदेश के बाहर जाने की इजाजत दी गयी है तो क्या सरकार ने उसके वर्कर्स के कम्पेन्सेशन के लिए गारन्टी ली है और उसक उत्पादन के लिए कोई इन्तजाम किया है। जो जनरेटर लगाये गये हैं क्या आपको मालूम है कि उसके इन्जन ब्लैक में बिक रहे हैं और उसकी सब्सीडी इस ब्लैक के दाम पर देंगे ?

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, उनसे यह पूछताछ की जा रही है कि वह जो उनके कर्मचारी हैं उनको अपने साथ लेते जायें। इसक लिए कहा जा रहा है। जहां तक जेनरेटर की सब्सीडी का प्रश्न है, जो नये हैं तभी उनको सब्सीडी दी जाती है और यह उनके ऊपर है कि वह कहां से खरीदते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह मान्डेटरी है कि आब्लिगेटरी मजदूरों को ले जायेंगे कि नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह पूरा प्रयास किया जायगा कि वह यथासम्भव सभी मजदरों को अपने साथ ले जायं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मन्त्री जी जो कम्पेंसेशन का जो प्राविधान है, उसको रिलीवेंट धारा जो है उसका इस्तेमाल करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, जरूर। अगर कोई अपरिहार्य करना पड़ा तो जरूर करूंगा।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हमारा प्रदेश उद्योग के मामले में पिछड़ा हुआ है और हमारे प्रदेश से इन्डस्ट्रीज बाहर भेजी जा रही हैं। यह एक गम्भीर समस्या है। इस गम्भीर समस्या को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बना ली है कि अमुक अवधि तक कृषि में काम आने वाली बिजली की योजना को पूरा कर लेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन, जैसा कि मैंने इसमें उल्लेख किया है। केवल उन्हीं उद्योगों को विशेष परिस्थितियों में इजाजत दी गई है जिनमें बहुत अधिक बिजली खर्च होती है और उनके

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अनुपात में रोजगार नहीं मिलता है और उन्हीं की बिजली बार-बार काटनी पड़ती है और वह बन्द रही हैं। महीनों तक लगातार बन्द रही हैं। तो अब जहां तक बिजली का सवाल है माननीय सदस्य अवगत हैं कि पांचवीं योजना में लगभग 1,070 करोड़ रु० इसी कार्य के लिए रखा गया कि विद्युत का उत्पादन दुगुना तक हो।

श्री कल्याण सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं योजना की जो धनराशि रखी है, जितनी आवश्यकता है खेती और उद्योग के लिए वह पूरा कर देंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री सन्त सिंह यूसूफ (जिला कानपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कृपा करेंगे कि इस तरह से इंडस्ट्री बाहर भेजेंगे तो यू० पी० को चौपट कर डालेंगे। क्या माननीय मन्त्री जी ऐसा कोई रास्ता निकालेंगे कि यहां पर पूरी बिजली सप्लाई करने की व्यवस्था करेंगे जिससे कि ये इंडस्ट्रीज बाहर न भेजी जायं। इसके बाद सरकार की यह नीति है कि नहीं कि अगर इंडस्ट्रीज को बाहर न भेजें और अपने प्रदेश में ही बिजली उनको देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां, सामान्यतः यही नीति है जैसा कि यूसूफ साहब ने कहा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब ऐसा पता लगा कि लगभग 6 फैक्ट्रीज बाहर जा रही हैं तो सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा गया है कि इसको न रोका जाय कि हम बिजली दे ही नहीं पावेंगे, इसको ले जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, विद्युत् बोर्ड से पूछा गया कि वह बिजली दे पायेंगे कि नहीं, ो विद्युत् बोर्ड ने मनाही कर दी तभी उनको बाहर ले जाने की अनुमति दी गई।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना में तिगुनी एलेक्ट्रिसिटी बढ़ जायगी तो इन सब बातों को देखते हुए इन मिल मालिकों से कहा गया कि आगे आने वाले समयों में उनको बिजली मिल जायगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां, उनसे कहा गया लेकिन उन्होंने कहा कि हमें बिजली मिलना अनिश्चित है। तो स्टील इंडस्ट्रीज के हित में ताकि उत्पादन मिल सके। हमने उत्पादन की दृष्टि से उन्हें अनुमति दे दी।

श्री सन्त सिंह यूसुफ--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की कुछ इंस्ट्रक्शन्स आये हैं इनके पास कि यहां से इन्डस्ट्रीज को जाने दो।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

भारत सरकार ने कोई दबाव नहीं दिया। वे तो केवल लाइसेंस प्रदान करते हैं।

# कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

नियम ५६ के बारे में जो सूचनायें आयी हैं, उनमें एक माननीय राम सेवक यादव की है जिसमें सूत के भाव में वृद्धि के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में बुनकरों में व्याप्त संकट के बारे में है। इसको मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

एक विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित है। यह भी मैंने स्वीकार किया है। यह माननीय ओम प्रकाश सिंह का है और इसी से लगा हुआ एक पाठ्य पुस्तकों से सम्बन्धित है।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)---

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न उठाया है वह पाठ्य पुस्तकों से नहीं बल्कि पाठ्य पुस्तकों से सम्बन्धित जो कारण बताये गये हैं कि स्कूल कालेज बन्द हुए हैं, उस पर कोई बहस नहीं हुयी है। विपक्ष के लोग बाहर चले गये तो उस समय यहां पर एक बयान मन्त्री जी की ओर से हुआ। स्थिति अब बदल चुकी है। आप देखेंगे कि पहली अगस्त तक भी पूरे सूबे के स्कूल और कालेज नहीं खुल पायेंगे। स्कूलों में छात्रों से फीस ली जा रही है, २५ लाख विद्यालयों का नुकसान हो रहा है। ऐसी भी शंका है कि रविन्द्र सिंह और अन्य छात्रों को गिरफ्तार किया जायगा। पहले ही गुन्डा ऐक्ट लागू है। प्रदेश की सारी शिक्षा चौपट है। पहली अगस्त को असेम्बली समाप्त हो रही है तो फिर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होंगी। अगर इस मामले पर बहस हो गयी तो ऐसे तरीके भी सुझाये जा सकते हैं कि बिना किताबों और कापियों के ही पढ़ाई होती रहे, जैसा कि अन्य बहुत से देशों में होता है। तो मेरी प्रार्थना है कि सदन का अन्य कार्य समाप्त करके इस पर बहस करायी जाय?

श्री अध्यक्ष---

इस समय तो असेम्बली का कार्यक्रम ५ अगस्त तक का बना हुआ है और आगे भी शायद बढ़ेगा। आप सम्भावना की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आशंका की स्थिति है।

श्री सत्यपाल मलिक---

श्रीमन, इससे विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है। मेरा सुझाव है कि इस पर तुरन्त चर्चा होनी चाहिए। यह सदन नाटक के लिए तो नहीं है। प्रदेश में २५ लाख नौजवान का पढ़ाई का प्रश्न है, आप इस पर चर्चा नहीं करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप तो आशंका की बात कर रहे हैं।

श्री सत्यपाल मलिक---

मान्यवर, स्कूल कालेज बन्द पड़े हुए हैं, शिक्षा मंत्री का जो वक्तव्य हुआ वह एक प्रकार से मोटीवेटेड बयान था। आप से प्रार्थना है कि सदन को इस पर विचार करने का आप एक मौका दें। श्रीमन, इससे बढ़कर मसला और क्या हो सकता है?

श्री अध्यक्ष---

जरूरी है। यह महत्वपूर्ण भी है। इस पर बहस होनी चाहिए आप लिखकर दफा ५२ में नोटिस दें। आप स्वयं इसमें आशंका और संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर यदि आप चर्चा चाहते हैं तो लिखकर दे दें?

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

श्रीमन, यह आशंका व्यक्त की गई है। आप दूसरे मुद्दों पर भी गौर करें।

(व्यवधान)

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाखों विद्यार्थियों का प्रश्न है। तो मेरा सुझाव था कि नियम ५२ क अन्तर्गत इनको आप इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष--

लिखकर दे दें उसको।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

इसमें जो कार्य-स्थगन पेश किया गया है, शिक्षा मंत्री जी मौजूद नहीं हैं, और मौजूद हैं। तो जैसा कि कहा गया कि इस सेशन को 1 अगस्त से आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी जो फीस ली जा रही है उसमें जुलाई की फीस भी ली जा रही है इससे बड़ा असन्तोष है। आखिर 29-27 दिन....

श्री अध्यक्ष--

इसको भी तभी उठाइयेगा तो बहुत आसान हो जायगा।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

इस पर क्या व्यवस्था दी ?

श्री अध्यक्ष--

इसको अस्वीकार ही करेंगे।

एक श्री सत्यप्रकाश मालवीय ने इलाहाबाद में हरिजनों और भूमिहीनों की हड़ताल के सम्बन्ध में दिया है। तो इस पर प्रश्न कर लें।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

वहां १७ मई और १२ मई को भी प्रदर्शन हुआ और बराबर दो माह से हो रहा है। श्री बहुगुणा, उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के उपसचिव श्री एम० एस० सन्त वहां तीन मर्तबा लखनऊ से गये, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहां भूख हड़ताल जारी है। कोई आश्वासन नहीं दिया गया। १२-१२ को भूख-हड़तालियों की गिरफ्तारी भी प्रारम्भ हो चुकी है और 15 हरिजन जेल भेजे जा चुके हैं और स्थिति भयंकर हो गयी है। प्रश्न से इस समस्या का समाधान नहीं होगा इसको तो वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लें।

एक सदस्य--

भूख हड़ताल से तो एक हरिजन पागल हो गया।

श्री अध्यक्ष--

भूख हड़ताल में वक्तव्य के लिए स्थान नहीं है। १२-१३ का अविलम्बनीय है, लेकिन भूख-हड़तालियों का नहीं। गिरफ्तारियों के बारे में भी कायदे-कानून का सवाल है। यह प्रशासनिक मामला है। इसमें कोई मांग नहीं दिखाई। अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं। अध्यक्षों की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सदन द्वारा निर्मित किसी कानून को जानबूझ कर भंग करने पर आप नियम ५६ पढ़ लें, तो ऐसी स्थिति में वक्तव्य के लिए नहीं दिया जा सकता, केवल प्रश्न किए जा सकते हैं।

**श्री सत्यप्रकाश मालवीय--**

३१ जून, को मैंने उठाया था तो मान्यवर ने आदेश दिया था अल्पसूचित प्रश्न पूछूं । मैंने अल्पसूचित प्रश्न दिए और आज १५ दिन हो गए, गिरफ्तारी बराबर हो रही है कोई नीति में परिवर्तन नहीं है । तो इस पर मुख्य मन्त्री का वक्तव्य करादें जिससे समस्या का समाधान हो जाय ।

**श्री अध्यक्ष--**

माननीय ओम प्रकाश सिंह ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रावासों में सस्ते गल्ले के अभाव से उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में है । यह केवल वक्तव्य के लिये है । अब विश्वविद्यालय खुले हैं ।

**श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--**

मैं दे चुका था । खाद्य स्थिति पर उन्होंने चेतावनी दे रखी थी .....

**श्री अध्यक्ष--**

वह हो गया । (व्यवधान)

**श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--**

उनके लड़के जय प्रकाश का भी कत्ल कर देंगे ।

**श्री अध्यक्ष--**

लिख कर आप दें तब कार्यवाही के लिये भेज दूंगा ।

**श्री राम सेवक यादव--**

मैंने शुक्रवार को लिख कर भी दिया था ।

**श्री अध्यक्ष--**

उसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है ।

**श्री राम सेवक यादव--**

वह इस सदन के माननीय सदस्य थे और ८ तारीख को उनकी हत्या हुई । वहां से सूचना नहीं आयी ।

**श्री अध्यक्ष--**

हम इत्तला करते हैं । डी० एम० के यहां से सूचना आती है ।

**श्री राम सेवक यादव--**

मेरा निवेदन सुन लें । जब वहां के जिलाधीश ने आपके लिखने के बाद भी अब तक सूचना नहीं भेजी तो उनकी हत्या के बारे में क्या कार्यवाही होगी ?

**श्री अध्यक्ष--**

सूचना तो आती है ।

**श्री कृष्णा राय--**

माननीय कुशवाहा जी भूतपूर्व सदस्य थे । उनका एक ही लड़का है, उसका भी कत्ल हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप ही की बात राम सेवक जी कह रहे हैं ।

श्री रामसेवक यादव—

मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन था कि ८ तारीख की घटना है । अगर किसी बीमारी से मर गये होते और कलेक्टर साहब को न पता चलता तो समझ में आता ।

श्री अध्यक्ष—

चौधरी साहब जानते हैं, उनका जीवन वृत्त, सब कुछ तैयार होता है । डी० एम० भेजता है तब हम प्रस्ताव पारित करते हैं । जल्दी हो जायगी ।

श्री रामसेवक यादव—

ऐसी जो घटनायें घटती हैं और वहां से इत्तला नहीं आती है तो मुलजिमान के प्रति और रक्षा आदि के लिये वहां के अधिकारी क्या करते होंगे ।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो १७ को वक्तव्य भी है । एक आध मर्तबा ऐसा भी हो गया कि छुट्टी हो गयी और मत्यु नहीं हुई । तो एक प्रामाणिक सूचना जिलाधिकारी भेजता है ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्री कुशवाहा सदन के भतपूर्व सदस्य मार डाले गये । तो हम लोग जो सूचना देते हैं कि उनकी मृत्यु हो गयी तो यहां शोक प्रस्ताव तो पास होना चाहिये । अगर आप यह नहीं करते हैं और वहां के जिलाधिकारी ने सूचना नहीं दी इसी वजह से कातिली भाग कर लखनऊ आ गये है और किसी मंत्री के निवास में मौज ले रहे हैं । हम लोगों का जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा ?

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

आपने ६ तारीख को स्वीकार कर लिया था । इतने दिनों तक जिलाधिकारी द्वारा सूचना न देने का मतलब यह है कि उनकी इस कत्ल में रुचि नहीं है । उसका एक मात्र जो लड़का है उसको भी कत्ल करने की धमकी दी जा रही है । कातिल एक मंत्री के संरक्षण में यहां मौजद है । यह मर्डर पोलिटिकल हो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अगर शासन अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव निधन का नहीं रखता है तो नेता विरोधी दल को भी अधिकार है ।

चौधरी चरण सिंह (जिल मेरठ)—

आप गवर्नमेंट से कहें, सूचना तो टेलीफोन पर या पर्सनल मैसेन्जर भेज कर भी प्राप्त की जा सकती है । ११ को इस पर बहस हो सकती थी । आज १५ तारीख हो गयी । उनका कत्ल हो चुका है, लड़के को भी कत्ल की धमकी दी जा चुकी है....

श्री अध्यक्ष—

१७ तारीख को वक्तव्य आयेगा ।

चौधरी चरण सिंह—

क्यों ? पहले क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

पहले एक और वक्तव्य था। आज एक बिल है। १६ को ५ बजे से कार्य-मंत्रणा समिति की मीटिंग है।

चौधरी चरण सिंह—

अब आपने रख दिया तो हम क्या करें। लेकिन यह मामला बहुत गम्भीर है।

*श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

मैं स्वतः कुशवाहा जी के घर गया था। वहां आतंक का वातावरण छाया हुआ है। थानाध्यक्ष और पुलिस कप्तान दोनों की साठगांठ से कत्ल हुआ है। ६ दरख्वास्तें कत्ल से पहले दी गयीं कि उनके कत्ल का खतरा है। उसके बावजूद भी कत्ल होता है। देवरिया के मंत्री के घर में कत्ल करने वाले पनाह लिये हुये हैं। कुर्की भी कागज पर हुई है। उनके हलवाहे को भी परसों पीटा गया। उसका सर फट गया। कैलाश सिंह के घरवालों के सभी लोगों को खतरा बना हुआ है। मैंने भी ६ तारीख को लिख कर दिया था। अगर एक मंत्री जी के घर की तलाशी ले ली जाय तो पता चल जायेगा कि चारों के चारों कातिल पड़े हुये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

११ तारीख को यह मेरे पास आया ११ को मैंने स्वीकार किया। १३-१४ को बैठक नहीं हुई।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ? यहां पर एक आरोप लगाया गया कि एक मंत्री के घर में कातिल छिपे हैं। तो यह आरोप सही है या गलत इसकी जांच होनी चाहिये और मंत्री महोदय का बयान होना चाहिये। माननीय सदस्य यह बात जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, इसके बारे में आपके आदेश होने चाहिये ?

*वित्त मंत्री (श्री नारायन दत्त तिवारी)—

मान्यवर, यह अत्यन्त दुःख का विषय है कि हमारे सम्मानित साथी जिनके साथ मुझे भी इस सदन में कार्य करने का मौका मिला है, अत्यन्त दुखांत परिस्थितियों में मृत्यु हुयी। अब वह हमारे बीच में नहीं है। मान्यवर, उनके कार्य और उनका स्वभाव जो था वह किसी से छिपा नहीं था। अब उनकी मृत्यु के संबंध में जब इस पर प्रस्ताव आयेगा तो मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा और माननीय नेता सदन भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं तो केवल इसीलिये उठा कि अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं। जहां तक इस संबंध में बहस का प्रश्न है नेता सदन ने एक तिथि निर्धारित की है। मैं सम्मानित नेता विरोधी दल और सम्मानित सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि तथ्य किसी प्रकार से न प्रस्तुत करने का शासन का कोई विचार नहीं है। जो आप समय और तिथि निश्चित करेंगे उस पर वक्तव्य दिया जायेगा। सम्भवतः आपने १७ जुलाई निश्चित किया है।

जैसा अभी यहां कहा गया कि मंत्री जी के घर में कातिल छिपे हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के आरोप सम्भवतः न लगायें और वह सम्भवतः इस बात को नहीं दोहरायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

मान्यवर, माननीय सदस्य नाम बतायें, इसके बारे में कार्यवाही होनी चाहिये ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरि केवल---

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है मैंने जिस तारीख को उनको यहां पर देखा तो शायद आपने भी देखा होगा। आप नाम खुद ही जान सकते हैं और तलाशी भी ले सकते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग---

मान्यवर, नाम बताया जाना चाहिये और तलाशी होनी चाहिये।

श्री हरिकेवल---

मैंने श्री राज मंगल पांडे जी के कमरे में उनको देखा था।

(विपक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

श्री रघुराज सिंह (जिला देवरिया)---

मान्यवर, यह मामला मेरे क्षेत्र का है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

११ तारीख की सूचना आपने सरकार को दी होगी डी० एम० ने इसकी सूचना दी होगी कि श्री कुशवाहा का कत्ल हो गया १७ तारीख आपने वक्तव्य के लिये स्वीकार की है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सूचना आयी कि नहीं।

*श्री रघुराज सिंह (जिला देवरिया)---

मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र से संबंधित है जहां से मैं चुनकर आया हूं। जो यहां पर कहा गया तो मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि यह कोई राजनतिक घटना नहीं है। यह गांव के झगड़े की बात है। रिपोर्ट आपके सामने तो आयेगी ही। राजनीतिक कलर देना यह विरोधी पक्ष का काम है। श्री हरि केवल प्रसाद ने जो कहा है उसकी पूरी जानकारी मुझे भी है और इसमें कोई राजनीतिक हाथ नहीं है। यह व्यक्तिगत मरडर है। मान्यवर, सही बात कही जाय। श्री हरि केवल प्रसाद जी ने झूठी बात कही है। मान्यवर, अभी कोई आदमी श्री राजमंगल पांडेय के वहां भेजा जाय और इसका पता लगाये। यह बिल्कुल झूठा आरोप है।

(व्यवधान)

श्री हरि केवल---

आज के पहले मई महीने में श्री यादव का कत्ल हो गया। कातिलों को माननीय सदस्य जमानत पर रिहा कराया। श्रम मंत्री जी के कहलाने पर वह कातिल छूटा।

श्री रघुराज सिंह (जिला देवरिया)---

मान्यवर, यह बात ठीक नहीं है। ऐसी बातों को माननीय अध्यक्ष जी रोकें।

## १९७४-७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-
## अनुदान संख्या १०--राज्य आबकारी

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

श्री राज्यपाल की सिफारिशों से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १०-राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४७,८७,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

# कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं—(क्रमागत)

**श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—**

स्वर्गीय कुशवाहा के पुत्र श्री जय प्रकाश की रक्षा के लिये मान्यवर, आप कुछ प्रबन्ध करायें क्योंकि उनका भी कत्ल होने का अंदेशा है। इसलिये सरकार की तरफ से कोई आदेश मान्यवर दिलवा दें जिससे कि उसकी रक्षा हो सके।

**चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—**

मैं श्री तिवारी जी को यह सजेस्ट करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि इसमें क्या दिक्कत है कि होम सेक्रेटरी को कहें कि वह सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस को इन्स्ट्रक्शन्स दे कि मृतक का जो लड़का है उसकी रक्षा की जाय। क्योंकि उनके लड़के की हत्या होने का अंदेशा है। इसमें सरकार को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

**वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—**

नेताव विरोधी दल का सुझाव मुझे स्वीकार है। यदि माननीय सदस्य मुझ इस बारे में, मेरे कमरे में आकर, पूरी जानकारी करा दें कि सुरक्षा की क्या कार्यवाही होनी चाहिये तो मैं सचिव से बात करूंगा।

**श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—**

मान्यवर, अभी कातिल के बारे में यह कहा गया है कि वह मेरे यहां है। तो इसी पर मैं स्टेटमेन्ट देकर आया हूं। वह कोई पोलिटिकल मोटिव से मर्डर नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैंने सुना है कि मेरा नाम लिया गया इसलिये मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस बृज किशोर जी को जानता भी नही हूं, देखा नहीं है और मुझे मैलाइन करने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं जिसकी मैंने शक्ल नहीं देखी और इस प्रकार से प्रचार किया जाय तो कितनी गन्दी और छोटी बात है।

**श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—**

श्री कैलाश कुशवाहा के मरने की सूचना अभी तक सदन में क्यों नहीं आई। इसका मंत्री जी जवाब दें।

**श्री राज मंगल पांडेय—**

यह सूचना आज आ गई है। जिससे सूचना मांगी गई थी एस०पी० से वह डी०आई०जी० के दौरे पर था।

**श्री बांके लाल—**

यह जनता के साथ ज्यादती है। (व्यवधान)

**श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—**

मई के महीने में मुखलाल यादव का कत्ल हुआ और कैलाश कुशवाहा ने कत्ल में उनका नाम लिखवाया। मैंने उन्हीं कातिलों को रघुनाथ सिंह के साथ देखा। मने उन्हीं लोगों को श्रम मंत्री के दरवाजे पर देखा। मान्यवर, इस की सी०आई०डी० के द्वारा जांच करवाई जाय ?

(व्यवधान)

श्री बांके लाल---

मैं पूरे हाउस के माननीय सदस्यों के समक्ष यह सवाल रखता हूं और आपसे पूछता हूं कि सरकारी पक्ष का अगर कोई भूतपूर्व एम०एल०ए० मर जाता है तो आप शोक प्रस्ताव लाते हैं और हम लोगों की उपेक्षा करते हैं। और आप और सरकार हम लोगों को हीन दृष्टि से देखते हैं। आप भी हमारी बातों को सही ढंग से नहीं सुनते.....

श्री अध्यक्ष---

आप इस तरह से नहीं कह सकते। आप कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर मुझे खेद है कि आपके पास समय से अधिकारिक सूचना नहीं आ सकती। मैं इसकी अवश्य जांच कराऊंगा! क्यों नहीं आपको सूचना मिली।

श्री रघुराज सिंह (जिला देवरिया)---

मान्यवर, इस तरह से मेरा नाम लेकर और माननीय मंत्री जी का नाम लेकर बदनाम किया जाता है। चूंकि विधान सभा के सदस्य होने के नाते यह यहां पर कुछ भी कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय विधायक जो देवरिया के हैं उनके यह आपसी झगड़े हैं यह सदन के बाहर ही रहने चाहिये। यह स्थल नहीं है इन झगड़ों का।

श्री रघुराज सिंह (जिला देवरिया)---

कोई गवाह है, किसी ने देखा है। इन सारी बातों की छानबीन होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप तीनों माननीय सदस्य देवरिया के हैं। मैं उनको टोकता हूं। मुझे लगता है कि आप अपने आपस के झगड़े यहां रख रहे हैं। बाहर का मनोमालिन्य यहां लाते हैं। जो सवाल उठा है यहीं तक सीमित रहना चाहिये। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो सूचना नहीं आई है वह जल्दी आ जायगी।

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

जैसे ही एजेन्डा में आबकारी का आइटम नजदीक आया तो सदन में गरमागरमी शुरू हो गयी। मालूम होता है आबकारी का असर हो गया।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

आप पर तो कोई असर नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

(प्रेस गैलरी में बैठे प्रेस प्रतिनिधियों से कुछ सदस्यों द्वारा बात करने पर।) आप खड़े होकर बात करने लगते हैं यह उचित नहीं है। आपको प्रेस वालों से बात नहीं करनी चाहिये, मैं यह निवेदन करूंगा।

# १९७४–७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १०––राज्य आबकारी–(क्रमागत)

*राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)––

अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं आबकारी विभाग का बजट रखूं माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिये कि पिछले वर्ष हाउस ने हमको खर्च करने के लिये ७४ लाख ३७ हजार रुपया मंजूर किया था और इस साल ७४–७५ के लिये ७० लाख १० हजार रुपया रखा गया है। पिछले साल से इस साल ४ लाख ३६ हजार की कमी कर दी गयी है। श्रीमन्, पहले मैं अलकोहल के उत्पादन के विषय में इस सदन को बताना चाहता हूं। ७२–७३ में अलकोहल का उत्पादन ९८.५० मिलियन लीटर का हुआ जिसमें से ३१.६ मिलियन लीटर और १८.८ मिलियन लीटर अलकोहल प्रदेश के जो प्रमुख उद्योग थे बरेली की सिन्थेटिक केमीकल और बाराबंकी का सोमेया उनको दिया गया। २४.२ मिलियन लीटर प्रदेश के बाहर निर्यात किया गया। २८.६ मिलियन लीटर प्रदेश के भीतर पेय के लिये और दवाइयों के निर्माण के लिये दिया गया। ७३–७४ में उत्पादन बढ़कर १२० मिलियन लीटर हो गया और वह भी इसी हिसाब से जो बड़ी-बड़ी फैक्टरीज थीं उनमें बांटा गया। अब जाकर ७४–७५ में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है और हमने बरेली की सिन्थेटिक का कोटा और बाराबंकी की फैक्टरी का भी कोटा बढ़ाया है। बाहर जो निर्यात करते थे उसमें भी काफी निर्यात होने लगा है। प्रदेश के अन्दर जो खपत होती थी उसका भी कोटा बढ़ गया है।

श्रीमन्, अलकोहल के बनाने में जो मुख्य पदार्थ है वह सीरा है। १९७३–७४ में शीरे

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

का जो उत्पादन होता था उसका कोई ठीक प्रबन्ध नहीं था। शीरा नियंत्रण बना था, जिसमें ४० प्रतिशत शीरे को जो क्वालिटी से कम माना जाता था, मिल मालिकों को बेचने के लिये स्वतंत्रता थी। उसका नतीजा यह होता था कि हमारे मिल मालिक स्मगलिंग बहुत किया करते थे। अच्छे शीरे को कम क्वालिटी का बतलाकर और तरह-तरह से उसको बेचकर उससे इस प्रदेशीय सरकार को काफी नुकसान होता था। अतः परसाल एक शीरा नियंत्रण ऐक्ट बनाया गया जिसमें पूरे शीरे को नियंत्रित किया गया और कोई भी शीरे को बिना इजाजत बेचने की परमीशन नहीं दी गयी। श्रीमन्, जो नियंत्रित था, लघु उद्योग के नाम से छोटा उद्योग किया जाता था। छोटा उद्योग कम कीमत से मिलों से लेता था और ब्लैक से बड़ी कीमत पर शराब के लिये बेच देता था। उस छोटा उद्योग को खत्म किया गया। इस तरह से शीरे पर नियंत्रण करने पर और विभाग के द्वारा काफी सतर्कता से काम करने और नियंत्रण रखने से यह हुआ कि जो ब्लैक होता था, वह बन्द हो गया और फलस्वरूप अल्कोहल का उत्पादन बढ़ा।

श्रीमन्, वैसे तो हमारी सरकार की नीति है कि अनुच्छेद ४७ के अनुसार धीरे-धीरे पूरे सूबे में नशाबन्दी की जाय। इसके लिये प्रयास जारी है और इस नशाबन्दी या प्राहीबीशन के सिलसिले में राज्य सरकार ने जो कदम उठाये हैं, वे काफी हैं। मसलन, ५ पर्वतीय जिलों में, –जैसे चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल–प्राहीबीशन कर दिया गया है। इसके बाद बहुत से तीर्थ-स्थानों में तीर्थ यात्रियों की मांग आयी थी। उसमें हरद्वार, ऋषिकेष, आदि, इनमें भी नशाबन्दी कर दी गयी है। श्रीमन्, प्रदेश भर में कुछ ऐसे पदार्थ है, जैसे चरस-गांजा, अफीम जिनका प्रतिबन्ध कर दिया गया है। इसके बाद मद्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

निषेध के लिये, जो मादक वस्तुयें बिकती थीं, वह हफ्तों में मंगलवार को पूरे सूबे में नहीं बिकेंगी इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय पर्व हैं, उन पर भी इन मादक वस्तुओं का विक्रय बन्द है । इस प्राहीबीशन को निगाह में रखते हुये ऐसे कदम उठाये गये हैं कि जिससे इनका पीना कम होता चला जाय । मसलन, जो हमारी ड्यूटी है, ऐसा अनुभव है कि जो अवरोध रखा है, तो जो इसको बनाकर पीते है, पिछले साल सन् १९७३ या १९७४ में कुछ मौतें कानपुर में हुयी थीं और उनको रोकने के लिये जो हमारी डिनेचर्ड स्प्रिट है, विकृत स्प्रिट है उसके कम कीमत पर बिकने के कारण ठेकेदार या गैर ठेकेदार उसको खरीद कर उसे पीने वाली वस्तु बना लेते थे, लेकिन जब बनाने में उनके कुछ कमी हो जाती थी या विकृत स्प्रिट के मिलाने में अनुपात कम और बढ़ जाने से अगर मौत न भी हुई तो धीरे-धीरे उसकी सेहत पर असर अवश्य पड़ता था और उसकी आंख की रोशनी कम होती चली जाती थी । जब मैं आबकारी विभाग का मंत्री था तो मैंने इसका परीक्षण करवाया और एक ऐसा तरीका निकलवाया अगर कोई इस डिनेचर्ड स्प्रिट से पेय पदार्थ बनाता है तो उसके पीने से मौत न हो क्योंकि समाज में प्रत्येक को रोकना अथवा जुर्म करने वाले को पकड़ना बड़ा मुश्किल है । जो इसके कम्पोनेन्ट्स थे उनको ऐसा बदलवा दिया कि जब वह इसे जबान पर रखेगा तो कै हो जायगी—अन्दर पदार्थ नहीं जायगा । इसके अलावा उसका रंग भी दिया गया । सदन को मालूम होगा कि ४० मौतों के उपरान्त सूबे में एक भी मौत नाजायज शराब बनाने से नहीं हुई । इस तरह से जो नाजायज शराब पीते थे, सस्ती बना कर पीते थे कम्पोनेन्ट्स बदलने से वह चीज खत्म हो गयी और यह स्टेप प्राहीबीशन की तरफ ले जाता है ।

कुछ ड्यूटी बढाई गयी । ड्यूटी बढ़ाने से यह हुआ कि जो साधारण आमदनी वाले उसे पीते थे उन्होंने पीना बन्द कर दिया अथवा उनके पीने में कठिनाई पड़ी। इसलिये जो कुछ स्टेप्स लिये जाते हैं वे इसी मौलिक नीति के अनुसार लिये जाते हैं । पिछले साल भी यह प्रतिवाद हुआ कि पूरे सूबे में एक दम से अगर प्राहीबीशन कर दिया जाय जैसा कि विधान के अनुसार करना चाहिये तो मैं समझता हूं कि वह व्यावहारिक नहीं है । कई सरकारें बदलीं और इस सरकार के समय में प्राहीबीशन की नीति आई और हमारे चौधरी साहब की सरकार भी रही लेकिन कम्पलीट प्राहीबीशन वह भी नहीं कर सके, कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां उनको भी आ रहीं होंगी ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी सम्बन्धित अनुच्छेद पढ़ दें तो आसानी होगी । उसमें कम्पलीट प्राहीबीशन नहीं है । ग्रेजुअली है— ग्रेजुअली किया भी जा सकता है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अनुच्छेद को माननीय नेता विरोधी दल ने भी पढ़ा और मैंने भी पढ़ा है । लेकिन मैं यह कह रहा था कि पिछली कई सरकारें आईं । उन सरकारों ने उस अनुच्छेद को पूर्ण रूप से पढ़ा होगा, लेकिन कौन सी बात थी कि कम्पलीट प्राहीबीशन नहीं हो सका । कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां उनके सामने भी आई होंगी और वह व्यावहारिक कठिनाई इस सरकार के सामने भी है । लेकिन उसके साथ-साथ अगर कम्पलीट प्राहिबीशन हो भी जाय तो क्या कारण है कि समाज में फिर भी मादक वस्तुयें चोरी-चोरी चलती है ?

नियंत्रण किया जाता है, लोग पकड़े जाते है और सजा की जाती है । श्रीमन्, मैं पार साल दिल्ली में एक आल-इंडिया कमेटी हुई थी उसमें मैं गया था । उसमें महात्मा गांधी की एक किताब गुजरात प्राविन्स की "कम्पलीट प्राही बिशन" के ऊपर थी । मैंने उसमें पढ़ा कि उनका कहना था कि दूसरे देशों से हमारे यहां समुद्र के द्वारा इतनी शराब आती है कि उसको रोकना मुश्किल है । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कम्पलीट प्राह बीशन हम कर भी दें तो उसके होते हुये भी लोग बाहर से क्यों मंगाते है ? तो कानून लगा देने या दंड देने से मैं समझता हूं

कि यह आसान नहीं होगा । यह तो हमारे आपके सामाजिक प्रचार से या लोगों की भावनाओं को बदल करके, संगठनों के जरिये, मद्य-निषेध द्वारा समाजोत्थान की भावना उनमें भर करके, त्योहारों, मेलों और सिनेमा-घरों में दिखला करके लोगों के विचार बदले जा सकते है । हर माननीय सदस्य इस बात को मानेगा और यह बात सही है कि शराब खराब है । जहां इसका नाम सुनने से ही नशा होता है तो उसको पीना और बुरी बात है । अगर समाज को सुधारना है और मैं समझता हूं कि सरकार अगर कम्पलीट प्रोहीबीशन कर भी दे तो जिस तरह से आज गुजरात में चारों तरफ शराब के पीने वाले मौजूद है, यहां भी होंगे और उससे केवल हम अपने राजस्व की ही हानि करेंगे और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है ।

साथ ही साथ इस विभाग के लिये सदन द्वारा जो धन मांगा जा रहा है वह सिर्फ इसकी सेवा में जो स्टाफ लगा है उसके खर्चे के लिये मांगा जा रहा है । जहां तक राजस्व वृद्धि का प्रश्न है १९७२–७३ में और उसके पहले जब यह विभाग मुझे दिया गया था तो इससे २०–२२ करोड़ रुपये की आमदनी इससे हुयी थी । पिछली मर्तबा इसकी आमदनी ४० करोड़ रुपये हुई और इस वर्ष अन्दाज है यह आमदनी ५० करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगी । यह इस बात की निशानी है कि इस काम में लगे हुये जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वे बहुत सख्त हैं क्योंकि कोई नई दुकानें नहीं खोली गयी किसी फारेन लीकर का प्रचार नहीं हुआ, जगह उतनी ही रखी तथा इसके अतिरिक्त कई दुकानें बन्द भी करवा दी गई, किन्तु फिर भी हमारी आमदनी बढ़ी है । इसके अलावा यह भी किया गया कि जो सार्वजनिक स्थान है, बाजार है, पाठशालायें है वहां लीकर की दुकान नहीं रहेगी फिर भी राजस्व में बढ़ोत्तरी हुई है । पारसाल से इस साल ज्यादा प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं, कुशल प्रशासन और कठोर नियंत्रण के कारण आशा है कि इस विभाग की ११७४–७५ की आमदनी और बढ़ जायेगी ।

**श्री बलवान सिंह** (जिला कानपुर)—

फारेन लीकर की दुकानें बढ़ रहीं हैं ?

**श्री स्वामी प्रसाद सिंह**—

आपको भाषण देने का मौका मिलेगा, तब कहियेगा । श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्यों कि मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने बहुमूल्य सुझाव इसमें दें ताकि उन पर विचार किया जा सके ।

***श्री राम सेवक यादव** (जिला बाराबंकी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०–राज्य आबकारी के अधीन सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । अधिष्ठाता महोदय, मैं एक सवाल मंत्री महोदय से पूछना चाहता था शुरू में, लेकिन उन्होंने बोलकर उसे साफ कर दिया । मैं पूछना चाहता था कि क्या सरकार की मद्यनिषेध की नीति है, मैं समझता हूं कि जहां तक उनकी नीति मद्यनिषेध की है । अब आप सरकार में हैं, आपको सब देखना है, दूसरों पर जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिये । चौधरी साहब ने सन् ६७ में जो कुछ किया, उसके उदाहरण मैं आपको दूंगा । मद्यनिषेध की इनकी नीति है, जिम्मेदारी है, लेकिन जब उनकी बात सुनी कि इससे राजस्व की आय बढ़कर ५० करोड़ की हो जायेगी, तो इनकी नीति की जो असलियत है वह सामने निकल कर आ गई । यह तो मद्यनिषेध करने के बजाय उसके द्वारा अपनी आय के स्रोत सोच रहे हैं । तो मद्यनिषेध के नाम पर कोई कितना पाखण्डी भाषण दे रहा है, यह मुझको साफ लगा । जो कुछ आप कहते हैं, उनको जब तक आप अमल में नहीं लाते हैं . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)---

यह "पाखण्डी" शब्द पार्लियामेंट्री नही है, इसको निकाल दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता---

उन्होंने मंत्री जी को पाखंडी नहीं कहा है, उनको लगा है कि कोई-पाखण्डी भाषण दे रहा है ।

श्री राम सेवक यादव---

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में अनुच्छेद ४७ का जिक्र किया, इसको पढ़कर मैं सदन के सामने रख देना चाहता हूं । यह अंग्रेजी में है, मुझे माफ करेंगे---

"The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health."

अर्थात् यह राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह पौष्टिक आहार के स्तर को ऊपर उठावे । इनकी ड्यूटी होगी कि यह लोगों की तन्दुरुस्ती ऊपर उठाये रखने के लिये प्रयास करें । इनका प्रयास होगा कि ये जो नशे वगैरह की चीजें है, उनके इस्तेमाल में कमी हो । यह इस अनुच्छेद का उद्देश्य है ।

अब मैं इनके कार्यों से सिद्ध करूंगा कि इनका प्रयास इस दिशा में क्या है--इस अनुच्छेद के माफिक है या विपरीत है । न्यट्रेशन कितना मिलता है, देश के बच्चों, नौजवानों और कल-कारखानों और खेतों में काम करने वालों को यह भी देखने की बात है । दाल जो एक मात्र खाद्यान्नों में प्रोटीन देने की चीज है वह कितनी महंगी है । उसके स्थान पर कोई मांस भी इस्तेमाल करे तो महंगी के कारण उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता । अब रहा दूध, वह अव्वल तो है ही नहीं और मिले तो इतना महंगा है कि वे भी पी नहीं सकते है । अब दाल ही एक मात्र आहार है और वह इतना महंगा है कि वे लोग खरीद नहीं पा रहे है । अतः पौष्टिक आहार का तो कोई मतलब है ही नहीं । मेरी यह भी जानकारी है कि किसान से भले ही १०५ रु० में सरकार ने गेंहूं खरीदा हो किन्तु वह २०० रु० में आजकल मिल रहा है और बलिया वगैरह में तो उसका मूल्य ढाई रु० किलो पहुंच गया है, वह भी उनकी पहुंच से इस तरह से बाहर है । अब उस न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए मंत्री जी शराब की बिक्री को बढ़ावा दे रहे है । यहां उनके उद्देश्य की असलियत सामने आ जाती है । हिन्दी में पाखण्डी कहा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, किन्तु 'हिप्पोक्रेट" अंग्रेजी में कह देते तो शायद इनको बुरा न लगता । गाली भी अंग्रेजी में अच्छी लगती है, तो यह प्रकृति हमारी बन गई है ।

आज हम जब न्यूट्रेशन को बढ़ा रहे है, तो पर कैपिटा इनकम का हिसाब लगायें । भारत सरकार का आंकड़ा है, १९ रुपये मासिक से नीचे रहने वाले लोग गरीबी की रेखा के नीचे है । इसमें गोरखपुर, देवरिया को ले लें तो १५ रु० से भी नीचे चले जाते है । ८-९ करोड़ आदमी है जिनकी १५ रुपये से नीचे मासिक आमदनी है । १५ रुपये मासिक आमदनी के नीचे यह लोग और ज्यादा शराब हरिजन और गरीबों में चलती है, वहां पर शराब बेच कर सरकार आमदनी करती है, उनकी गरीबी का फायदा उठाना चाहते है, और घोषणा करते हैं कि मद्यनिषेध पर चल रहे हैं । लेकिन उसके साथ-साथ कह देते हैं कि आमदनी बढ़ा रहे हैं । तो मैं नम्र निवेदन करूं कि कुल मिला कर साफ-साफ कह दें कि आपकी मद्य निषेध की नीति है या नहीं है । आपकी नीति चलती है मद्य निषेध की और काम करते हो माद्य प्रसार का ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मद्य निषेध नीति पर बात चल रहे थे ये नहीं चल रहे हैं ।

श्री रामसेवक यादव—

यह मद्य निषेध नीति के बजाय प्रसार की तरफ बराबर बढ़ते चले जा रहे है, मंत्री जी । मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं । जो आबकारी विभाग है इसके दो अंग है । एक अंग है शराब पिलाओं का और एक है शराबबन्दी का । दोनों अंगों में देख लें स्थिति क्या है । पहला विभाग है मद्य पान कराने वाला । इसकी स्थिति यह है– एक तो आबकारी आयुक्त है, एक है अतिरिक्त आबकारी आयुक्त । सहायक आबकारी आयुक्त २६ हैं । सुपरिन्टेंडेन्ट आबकारी ४० हैं । आबकारी निरीक्षक ५०० है । सहायक आबकारी निरीक्षक ७० है । आबकारी सुपरवाइजर ७ है और सिपाही १ हजार हैं । इनके अतिरिक्त ठेकेदार की फौज है । उसको मिला कर तामझाम पूरा हो जाता है । इनका काम है ठेके बढ़ें, हर साल बोलियां बढ़ें, ज्यादा शराब की बिक्री हो, सरकार की आमदनी बढ़े । और अब यह नीति बन रही है, बदल गयी हो तो नहीं जानता, कि हर जिले में, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया और शहरों में अंग्रेजी शराब के लाइसेंस दिये जायेंगे । इस प्रकार मद्य प्रसार का काम हो रहा है । मद्य निषेध के काम में कितने लगे हुये है ? मद्य निषेध अधिकारी एक है, क्षेत्रीय मद्य निषेध अधिकारी ६ हैं, मद्य निषेध आर्गेनाइजर २८ हैं, मुख्य मद्य-निषेध व्यवस्थापक २ है । नौ करोड़ जनता के बीच में लगे हुये इतने लोग है, कि शराब न पिओ । आप कभी इनके प्रयास का अन्दाजा लगा लें । ९ करोड़ लोगों के बीच में हजारों की फौज लगी हुई है, शराब की बिक्री बढ़े, नये ठेके, नये लाइसेंस बढ़ें, ५० करोड़ की रेवेन्यू सरकार को की जाय ।

दूसरी तरफ मद्य निषेध में काम करने वाले जो लोग लगे हुये हैं मुश्किल से हैं ४०–५० यह विचित्र विडम्बना है कि कहेंगे मद्य निषेध चाहते है और काम करें मद्य प्रसार का । यहां पर आ कर गांधी जी के पुतले को खुश करने की कुछ बातें कर देते हैं । मंत्री ने क्या कहा, मंगल के दिन शराब नहीं पी जाय । मंगल के दिन शराब नहीं पी जाती है । जैसे कोई मांसाहारी सदस्य कह दे कि हम व्रत रखेंगे । फिर जो राष्ट्रीय पर्व हैं ६३ उनमें शराब की बन्दिश है । शराब नहीं बिकेगी । लेकिन मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जिनके बारे में उन्होंने विभाग की कुशलता और ईमानदारी की तारीफ की है सब दिनों में शराब बिकती है । मंगल के दिन बिकती है, छुट्टियों के दिन बिकती है और राष्ट्रीय पर्व वाले दिन भी बिकती है । जितनी चाहे शराब ले सकते हैं यह बन्दिश लगाकर भ्रष्टाचार फैलाने का और मौका दे दिया है क्योंकि उन दिनों पुलिस के लोग, एक्साइज वाले, ठेकेदार और अधिकारी शामिल होते हैं क्योंकि शराब की बिक्री कागज पर नहीं दिखाई जायेगी और सबका हिस्सा बांट कर बराबर हो जायेगा तो यह मद्य निषध गांधी जी के पुतले को खुश करने के लिये है ।

श्री अधिष्ठाता—

मेरा आप से एक आग्रह है कि राष्ट्र पिता के लिये गांधी जी का पुतला न कहें । यह आप जैसे आदमी के लिये शोभनीय नहीं है । मेरा आग्रह है कि इसे आप वापस ले लें ।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, मैं गांधी जी के पुतले को खुश करने के लिये नहीं बल्कि मेरे नजदीक वह बहुत बड़े आदमी हैं । हम लोगों का उनकी नीति और दर्शन से रिश्ता टूट गया है । हम इस संदर्भ में यह कह रहे हैं । गांधी जी महान थे, महान हैं, और महान रहेंगे और उनका ही आदर्श था कि हिन्दुस्तान जैसे गरीब देश में मद्य निषेध की नीति चले ।

श्री अधिष्ठाता—

ऐसे अवसर पर प्रतिमा, मूर्ति शब्द है । उनका प्रयोग करें । पुतला तो किसी के विवंगत होने के बाद कहना आप जैसे आदमी के लिये शोभा नहीं देता है ।

श्री राम सेवक यादव—

यह गांधी जी की प्रतिमा को खुश करने के लिये ऐसा करते हैं । उनकी आत्मा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । वह मद्य निषेध चाहते थे । लेकिन मंत्री जी ने कह दिया मुकम्मिल मद्य निषेध और आंशिक मद्य निषेध । लेकिन मैं यह समझ पाया हूं कि मद्य निषेध अपने स्वयं में पूरा है । इसके माने है नशाबन्दी । लेकिन उन्होंने कहा कि हम धीरे-धीरे प्रयास करेंगे मद्य निषेध का लेकिन वह प्रयास नहीं कर रहे है बल्कि उल्टी दिशा में जा रहे हैं । यह मैंने रखा कि एक तरफ तो मद्य पान कराने को इनकी जबर्दस्त फौज है और दूसरी तरफ थोड़े लोगों की तादाद है मद्य निषेध की । ये मद्य निषेध में लगे हुये हैं हमारा देश आज इतना सड़ गया है कि यदि इतने गांधी जी पैदा हो जांय तो वे भी इसमें असफल हो जायेंगे और जो इनकी ताकतवर फौज मद्यपान कराने में लगी हुई है वह सफल होगी । इसके साथ ही साथ इसमें जुड़ा हुआ है, कि लोगों को समझा बुझा कर नशे के प्रति नफरत पैदा की जाय । इसके जो खतरनाक नतीजे होते है उससे वे बचाये जा सके । इसकी पूर्ति की जाय न कि वह कच्ची शराब बनाने का प्रयास करें । और फिर ऐसे लोगों को जब वहां से हटाये तो मद्य निषेध के काम में लगे हुए लोगों को उनकी जीविका का कोई इन्तजाम करें । खासतौर से ऐसे लोगों को जो इस काम में लगे हुए हैं जैसे हरिजन इनको इस काम से हटा कर कोई दूसरा रोजगार दें या उनको पुनर्वास भत्ता दें ।

कुछ विभाग हैं जैसे मत्स्य विभाग, पशु पालन विभाग, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उद्योग विभाग तथा सहकारिता विभाग इनका काम है कि इसमें सहयोग दें । लेकिन ये खासतौर से सहयोग देते हैं, मैं नमूना पेश करना चाहता हूं । सरकार की जो नीति बन जाती है उसी का सहयोग देते हैं जैसे सरकार की नीति बन गयी है कि गेहूं की वसूली हो । तो सारी मशीनरी कलेक्टर से लेकर लेखपाल तक गेहूं की वसूली में लग गयी उसके अतिरिक्त चाहे डकैती हो, या कत्ल हो उसको कोई परवाह नहीं है । जब शासन की दिलचस्पी और कार्य कलाप ऐसे हैं कि एक अधिकारी समझ जाता है तो किसी विभाग से सहयोग नहीं मिलता है । मैं एक नमूना गोरखपुर का पेश करना चाहता हूं । वहां एक तालाब है सरवा । सरवा नाम का एक तालाब है उसी के पास मुसाबर गांव है तहसील फरेंदा के पास । १९७३ में मद्य निषेध विभाग के लोगों ने यहां मल्लाहों और निषादों से कहा कि इस काम को बन्द कर दो और इनकी जीविका का प्रबन्ध किया जायेगा । तो उन्होंने एक समिति बनायी । उसका नाम रखा गया समाजोत्थान मत्स्य जीवी सहकारी समिति । यह जो तालाब है इस तालाब के लिए उन्होंने मछली मारने के अधिकारी को लिखा । यह मत्स्य विभाग में आता है । एक वहां के असरदार आदमी हैं जिनका नाम गंगा सिंह है । वह किसी तरह से ठेका लेना चाहते थे । इस तालाब की नीलामी हुई और ४० हजार की बोली पर उस समिति को यह तालाब मिल गया । जिला अधिकारी ने भी इसकी सिफारिश की और ४० हजार में समिति के पक्ष में छूट गया, लेकिन ये लोग चुप नहीं रहे उन्होंने एक आदमी को खड़ा किया । अदालत से उसको रुकवा दिया । समिति को प्राथमिकता मिलनी चाहिये, लाभ हानि का सवाल नहीं होना चाहिये । कलेक्टर ने यह लिख दिया, लेकिन वह मामला आज तक चला आ रहा है । यह मुकदमा खत्म होने पर है इनकी कोशिश यह है कि इसको दुबारा नीलाम कर दिया जाये । १९७४-७५ में नीलामी का सवाल है कोई सहायक निदेशक हैं । उनसे ये दोनों फरीक मिले । वह कहते हैं कि जो ज्यादा पैसा दे उसको चलाया जाये । यह लोग शराब पीना तो अपने आप ही बन्द कर देंगे इसको जितना ही शराब बना दिया जायगा उतना ही वह शराब पीना बन्द कर देंगे । यह है अधिष्ठाता महोदय, सहायक निदेशक । यह घूस के सहारे मत्स्य विभाग को बन्द कर

देना चाहते हैं। एक तो पक्ष की दृष्टि से लोग लगे हुए काम कर रहे हैं दूसरे अगर इस तरह का कोई काम हो तो इसमें जो सारा विभाग फैला हुआ है वह इस तरह से उसमें दिलचस्पी लेते हैं और मिल जुल कर अदालत का सहारा लेकर उनके हाथ में चीज जाने नहीं देना चाहते हैं। साफ जाहिर है कि मद्य निषेध की इनकी कोई नीति नहीं है। अगर योजना होती तो इनकी कोई नीति होती।

हमारे संविधान को लागू हुए २४ वर्ष हो गये। हमारे यहां अल्कोहल की पैदावार बढ़ती ही जा रही है। तो इससे साफ जाहिर है कि मद्य निषेध की हमारी नीति नहीं है। हमारी नीति बन चुकी है, पैसा कमाओ, पैसा चाहे जिस तरीके से गरीब आदमियों के खून चूस करके पैसा कमाओ। अगर पैसा ही सब कुछ है तो मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सलाह दे दूं। वह रेवेन्यू चाहते हैं वह कहते हैं कि अब की प्रशासन में कुछ खर्च होगा। आप इसके ऊपर जो इतना खर्च करते हैं वह भी न खर्च करें। आप सिर्फ नीलाम कर दें ठेकों पर। पुलिस विभाग को भी कह दीजिये कि थानों को नीलाम कर दिया जाय अगर आपको रेवेन्यू ही बढ़ाना है। आपके सामने देश के जवानों का सवाल नहीं है। आप हल्के ढंग से निषेध योजना चलाते हैं तो इससे देश का क्या कल्याण होने वाला है।

श्री अधिष्ठाता--

अभी आप कितना समय लेंगे ?

श्री राम सेवक यादव---

अधिष्ठाता महोदय, अभी १०-१५ मिनट और लेंगे।

अब अधिष्ठाता महोदय, जो दूसरा प्वाइंट रखना चाहता हूं वह यह है कि हमें जो जानकारी दी गई है कि एक बोतल शराब बनाने में खर्च १८ पैसे पड़ता है और उस पर साढ़े चार रुपया सरकारी कर था, अब कुछ बढ़ गया है, कुछ ज्यादा हो गया है, तो ६-७ के करीब होगा। कर तो था ही पहले से और यह कह देना कि कर इसलिए लगा दिया कि लोग शराब पीने के आ ी न हो सकें। जो सफेद वाली शराब तैयार होती है वह इस वक्त बिकती है १०, १२, १३ रुपये बोतल में। और यह बटवारा कहां तक होता है यह अच्छी तरह से हमारे माननीय मंत्री जी जानते होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो उन्हें जानना होगा। १९६७ में माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि इस मद्य निषेध विभाग को तो समाप्त कर दें और इसकी अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है। किसी संस्था को ही इसके बजाय पैसा दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें कितनी लूट और कितना मुनाफा होता है। किस किस रास्ते से चला जाता है। कुछ में रंग डाल दिया जाता है, कुछ में पीला रंग डाल दिया जाता है तो उसे संतरे की शराब कहते हैं, तो इस तरह से दाम की लूट चलती है। उस लूट में फिर वे अधिकारी, अफसर और ठेकेदार मौज लूटते हैं। फिर ठेके लेते वक्त क्या-क्या होता है, अधिकारी लोग दुगुनी और तिगुनी बोली करवा देते हैं और फिर उनको मिलावट की छूट देते हैं। किस चीज में किस चीज की मिलावट की जाती है। जैसे मसाले में घोड़े की लीद मिलायी जाती है, और मिर्च में ईंट का पीसा खोरा। तो एक महकमा ही इसका पनप रहा है। जब आप ठेकों का दुगुना और तिगुना दाम कर देंगे तो भ्रष्टाचार पनपेगा ही। आज जो उनकी ठेकेदारी है, उसमें अनैतिकता चलती ही रहेगी।

दूसरे भांग के ठेके हर जिले में होते हैं, उसकी बिक्री बहुत कम होती है। १०-१२ हजार में दुकानें नीलाम होती हैं। उन दुकानों पर फिर अफीम और गांजे की पुड़िया बिका करती हैं। अगर आप देखें कि किस भांग की दुकान में साल भर में भांग की कितनी बिक्री हुई तो आप को मालूम हो जायगा कि वस्तुस्थिति क्या है। इन दुकानों पर अफीम और गांजे की बिक्री जबरदस्त चल रही है, करोड़ों का मामला चलता है। इससे देश की एकता और सरकार, सब को हानि होती है। इस प्रकार से अफीम और गांजे की तस्करी बड़े जोर से चल रही है।

[श्री राम सेवक यादव]

अन्त में मैं नीति विहीनता की बात उठाकर अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे माननीय मंत्री जी को उसकी ज्यादा जानकारी होगी। जब आप ही आबकारी मंत्री थे तो प्रदेश में ४ सहायक आबकारी आयुक्त जो थे, उनको आपने सेवा निवृत्त कर दिया था। और मैं समझता हूं कि जब किसी को सेवा निवृत्त किया जाता है तो उस पर गम्भीर आरोप ही होते हैं, बहुत बड़ाई का काम तो होता नहीं है। वे लोग अदालत में चले गये और वहां से स्थगन आदेश हासिल कर लिया, लेकिन शासन ने उसके बावजूद भी उन चारों को अच्छा नहीं समझा। वे बैठे रहे, उनसे काम नहीं लिया। अंतिम निर्णय हाई कोर्ट का नहीं हुआ। १०-१५ दिन हुए इन चारों की काम दे दिया गया और वे फिर काम कर रहे हैं। पता नहीं इस बीच में क्या चीज हो गयी कि जब इन चारों को रिटायर कर दिया गया था, फिर इनको सरकार ने ले लिया और 10-15 दिन में ही ले लिया। इसमें कहीं न कहीं दाल में काला है। ऐसे ही सारे एक्साइज इन्सपेक्टरों के ट्रांस्फर्स का मामला पका-पकाया रखा है। होता क्या है? प्रोपोजल्स होते हैं ट्रांस्फर्स के और सब को इत्तला होती है। उसके बाद प्रोपोजल रद्द हो जाते हैं और फिर जिसको जहां जाना होता है वहां चला जाता है। उसको सब अच्छी तरह से जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। अब समाप्त करता हूं, दो-चार मुद्दे हैं वह बाद में उठाऊंगा। मैं आशा करूंगा कि प्रदेश जो शराब के मामले में मौत के दरवाजे पर खड़ा है, उसको बचाने के लिये बहुत गम्भीरता के साथ यह सदन विचार करेगा और मैं चाहूंगा कि सरकार को यह सदन मजबूर कर दें कि आप मद्य-निषेध की ओर बढ़े, प्रसार की ओर मत चले जाइये। यह मद्य-प्रसार को बढ़ा ही नहीं रहे हैं, बल्कि मद्य-निषेध को खत्म कर रहे हैं और बहुत तेजी से प्रसार की ओर जा रहे हैं। तो इस विश्वास के साथ मैं समाप्त कर रहा हूं कि सदन मेरे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता, महोदय, आबकारी मंत्री जी ने जो अनुदान संख्या १० पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने जो कहा कि हमने जो ड्यूटी बढाई है उससे मद्य-निषेध कम हुआ है, यह सही है। इससे शराब का प्रचलन कम हुआ है, इसमें दो रायें नहीं हैं, सरकार की आमदनी भी बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं सुझाव देता हूं कि यदि इस शराब के साथ-साथ देशी शराब के ठेके जो कि नीलामी के आधार पर छूटे हुए हैं उनपर निगाह रखी जाय तब तो आमदनी बहुत बढ़ जायगी जैसे गाजियाबाद से शाहदरा लगा है, उसका ३७ लाख का ठेका छूटता है एक दूकान का जबकि गाजियाबाद में ७ लाख का ही छूटता है दो दूकानों का जबकि वहां शराब शाहदरे से ज्यादा बिकती है और गाजियाबाद में दिल्ली वाले लोग लेने आते हैं और पीते भी हैं व खरीद कर ले भी जाते हैं। तो यदि देशी शराब के ठेकों की तरफ मंत्री जी निगाह करें तो प्रदेश की आमदनी इस मद में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इन बोलियों में बहुत बड़ा गोल-माल होता है। सारे ठेकेदार आपस में पल कर लेते हैं, अफसरों से मिल जाते हैं और बोली बहुत कम आती है कई-कई लाख का सरकार को हर ठेके में नुक्सान रहता है।

जहां तक शराबबन्दी की बात है मैं तो पूज्य गांधी जी के इस सिद्धांत का मानने वाला हूं कि वह बन्द होनी चाहिये तथा और कोई मद आय की खोजनी चाहिये लेकिन यदि बन्द नहीं होती है और आमदनी की दूसरी मद तैयार नहीं होती है और सरकार पूर्ण मद्य-निषेध को तैयार हो तो फिर गांव गांव में दूकान खुलनी चाहिये, ठेके छूटने चाहिये और उसकी वजह है। यदि गांव-गांव में ठेके नहीं छूटेंगे तो गांव में फिर आज जो कच्ची शराब बन रही है वह बनती रहेगी सरकार को आय भी कम होगी व जन जाति भी सुरक्षित नहीं रहेगी। वैसे अब स्पिरिट में रंग पड़ गया है लेकिन वह भी इस्तेमाल हो रही है। हरिजन पल्लेदार व गरीब क्या करते हैं कि लाल-दवा जो कुएं में डाली जाती है उसको पानी

में घोलते हैं और फिर उसमें स्पिरिट डाल कर उसे घोलते हैं और उसमें एक दियासलाई दिखा देते हैं । वह जलती है और जब अग्नि खत्म होती है तो उसे छानकर पीते हैं । वह बहुत जहरीली चीज है । जो पल्लेदार व गरीब उसे पीते हैं वे एक साल पहल लाल-सुर्ख रहता था वह आज उसके पीने से तपेदिक का मरीज दिखाई दे रहा है (व्यवधान) नशा देती है या नहीं, उसका तजुर्बा तो आपको है क्योंकि शायद आप शाम को इस्तेमाल करते होंगे ।

एक सदस्य—

उससे आमदनी बढ़ रही है ।

श्री प्यारेलाल (मेरठ)—

आमदनी बढ़ने की बात तो यह है कि उससे उल्टा घट रही है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य सीधे बात न करें ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आदमियों का स्वास्थ्य गिरने से बचाना है और आमदनी बढ़ानी है तो फिर गांव गांव में ठेके छूटने चाहियें और गांव-गांव में दुकान खुलनी चाहिये। वरना आज गांव की कच्ची शराब जो दिल्ली में जाती है जिसक पीने से सैकड़ों आदमी प्रतिवर्ष मरते हैं। तो मेरा सुझाव है कि या तो ठेके खुलन चाहिय या फिर पूर्ण मद्य निषध होना चाहिये । साथ ही साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितने भी शराब के कारखाने हैं ये आबकारी की बहुत बड़ी चोरी करते हैं । अगर एक ट्रक भी बिना आबकारी के निकाल देते हैं तो ६०-७० हजार रुपये उनके आबकारी की चोरी के बच जाते है और गाजियाबाद मोहन मेकिन में तो बहुत से ट्रक रात के टाइम बिना आबकारी के चोरी के निकलते है । और इस तरह से जो आमदनी होती है उससे सरमायेदार देश की राजनीति पर कब्जा करना चाहते हैं । मोहन मेकिन के मैनेजिंग डायरेक्टर मजदूरों के बीच अक्सर कीर्तन का ढ़ोंग रचा करते हैं और अक्सर कहा है कि प्राइममिनिस्टर मेरी इस जेब में रहती हैं । और मुख्य मंत्री दूसरी जेब में रहते हैं बाकी मंत्री मेरे जूतों पर पालिश करते है और एम० पी० तथा एम० एल० एज० को तो मैं ठोकर मारता हूं । इस चुनाव में दस लाख रुपया और पचास हजार बोतलें खर्च कर दी ।

श्री राम सेवक यादव—

तो यह शिकायत है कि आपको नहीं दिया ।

श्री प्यारे लाल (मेरठ)—

मेरे लेने का तो सवाल ही नहीं है । मेरी तो उनस लड़ाई रहती है । मैं तो मजदूरों का नेता हूं ।

श्री बलवान सिंह—

इनको यह नहीं मालूम कि शिमला में रशा का ६ करोड़ का कारखाना खुल रहा है । मोहन मेकिन तो कांग्रेस का है, उसको क्यों गाली दे रहे हैं ?

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

तो जितने भी शराब वाले हैं वह आबकारी की बहुत चोरी करते हैं । इस पर भी माननीय मंत्री जी निगाह रख तो आमदनी बहुत बढ़ सकती है ।

इसके अलावा जो बीयर बनती है उसका पाउडर विदेश से आता है । मोहन मकिन के प्रबन्ध निदेशक ने सोचा कि पाउडर न मंगवाना पड़े इसलिये उस पौधे को ही मंगा लिया।

[श्री प्यारे लाल]

उस पौधे के साथ ऐसे फसल नाशक कीटाणु आये कि अगर वह दो साल भी हिन्दुस्तान में रह जाते तो हिन्दुस्तान की सारी पैदावार को खत्म कर देते । जब उस पौधे पर रिसर्च किया तो देखा गया कि बहुत जहरीले कीटाणु उसके साथ हैं । तब उस पौधे को जलाया गया । तो ये सरमायेदार अपने थोड़े स्वार्थ के लिये सारे देश की पैदावार को खत्म करने जा रहे थे । यह तो अखबार में निकला है लेकिन सत्य इसके विपरीत है मैं तो यह दावे के साथ कहता हूं कि ये मोहन मीकिन वाले विदेशों से साजिश कर के देश को भूखों मार डालना चाहते थे । मोहन मेकिन वाले जान बूझ कर ये कीटाणु लाये थे ।

इसके साथ-साथ जो स्प्रिट होती है वह रंग रोगन और थिनर आदि बनाने में १० या १५ फीसदी काम में आती है । शेष जो बनती है सारी की सारी ब्लैक में बिकती है । जो लोग अपने घर रोगन आदि के लिये बोतल, दो बोतल स्प्रिट चाहते हैं उनको नहीं मिलती है और ब्लैक वालों को मिल जाती है क्योंकि उसमें उनको ज्यादा आमदनी होती है । तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितनी भी कारखानों को मिलने वाली स्प्रिट है या स्प्रिट की दुकानें हैं उन पर कभी कभी छापा डलवा कर यह देखा करें कि जितनी स्प्रिट मिली वह बिकी या ब्लैक में गयी और बिकी तो उसका सेल्स टैक्स और आयकर जमा हुआ या नहीं । इन सब बातों को चेक किया जाना चाहिये । इससे ब्लैक में बिकना बन्द होगा ।

एक बात और कहना चाहता हूं । यह बियर जो बनती है पेट भरने पर ऐश व मस्ती तथा अंधाई की वस्तु है, जो जौ, मक्का तथा चावल आदि अनाज से बनती है जिससे लाखों मन अनाज नष्ट होता है । आजकल हमारे देश में अनाज की कमी है तथा अकाल भी चारों ओर उसके कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है। बियर पीने से हमारा पेट भी नहीं भरता है । तो फिर जब तक अनाज की कमी है हमारे देश में तब तक बियर का बनना बिलकुल रोक दिया जाय । इससे काफी अनाज की बचत होगी । जब हमारे यहां अनाज काफी मात्रा में पैदा होने लगे तब आप बियर बनाने की इजाजत फिर दे दें । इससे आमदनी जरूर घटेगी, मगर जो विद्रोह व अशांति की भावना चारों तरफ व्याप्त है वह दूर हो जायेगी ।

आज शराब या बियर के कारखाने जितना उत्पादन कर रहे है वे उसका आधा भी नही दिखाते है । शेष दो नम्बर में चली जाती है । मैं निवेदन करूंगा कि आपके जो आबकारी इन्सपेक्टर या असिस्टेंट आबकारी कमिश्नर इन शराब व बीयर के कारखानों में है या तो उनको आप बिलकुल हटा दें या ऐसे निष्ठावान व्यक्तियों को रखें जो एक बोतल भी बिना आबकारी के न जाने दें । इससे आपकी आमदनी भी कई गुनी बढ़ जायेगी । अगर उत्पादन का सही-सही हिसाब रखा जाय तो इस मद से १० गुनी आमदनी बढ़ सकती है ।

अंग्रेजी शराब की जो दूकानें हैं उन्हें और ज्यादा न बढ़ायें । हरियाणा की पालिसी अपनायी जाय या इनको नीलाम करके दिया जाय । इससे भी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री रामप्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया । मैं माननीय उप नेता, विरोधी दल, द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैंने माननीय मंत्री जी के वक्तव्य तथा अभी एक माननीय सदस्य के विचारों को सुना । जब माननीय सदस्य, कांग्रेस पक्ष, यह बात अपने मुखारविन्दु से कह रहे थे कि गांव-गांव में शराब की दूकानें खोलनी चाहिये, तो मैं समझता हूं कि स्वर्ग से पूज्य बापू की आत्मा अवश्य गदगद हो रही होगी । मैं उस वक्त एक विद्यार्थी ही था जब मैं देखता था कि गांधी जी के समय में लोग शराब के ठेकों के आगे धरना दिया करते थे, लाठियों की मार सहा करते थे । आज वही लोग जब इस तरह गली-गली शराब के ठेके खोलने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बात कहते हैं तो बापू जी की आत्मा क्या कह रही होगी, यह उनके सोचने की बात है। और आप यह कह रहे हैं कि गांव गांव ठेका खोला जाय । शराब का इस प्रकार से विस्तार किया जाय तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह कार्य उचित नहीं है । अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने नशाबन्दी के सिलसिले में कुछ बातें कहीं । उन्होंने कहा कि यह संविधान का एक अनुच्छेद है, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि धीरे धीरे नशाबन्दी कम होगी । प्रश्न केवल संकल्प शक्ति का है । जो भी शासन दृढ संकल्प के साथ करना चाहेगा वह हो कर रहेगा।

हमारे देश और प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि नशाबन्दी के मामले में यह अंधकार में है । एक तरफ आबकारी का इतना बड़ा विभाग है और दूसरी तरफ छोटा सा विभाग है जो यह कहता है कि शराब मत पियो । पीने वालों के लिये सुविधा और उनके प्रचार के लिये अनेक सुविधायें आपने दी हैं । आपने यह कहा कि हमने मंगलवार को बन्द की है, और यह कहना कि शराब की दूकानें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होंगी । यह नियम केवल, मैं मंत्री जी से अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कि केवल कागज पर ही हैं । उन पर अमल जरा सा भी नहीं किया गया है। आप जांच करायें । मैं अपने जिले की बात कह रहा हूं । फर्रुखाबाद के छिबरामऊ में ५० कदम की दूरी पर एक हीरालाल इंटर कालेज है । उसके ठीक सामने एक हायर सेकेंडरी स्कूल है और बिल्कुल लगा हुआ एक जूनियर हाई स्कूल है । मुश्किल से ३० कदम पर एक गर्ल्स इंटर कालेज है । वहां पर पुलिस स्टेशन का रिकार्ड देखें । अभी पिछले साल एक विद्यार्थी की हत्या शराब के ठेके के सामने कर दी गयी । कम से कम ५०सों लड़कियों की इज्जत लटी जा चुकी है इसी शराब के ठेके के सामने । पुलिस के पास रिकार्ड है । वहां पर इतना भीषण आन्दोलन पिछले साल विद्यार्थियों, नागरिकों और अन्य लोगों ने किया कि इस सार्वजनिक स्थान से ठेका हटाया जाय । ठेका तो नहीं हटाया गया लेकिन श्रीमन्, ठेके के पास एक बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर लिखा है 'शराव पियो-चैन से जियो" और आप इस प्रकार का प्रचार करते हैं मंगलवार को ठेका बन्द रहेगा और ठेकों का समय निर्धारित किया जायेगा कि इतने समय के बाद ठेका नहीं खुलेगा । तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के आपके नियम केवल कागज पर ही हैं ।

आपके आबकारी इंस्पेक्टर्स आज क्या कर रहे हैं, संभवत: हमारे मंत्री जी इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । कन्नौज के आबकारी इंसपेक्टर की बात कर रहा हूं । मैं जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं । लगभग ५ हजार रुपये की इंकम है और कोई भी ठेका समय पर बन्द नहीं होता है । एक तरफ बड़े-बड़े पोस्टर लगाये जा रहे हैं और प्रचार किया जा रहा है । इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि शराब की बिक्री कम हो इसके लिये समुचित कदम उठाये जा रहे हैं । अभी मंत्री जी ने कीमत बढ़ाने की बात कही है। यह बातें मैं समझता हूं केवल प्रवंचना मात्र है। शराब पीने वाले का जब मष्तिष्क ही ठीक नहीं रहता है, संतुलन में नहीं रहता है तो वह स्वयं शराब की कीमतों के बारे में क्या सोच सकता है । शराब पीने के वास्ते वह अपना घर बेंच डालता है, इज्जत बेंच डालता है, अपनी बीबी के जेवर बेंच डालता है और शराब पीकर सड़कों और नालियों में पड़ा रहता है।

मद्य-निशेष करना शासन का कर्त्तव्य है । शासन और जनता में पिता–पुत्र का संबंध होता है । अगर पिता खुद ही पुत्र के लिये ऐसा रास्ता बनाये जिस पर चल करके पुत्र की मृत्यु हो जाय तो इस प्रकार के कदम शासन को नहीं उठाने चाहिय कि कीमत बढ़ाने से जनता शराब को कम पीयेगी इसलिये कीमत बढ़ा रहे हैं ।

अभी मंत्री जी ने बजट की चर्चा की और चर्चा में कहा कि पिछल साल ४० करोड़ का मुनाफा हुआ था और इस साल सम्भवत: ५० करोड़ रु० का मुनाफा होगा । तो

[श्री रामप्रकाश त्रिपाठी]

केवल आर्थिक स्रोत जटा लेना ही और किसी प्रकार से येन-केन-प्रकारेण शासन के पास पैसा आ जाय। तो यह बात शासन के लिये हितकर नहीं है। मैं मान्यवर आपके जरिये से कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। नये नियम चाहे कुछ भी न बने परन्तु कम से कम जो कागज में नियम है उनका पालन हो रहा है कि नहीं इसको देखने के लिये एक अनआफिशियल कमेटी बना दें कि विद्यालयों के पास, मंदिरों के पास शराब की दुकानें नहीं होंगी। मान्यवर मैं आपको बताऊं कि एक ठेके की दूकान ठीक मंदिर के सामने है। वहां पर शराबी लोग जूते मारते हैं। इसीलिये पिछले दिनों वहां १५ दिन हड़ताल हुई थी। परन्तु आबकारी कमिश्नर ने १५ हजार रु० रिश्वत लेकर उस ठेकेदार को स्टे दिला दिया। मैं जिलाधिकारी को बधाई देता हूं कि उसने ३ बार ठेका हटाने के आदेश दिये परन्तु आबकारी कमिश्नर ने रिश्वत लेकर उस दुकान को वह कायम रखा। इसके बावजूद उसे और सुन्दर बना दिया गया तथा वहां नर्तकियां और शराब पिओ चैन से जिओ' के बड़े-बड़े बोर्ड लगा दिये गये। वहीं पर एक विद्यार्थी भी मारा गया था जिसका मुकदमा चल रहा है। इसलिये मैं केवल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी टाइमिंग्स तथा स्थानों के लोकेशन के संबंध में एक गैर सरकारी समिति बनाकर जांच करवायें जो शासन को सही रिपोर्ट दे और फिर उस पर आवश्यक कार्यवाही करें। इन बातों के साथ मैं अधिष्ठाता महोदय को धन्यवाद देता हूं।

श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत आबकारी बजट का समर्थन करता हूं। आबकारी बजट शुरू होने से पहले ही सदन में कुछ गरमागरमी हुई थी जो इस बात का द्योतक है कि जैसे कोई आबकारी का बजट आनेवाला है और इससे पहले सदन गर्म हो चुका था। पीने के पहले ही सदन गर्म हो गया। आबकारी बजट को देखकर ही विरोधी भाइयों का जो मचल उठा था। इसलिये निश्चय ही आबकारी विभाग द्वारा राजस्व की वृद्धि हुई है। इस विभाग ने शासन को काफी आय दी है। इसके लिये शासन के तथा उस विभाग के जितने अधिकारी व कर्मचारी हैं सब बधाई के पात्र हैं। क्योंकि यह बात सही है कि जहां-कहीं भी प्रोहिबीशन हुआ है, यहां तक कि विदेशों में भी प्रोहिबीशन फेल हुआ है और उसे फिर से लागू करना पड़ा। इस तरह इस विभाग द्वारा इससे भी अधिक आय बढ़ सकती है। ऐसा लगता है जहां जहां भी प्रोहिबिशन लागू किया गया है वहां-वहां फेल रहा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसका विरोधी हूं कि इसका प्रचार न हो। समाज का कोई भी भला आदमी यह नहीं चाहेगा कि शराब पीने को प्रोत्साहन दिया जाय और निश्चय ही सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से इसका विरोध होना चाहिये। लेकिन अगर इसको आप बन्द कर दें और इसकी आय को भी बन्द कर दें और पीने वाले पीते रहें, इससे तो कोई लाभ होना नहीं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि जैसे मुलेसिस होती है, उससे शराब के अतिरिक्त जितनी चीजें बनती हैं, उनको प्रोत्साहन किया जाय। मुलेसिस का उद्योगीकरण किया जाय। कम से कम मुलेसिस से १०७-१०८ चीजें बन सकती हैं ऐसा विदेशी किताबों में लिखा हुआ है। इसलिये इस तरफ एक रिसर्च कराई जाय कि कितने उद्योगों की इससे स्थापना हो सकती है और कैसे इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है जिससे शासन की आय में वृद्धि हो। तब हम शराब के बहिष्कार की तरफ सोच सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि जितनी आय आबकारी देता है शासन को, उसके मुकाबले में आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर बहुत कम व्यय होता है। उनको किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं है, सुविधा नहीं है और न रहने के लिए आवास ही है। शासन का इतना बड़ा कमाऊ पूत पर शायद १.८ खर्चा होता है तनख्वाह वगैरह पर। मैं आपके माध्य से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन कर्मचारियों की सुख-सविधा और रहने के लिये आवास पर कुछ न कुछ किया जाय ताकि उनका मनोबल उठे और वह अधिक तेजी के साथ काम कर सकें।

तीसरी बात यह है कि विभाग का पुनर्गठन हो रहा है । मैं चाहूंगा कि शासन ऐसी व्यवस्था करे जिसमें किसी को कोई शिकायत न रह जाय और आय बढ़ाने में शासन को सहायता मिले । एक बात कह कर मैं खत्म करना चाहूंगा कि मुलेसिस की फैक्ट्रीज अपनी बहुत सी आय को दबा रही है । शासन को कड़ाई के साथ इन पर निगाह रखनी चाहिये और जहां पिलफरेज हो रहा है, उसको रोकना चाहिये । इससे शासन की और आय बढ़ेगी । कर्मचारियों पर एक शब्द कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और चाहूंगा कि उस पर सरकार ध्यान दे और जो उनको दुर्दशा हो रही है उस पर विचार करे "साकी को दिखा देंगे यह हाल फकीराना, टूटी हुई बोतल है टूटा हुआ पैमाना"

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)––

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है?

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)––

माननीय अधिष्ठाता जी, आबकारी अनुदान पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं । आज इस सरकार की दोतरफा नीति है । एक तरफ तो शराबबन्दी की बात करती है और दूसरी तरफ दूर-दूर गांवों में शराब फैलाने की इसकी नीति है । यह सरकार एक तरफ समाजवाद की बात करती है और दूसरी तरफ पूंजीवाद को बढ़ावा देती है । एक तरफ यह सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने का वायदा करती है और दूसरी तरफ स्वयं शासन में लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं । इसी तरह से इनकी मद्य-निषेध की बात है । भारत एक गरीब देश है और यहां की जलवायु इस योग्य नहीं है कि लोग शराब पी सकें । स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यहां पूर्ण रूप से मद्य निषेध होना चाहिये । लेकिन टक्स वसूली के नाम पर यह सरकार दूकानें और ठेकों को बढ़ाती जाती है । मैं तो यह कहना चाहूंगा कि यदि मंत्री जी के दिमाग में यह बात है कि देश हित में या समाज के हित में मद्य पान नहीं है तो उन्हें चाहिये कि इसको गैरकानूनी घोषित कर दें और यह कर दें कि शराब पीने वाले को जेल में बन्द कर दिया जायगा । लेकिन यह तो शराबबन्दी का नाटक मात्र करते हैं और इनकी जैसा कि मैंने पहले कहा दो तरफा नीति है । देशी शराब जिसको कि उत्तर प्रदेश में गरीब लोग पीते हैं उसके ठेके कर दिये हैं । इन गरीब लोगों में इस तरह के लोग हैं जिनको पेट भर खाना नहीं मिलता और रहने को जगह नहीं । ये लोग महीने में २० दिन भूखे रहते हैं । शहरों के अन्दर भंगी, मेहतर और झाड़ू लगाने वालों की संख्या काफी है । उनकी एक तरह से शराब पीने की आदत बन जाती है और उनका जो स्तर है उससे अधिक उठने की इनकी इच्छा नहीं होती और न ही सरकार की तरफ से उनके विकास की कोई योजना है । ऐसे गरीब लोगों के लिये शराब पीने के लिए आपने ठेके की व्यवस्था कर दी । बम्बई और कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास करने वाले और पूज्य बापू के शिष्यगण पहले कसम खाते थे कि खद्दर पहनेंगे, शराब नहीं पीयेंगे वह प्रस्ताव पास करते हैं कि खद्दर पहनने में, शराब पीने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है । गरीब जो शराब पीता है उसके लिए आपने ठेके कर दिये, ड्यूटी बढ़ा दी । ठेके लेने के लिये कम्पटीशन होता है । जिस जिले में एक लाख का ठेका था अब १० लाख हो गया । एक तो ठेके का बढ़ा हुआ पैसा और तरफ आपकी ड्यूटी का बढ़ा हुआ पैसा, गरीब आदमी पर दोहरी मार पड़ती है । लेकिन खद्दरधारियों के लिये जो अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं वहां कोई ठेके की व्यवस्था नहीं है । चूंकि पैसा ज्यादा खर्च होगा इसलिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम अधार]

यहां ठेका नहीं कराते । मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि जो ठेके की व्यवस्था है उसमें एक तरह से मोनोपोली है । हमारे यहां आरा की एक कंपनी है । गोरखपुर से बिहार तक पूर्वी क्षेत्र के दस बारह जिलों में एक तरह से इस कंपनी की मोनोपोली है, आधिपत्य है ।

आपके जो अधिकारी या इंसपेक्टर हैं, उनको पैसा मिल जाता है । मिलावट को पकड़ने के लिये आपके पास टेक्नीशियन्स नहीं हैं । मान लीजिये आजमगढ़ में मिलावट का केस है । इंसपेक्टर भेज दिया आपने । जांच होती है । बोतल को वह फेंक देता है, रुपया पाकर । आपके पास मिलावट को पकड़ने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा ठेकेदार मिलावट के मामले में नहीं पकड़ा गया । इसका असर यह है कि आज मामली तनख्वाह पाने वाले इंसपेक्टर के मकान और बैंक की जांच करवा लें । लाखों की सम्पत्ति उसके पास हो गयी है । ये लोग वहीं पकड़ते हैं और वहीं छोड़ देते हैं, पैसा मिलने पर । तो जैसा तेल, मसाले और दूसरे चीजों की मिलावट के पकड़ने के लिये व्यवस्था है, उसी प्रकार इसमें भी होनी चाहिये । उसके लिये कोई सेक्रेट मशीनरी हो तभी आप कामयाब हो सकते हैं । आज हालत यह है कि इस तरह की मिलावट की शराब को पीकर लोग मर रहे हैं । इस मोनोपली को तोड़ना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि एक तरफ आप शराब बन्दी की बात करते हैं, दूसरी तरफ इसको बढ़ाते हैं । आजमगढ़ को लें बीयर की दूकान खोलेंगे नोटीफाइड एरिया में । म्युनिसिपल एरिया में दो दूकान खोलेंगे । मैं कहता हूं कि अगर पैसे की कमी है तो आप बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर टैक्स बढ़ा दें । या मुर्दे जो जलाये जाते हैं, उनसे टक्स ले लें या उनके कफन उतरवा लें । लेकिन एक तरफ आप शराब-बन्दी की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसको बढ़ाते हैं । एक बात यह है कि बड़े-बड़े जो शराब के कारखानों के पूंजीपति हैं, उनसे सरकार की साजिश है । मोहन-मेकिन की ही बात ले लें । नियमों के अनुसार मैनेजर परिधि के अन्दर नहीं रह सकता है, जहां कि कारखाना है । लेकिन मंत्री जी देख लें कि वहां के मनेजर के दो दरवाजे है, एक कारखाने की तरफ और दूसरा सड़क की ओर । रात में ही हजारों बोतलें बाहर कर देते हैं । लेकिन इसको नजरअन्दाज किया जाता है क्योंकि मुख्य मंत्री जी का जन्म दिवस वहां मनाया जाता है, उनकी वहां दावत होती है । आप उन्नाव का ले लें । नौरंग डिस्टलरी है । आपने एक सीमा निर्धारित की कि इतनी से ज्यादा नहीं बनायेंगे । लेकिन उसके बाद भी जो लाइसेंस देते हैं, उससे अधिक शराब वे बनाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री राम अधार--

मान्यवर, दो मिनट और दें दें ।

श्री अधिष्ठाता---

मेरा आपसे और सभी माननीय सदस्यों से एक आग्रह है । आप उसी समय मान लिया करें तो सुविधा हुआ करे । दूसरी बात, राय साहब आपसे आग्रह है कि आप कृपया अध्यक्ष पीठ की ओर संबोधन करके बोलने का कष्ट करें । आप तो विद्वान आदमी हैं । कृपया अपने भाषण और उसके विधि को संशोधित करने की कृपा करें ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य अगर धीर-धीरे बोलें तो मैं जवाब भी दे सकता हूं । वह इतनी तेज बोलते हैं कि समझ में नहीं आता ।

श्री राम अधार--

मान्यवर, कृपया आप इसमें भी व्यवस्था दें। इस सरकार के आधे से ज्यादा मंत्रियों को कम सुनाई देता है। कोई-कोई तो कान में आला लगाकर आते हैं। इसकी भी व्यवस्था, मान्यवर, इस सदन में हो जानी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

जरा सा माइक से हटकर आप बोलें। वह आपके हित की बात कर रहे हैं। आपके दो मिनट रह गये हैं।

श्री राम अधार--

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि आपने लाइसेंस देते समय यह नियम बना दिया है कि निर्धारित मात्रा में अधिक मदिरा कारखाने वाले नहीं बनायेंगे लेकिन वे लोग चाहे गाजियाबाद वाले हों अथवा नारंग साहब हों अधिक से अधिक शराब बनाते हैं और आपके द्वारा ही उनकी शीरे की पूर्ति की जाती है। और सरकार इस बात को जानती है कि वह निर्धारित मात्रा से बनाते हैं। इससे इस बात का आभास होता है कि सरकार और कारखाने वालों में घनिष्ठ संबंध है। देश और जनता के हित में आप चाहते हैं कि कम से कम शराब बने तो इसके लिये आप कानून बनायें और उसे सदन से पास करायें कि उत्तर प्रदेश में अब शराब नहीं बिकेगी सारी शराब की दूकानें बन्द हो जायेंगी। अगर आप ईमानदारी से सरकार मद्य निषेद्य के कानून को लागू करना चाहती है तो ऐसा कानून वह जरूर लायेगी वर्ना कहना कुछ और करना कुछ तो चलाइये शराब मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया। आबकारी के मंत्री महोदय ने जो अनुदान की मांग पेश की है उसका समर्थन करती हूं और विरोधी दल के द्वारा कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसका विरोध करती हूं। मान्यवर, मैं उस लखनऊ से चुनकर आयी हूं जिसकी फिजा में, जिसके चमन में, गोशे-गोशे में, गुञ्चे-गुञ्चे में, गली-गली में, कला संगीत में, ठुमरी व दादरा में, शेर व शायरी में शराब का नशा है। हमारे विरोधी दल के लोगों में कोई इलाहाबाद से आये हैं, कोई बनारस से, कोई आगरा से और कोई आगरा के आस-पास से आये हैं। वे अभी तक यहां की नशीली फिजां से वाकिफ नहीं हुए तभी इतने परेशान हैं और अपने को आउट आफ दि प्लेस महसूस कर रहे हैं। शराब और शराब का नशा दो प्रकार का होता है। एक वह शराब और उसका नशा है जो मनुष्य को कला और संगीत के उत्कृष्टतम शिखर पर तथा सूक्ष्मतम प्वाइंट तक ले जाती है। यह वह नशा है जिसको पीकर प्रायः प्रत्येक बड़ा मनुष्य सूली पर चढ़ जाता है। यह वह नशा है जिसके कारण सुकरात और मीरा ने जहर का प्याला खुशी-खुशी पी लिया। लेकिन दूसरा नशा वह है जो मनुष्य के बरबादी की ओर ले जाता है। मैं उस शराब की बात नहीं करूंगी जो मनुष्य के दिमाग में आध्यात्मिक अनुभूतियां उत्पन्न करता है। मैं उस शराब की बात करूंगी जो पूंजीपतियों के कारखाने में बनती है और प्रदेश की जनता की विनाश की ओर ले जाती है। मैं जो मंत्री जी के अनुदान का अनुमोदन करने के लिये खड़ी हुई हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मद्य निषेध की विरोधी हूं। लेकिन इन पुरुषों की जाति को क्या कहा जाय? इनसे जितना कहा जाय कि यह काम न करो तो ये उतना ही करेंगे। जितना कहो मत पियो, मत पियो उतना ही कहेंगे पियेंगे, पियेंगे, पियेंगे। आप घर में ही देख लीजिये। जिस घर की घरवाली अकलमन्द होती है वह कभी नहीं कहेगी मत पियो लेकिन जो बेवकूफ होगी वह कहेगी मत पियो और उतना ही उसका पति पियेगा और लट्ठबाजी करेगा। इस शराब के लिये क्या कहा जाय। यहां तक कि हमारे चौधरी साहब जो शेख व मौलवी जैसे उच्च विचार वाले होते हुए भी मद्य निषेध नहीं कर पाए।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

उतर गई सरे बाजार शेख की पगड़ी,
गिरह में दाम न होंगे उधर पी होगी
शब को गये खूब सी पी, सुबह को तोबा कर ली,
रिन्द के रिन्द रहे, हाथ से जन्नत न गई ।'

मैं आपसे पूछती हूं कि आज जितनी भी शराब की दुकाने हैं उनमें पुरुषों का ही क्यों जमघट लगा होता है, स्त्रियों का क्यों नहीं होता है । इसका मतलब यह है कि पुरुषों की ट्रेनिंग घर में अच्छी तरह से होती नहीं है । उसकी वजह क्या है । इस सम्बन्ध में मैं एक साइकोलाजीकल प्वाइन्ट बताती हूं । बचपन में जब मां अपने लड़के और लड़की को ट्रेनिंग देती है तो लड़की को तो ठोक-पीट कर रखती है और लड़के के लिये कहती है कि इसके लिये तो कोई सेवा करने वाली आ ही जायेगी, उसे ससुराल थोड़े ही जाना है । इसलिये लड़का डिसिप्लिन और कंट्रोल से बाहर चला जाता है । यही कारण है कि आज लड़कियां और बाद में स्त्रियां ज्यादा डिसिप्लिन्ड होती है । शराबखोरी एक सामाजिक और साइकोलाजिकल दोष है । इसका किसी राज्य से कोई सम्बन्ध नहीं है । आप कितने ही कानून बना लें लेकिन फिर भी ये पुरुष लोग पीयेंगे और खूब छुप-छुप कर पीयेंगे । उसका पुरुष की सेहत पर असर पड़ेगा और जरूर पड़ेगा । सरकार को जो नुकसान होगा वह तो होगा ही लेकिन इससे चोरी की आदत मनुष्य में डेवलप होगी । खुले आम डंके की चोट पर शराब पीना ज्यादा सही है क्योंकि वह कम से कम आदमी के करेक्टर को तो बनाता है लेकिन छुप-छुप कर पीना तो और भी निकृष्ट है । यह सरकार का दोष नहीं है । आज हमारा नैतिक स्तर इतना गिर गया है कि इसके लिये हमें कानून की आवश्यकता पड़ रही है । इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । जब इन शराब की दुकानों का दिवाला निकल आये तभी आनन्द है ।

हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने बात-बात पर बापू जी का नाम ले लिया । यह बड़े अफसोस की बात है । हर विवाद में चाहे वह औद्योगिक क्रांति का हो चाहे वह डेमाक्रेटिक प्रिंसिपल्स का हो, खाद्य समस्या का हो उसमें बापू जी की चादर घसीट ली जाती है । यह बड़े शर्म की बात है । मैं उनसे यह पूछना चाहती हूं कि क्या वे बापू जी के कदमों पर चलने का दावा करते हैं ? क्या उन्होंने जिन्दगी में झूठ नहीं बोला है ? क्या अहिंसा का रास्ता उन्होंने अपनाया है ? ये वही पार्टियां हैं.....

श्री राम अधार--

क्या आप चल रही हैं बापू जी के....

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैंने तो कभी दावा नहीं किया । मैं तो सिर्फ मिट्टी का शरीर हूं जो अवगुण का भंडार है । उससे मन और काया जब छूटेगी तभी बापू जी के कदमों पर चल सकूंगी । मैं आपके माध्यम से अपने मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहती हूं । सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपसे कहा यह एक सामाजिक कुरीति है, सामाजिक दोष है उसे दूर करने के लिये हमें सामाजिक रूप से कोशिश करनी चाहिये । हमको प्रचार करना चाहिये घर-घर में मुहल्ले-मुहल्ले में, स्कूल और कालेज में, विद्यालयों में ताकि हम मदिरा के प्रति लोगों के मन में अरुचि पैदा कर सकें । तो सामाजिक रूप से इसकी प्राब्लम को हमको हल करना चाहिये और अपने नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना चाहिये । दूसरी बात यह है कि लड़कियों के स्कूलों के पास शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिये । अभी कुछ महीने पहले महिला विद्यालय के पास एक शराब की दूकान खुलने जा रही थी, जिसको बड़ी मुश्किल से हमने रोका । इस बात का अवश्य

ध्यान रखना चाहिये। तीसरी बात यह ह कि त्योहारों के दिन जैसे होली, दीवाली, ईद या शिवरात्रि के पवित्र त्योहारों के दिन शराब की बिक्री बिल्कुल बन्द हो जानी चाहिये। रोक भले ही हो, किन्तु चोरी चोरी बेची जाती है, अतः उसकी अच्छी तरह से तहकीकात होनी चाहिये। एक बात यह है कि शराब में जो मिलावट होती है, जो मनुष्य की सेहत के लिए नुक्सान देह है, इसके विषय में ध्यान देना चाहिये और सरकार को एक्सवाईज इस्पेक्टरों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिये, ताकि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो सके। भ्रष्टाचार होता है, लेकिन मंत्री जी के आंकड़ों स पता चलता है कि वह बहुत कम हो गया है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, यह मेरी बदकिस्मती है कि आज मुझको श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के बाद बोलने का मौका मिला है और मैं इनकी तकरीर सुनने के बाद सोचता हूं कि यहां पर तकरीरों के बजाय शराब तक्सीम होती तो अच्छा होता। लेकिन मालूम पड़ता है कि मिनिस्टर साहब ने इस सदन के बाहर शराब का इंतजाम कर दिया है इसी वजह से यहां पर लोग कम और बाहर ज्यादा है। आज यहां पर शराब की नीति के बारे में बहस है। इस चीज के बारे में आज हमारे दो नजरिये हैं, एक तो जरे तंग नजरी है और दूसरा साकी-ए-रंगीनी है। आज शराब के बारे में जब उसके बजट पर मंत्री जी बहस करते हैं तो उनका नजरिया तंगदिली-तंगनजरी का है और उन्होंने साकी-ए-रंगीनी का काम स्वरूप कुमारी जी के सुपुर्द कर दिया है। बेहतर होता कि ये जाम बदल जाते। जैदी साहब कहते हैं शराब लजीज, सस्ती और बहुत होनी चाहिये। लेकिन मैं अर्ज करूं कि शराब कोई पिए या न पिए, लेकिन शराब बनेगी भी और तकसीम भी होगी। बहस तो इस बात पर है, सरकार से उम्मीदें है कि यह गांधी के नक्शे कदम पर चलती जायेगी जो वह उसके खिलाफ थे। लेकिन उस मुखालिफत में इस सवाल को सामने रख कर मैं इस पर इस सदन में विचार करना चाहता हूं। इस पर भी बात कर लें तो मुनासिब होगा। गांधी जी की पिकेटिंग की बात आई, वह अंग्रेजी शराब की दूकानों के सामने होती थी। वह इसलिये होती थी कि हम अपने देश को ऊपर उठाना चाहते थे। हमारा ताल्लुक, किसी सूरत में आगे बढ़ने से था और यह काम हमारा सोचना था। जो शराब की नीति है वह आज उस जगह पहुंच गई है, कोई शरीफ आदमी जो ईमानदारी से पैसा कमाता है, वह उस पर खर्च नहीं कर सकता है। विदेशी शराब की बोतल यहां पर दो-ढाई सौ रुपये की आती है। उसे पीना इस देश के लोगों के लिये सम्भव नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो शराब के कारखानों के मालिक हैं या जो मिनिस्टरों और सेक्रेटरियों को डाली के रूप में देना चाहते हैं। ऐसे ही लोग पी सकते हैं। देशी शराब में भी ३ किस्म की शराब हैं और चौथे किस्म की भी एक शराब है, जो मिनिस्टर साहब ने नजरन्दाज कर दी है। यह वह शराब है जो जहर है, जिस पर कोई टैक्स नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जो गांव-गांव में और हर मोहल्ले में तकसीम होती है। उसकी वजह यह है कि वह सस्ती मिलती है। आप ने उसमें रंग मिला दिया है, लेकिन जो लोग जहर भी पी लेते हैं, वे आपके इन कामों से बाज आने वाले नहीं हैं। देहरादून के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जहां कि फिजां इतनी नशीली नहीं है, जितनी लखनऊ की है। आपने देखा वहां कुम्भ हुआ और कुम्भ में हरिद्वार जैसी जगह में जहां पर शराब की कोई दूकान नहीं क्यू लगा कर शराब खरीदी गयी। हर की पौड़ी पर दूकानों पर शराब बिकती है। मैं जानता हूं कि मिनिस्टर साहब मजबूर हैं। मैंने बहुत अदब के साथ थानेदार जो कोतवाली के हैं उनसे कहा कि बहुत मेहरबानी होगी कि शराब को खत्म करवा दें। उन्होंने कहा कि एक महीने का वक्त दिया जाय। अब वाकई कम है। लेकिन फिर भी बिकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग]

दूसरी बात यह कि हरिद्वार के गांवों में जहां बहुत गरीबी है और तीस फीसदी स ज्यादा हरिजन रहते हैं, दिन में टिंक्चर पीते हुए हरिजनों के गिरोह मिलते हैं क्योंकि टिंक्चर पर कोई टैक्स नहीं है। टिंक्चर के लाइसेंस अभी तक इलाके के एम० एल० ए० और कांग्रेस के असरदार लोगों को दिये जाते थे। टिंक्चर दवाओं में न इस्तेमाल करके, शराब बनाने में इस्तेमाल होता था। मेरे यहां तो एक डाक्टर हैं, टिंक्चर किंग कहलाते हैं। उन के ऊपर मुकदमा चला। इस वास्ते उनके यहां पर कोई छापा नहीं मारा गया कि मजिस्ट्रेट को अख्तियार नहीं था छापा मारने को। एक शख्स उनके यहां गया। वह मुश्किल स दरवाजे से बाहर तक गया होगा, बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने उनसे पूछा, मेरे पास वह बहसियत मुवक्किल के आये थे कि कौन शराब इतनी तेज है जो पीने के दो मिनट के अन्दर पीने वाला बेहोश होकर गिर जाय। उन्होंने कहा कि शराब क्या होती है १५ पैसे की पुड़िया डाल देते हैं वह इतनी तेज शराब की तरह होती ह, लोग खरीद लेते हैं। आज मुल्क की हालत यह हो, आपकी पालिसी से अलग होकर जहर इस्तमाल हो रहा है, आप पालिसी बनायें इस बारे में कि जहर को इस्तेमाल होने से कैसे रोकें? आप की पालिसी वर्षों पहले बन चुकी है। आज जो पालिसी लेकर आये हैं मोहन मीकिन के कारखाने में बन चुकी है। आज आप यह करने जा रहे हैं कि हर नोटिफाइड एरिया में हर देहात में, हर कस्बे में अंग्रेजी शराब की दूकानें होंगी, क्यों होंगी क्योंकि मोहन मीकिन साहब नाजायज तरीके से कानून के खिलाफ, लाइसेंस के खिलाफ अपनी कैपेसिटी से चार और पांच गुना ज्यादा शराब बनाते जा रहे हैं। अगर कोई हरिजन अपने घर में एक लिटर भी शराब बना ले तो उस पर मुकदमा चलता है, छः महीने की सजा होती है, जेलखाने जाता है। मैंने जिस दिन जिक्र किया, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि यहां पर अगर दिल्ली से वारंट आ जायगा तो हम पहले शख्स होंगे जो मोहन को गिरफ्तार करेंगे। मेरे पास फीगर्स मौजूद हैं। मै आप को बता दूं। मोहन मीकिन की चार हजार किलोलिटर बियर बनाने की कैपेसिटी है। इससे ज्यादा बनाइयें तो जुर्म है। उन्होंने १६७१ में एक दरख्वास्त दी कि वह २५ हजार किलोलीटर बियर बनाना चाहते हैं। और उस दरख्वास्त पर सिफारिश की यहां पर एक बहुत माने जाने हुए सेक्रेटरी रह चुके हैं बी० बी० लाल साहब। उन्होंने कहा---मैं उनका नोट पढ़ कर सुना देता हूं।

"Meanwhile the matter about prosecution need not be proceeded with. We can also consider firm's application for expansion in the normal course."

मोहन मीकिन के खिलाफ नोटिस जारी हुआ कि जो उनके पास ५ हजार किलोलीटर के लाइसेंस उससे ज्यादा शराब बना रहे हैं, जिसकी उन्हें इजाजत नहीं है। लेकिन आजतक ज्यों का त्यों मामला पड़ा है। कोई मुकदमा चलाया गया? मैं फीगर्स देता हूं। १६६८ में मोहन ने ७ हजार ४२१ किलोलीटर बियर बनायी। १६६६ में १० हजार ३७८ किलोलीटर बनायी, १६७० में ११ हजार ६७८ किलोलीटर बनायी और १६७१ में देखा कि ११ हजार काफी नहीं है, तो दरख्वास्त दी कि अब २५ हजार किलोलीटर शराब हम बनायेंगे। जब २५ हजार किलोलीटर बनाने की इजाजत उनको मिलती नहीं है तो दूसरा रास्ता अखतियार करते हैं। दूसरी कम्पनियां खोल देते हैं दूसरे नामों से। जैसे गोल्ड वाटर। शराब बनती जा रही है जिस दिन से वह यहां आये हैं। इसके बाद कम्पनी खोली जायेंगी। आप पालिसी बना रहे हैं इसलिये कि जो आजकल गैर कानूनी तरीके से शराब बिक रही थी उसको कानूनी तरीका दे दिया जाय। हर गांव, हर कस्बे में और हर शहर में अंग्रेजी शराब की दूकानें होंगी। अब तक हरद्वार में जहां अंग्रेजी शराब बिकती नहीं थी वहां बिकने लगेगी। लक्सर में इसकी दूकानें होंगी। यदि आप हरद्वार के लिये चाहते हैं कि वहां प्रोहिबिशन रहे तो हरद्वार से चार मील दूर लक्सर रोड पर दुकान खुल रही है। आपका एक हरिजन जो

चार आने की शराब पीता था वह दस रुपये में शराब नहीं खरीदेगा। लेकिन वह बोतल वहां से आकर आपके हरद्वार में बिकेगी और उसकी रिश्वत में थानेदार और एक्साइज आफिसर्स शरीक होंगे।

आप अंग्रेजी शराब के ठेके नहीं कर रहे हैं बल्कि वही दुकाने होंगी जिनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय कर देंगे। एक साहब मेरे पास आये और कहने लगे कि हमको अंग्रेजी शराब का लाइसेंस दिलवा दो। मैंने उनसे कहा कि क्या यह मेरे लिये मुनासिब होगा कि मैं आपके लिये मिनिस्टर साहब से इसके लिये कहूं तो शरमा गये। वह मेरे कमरे में रहे और उन्होंने मुझ से कहा कि हमने अपना काम कर लिया है। यहां से मिनिस्ट्री से नाम तय करके जिलों में भेज दिये जायेंगे कि किन-किन को ठेका दिया जायेगा। जब नाम यहां से चले जायंगे तो कलेक्टर नाम तय कर देगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह जो लाइसेंस तकसीम होंगे वह पोलिटिकल कंसीडरेशन्स पर होंगे जो उनकी मदद करेंगे या मदद कर सकते हैं अब वह कसी मदद करेंगे इस पर बहस नहीं होगी, लेकिन उन लोगों को ठेका दे दिया जायेगा जो सियासी तरीके से आपके लिये मददगार हों। आप इस नीति पर चल कर गांधी जी की रूह को आराम नहीं पहुंचा सकते हैं। अधिष्ठाता महोदय ने ठीक ही कहा था कि गांधी जी का पुतला शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिये। मैं एक शेर नजर करता हूं वह यह है कि—

"खुम से शीशे में कभी शीशे से पैमाने में,
तोबा घबराई हुई फिरती है मयखाने में।"

श्री बालकृष्ण सनवाल—

अधिष्ठाता महोदय, आबकारी के संबंध में जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है उसका समर्थन और माननीय रामसेवक यादव ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आबकारी शराब का मसला ऐसा है कि जिसके दो पहलू हैं। पहला आध्यात्मिक जिसके आधार पर बार-बार राष्ट्रपिता गांधी जी का नाम लिया जाता है। हमारे एक मित्र ने यह आलोचना की कि कांग्रेस अपने स्थान से गिरी है और उसने खादी और मादक वस्तुय भी अपने विधान से हटा दी हैं। मैं समझता हूं कि यह सूचना उनकी गलत है। आज भी कांग्रेस के संविधान में किसी भी सक्रिय सदस्य के लिये खादी पहनना और मादक वस्तुओं के सेवन न करने की शर्त है। मैं नम्र निवेदन निवेदन करूंगा कि इस तरह की बात सदन में कहकर गांधी जी का नाम लेना और सत्तारूढ़ दल को बदनाम करना अच्छा नहीं है।

मान्यवर, जहां तक नैतिकता के प्रश्न का संबंध है, यह सही है कि मद्य निषेध होना चाहिये। इसमें कोई दो राय नहीं है और कांग्रेस सरकार की नीति रही है कि मद्य निषेध हो। इसके लिये क्या तरीके अखतियार किये जायं इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो पूर्ण मद्य निषेध लागू कर दिया जाय और मैं समझता हूं कि सारे प्रदेश में मद्य निषेध लागू किया जाये। यह संभव नहीं है कि यहां पर मदिरा न आये और लोग उसे न पियें। गुजरात और बम्बई में यह चीज करके देखी गयी, फिर भी शराब आती रही। हम देखते है कि कहीं पर संजीवनी सुरा के नाम से उसको पीते ह और अपना नशा बुझाते हैं। या तो इसे समस्त भारत में लागू किया जाये और इतनी बड़ी आमदनी को समाप्त किया जाये जैसा कि चीन में अफीम पर पाबन्दी लगाकर किया गया है। अगर एक पैसे का कोई टैक्स बढ़ायेगा तो शोर किया जायेगा, मेजे थपथपाई जायेंगी। आबकारी का एक आमदनी का जरिया है जिस पर सबसे कम खर्चा होता है और आमदनी सबसे अधिक होती है। आप आंकड़े उठाकर देख लें तो मालूम हो जायेगा कितने कम खर्चे पर कितनी अधिक आमदनी है। इसको इसलिये रोक दिया जाय कि यह संभव नहीं हो सकता है। संविधान में कहा गया है कि इसको शनैः शनैः समाप्त किया जाये। क्या शराब को सस्ती देकर या उसमें किसी तरह की छूट देने पर मद्य निषेध

[श्री बालकृष्ण सनवाल]

होगा ? या हम उसको इतना महंगा कर दें कि जन साधारण के लिये वह उपलब्ध ही न हो सके ? तो दो तरह की नीतियां हैं। एक वर्ग जो उसको बरदास्त नहीं कर सकता है और सामाजिक जीवन के लिये हानिकारक है उसके लिये मद्य निषेध का एक विभाग है जिसके द्वारा इसके दोष बताये जाते हैं और भारी टैक्सेशन के द्वारा उसको ऐसा बनाया जा सकता है, कि जन साधारण की पहुंच के बाहर हो जाये।

हमारे मित्र ने कहा कि कोई ऐसी चीज मिला कर शराब की तरह पिया जाता है जिससे स्वास्थ्य को हानि होती है। अगर ऐसी स्थिति है तो उसका कड़ाई के साथ सामना करना चाहिये जिससे शराब के बदले में किसी को जहर न दिया जाये। वहां पर इस तरह के अवैध कारखाने घर घर में मिल रहे हैं। मुझे सूचना मिली है कि कई जगहों पर बड़े २ फार्म हैं वहां पर शराब बनायी जाती है, कच्ची शराब बनायी जाती है। तराई भाभर में विशेष रूप से किसी भी घर में जाइये वहां कच्ची शराब देखने को मिलती है। एक सरदार जी के यहां एक ग्राम में गया वे चारपाई पर बैठे थे। मैं वहां गया। हमारा एक साथी था उससे वे पंजाबी में बोले और शराब की बोतल ले आये। मैंने समझा कि सोडा की बोतल है। जब वह पीने लगे तो मुझे समझ में आ गया कि यह शराब है।

यहां पर यह कहा गया कि सरकार पूरी तरह से अपनी नीतियों पर नहीं चलती है। आज जो वास्तविकता हमारे सामने है वह बात है ही क्या, उतनी बड़ी धनराशि को हम खत्म कर देंगे तो क्या देवरिया जिले में, पिछड़े हिस्से में दक्षिणी पठारी हिस्से में आज जो हमें विकास के काम करने हैं उनके लिये धन कहां से आते हैं। कोई भी ऐसा सुझाव हमारे विपक्ष की ओर से नहीं आये। बार बार यह कहते हैं बड़े-बड़े सेठों पर टैक्स क्यों नहीं लगाते हैं। टैक्स उन पर क्यों नहीं लगाये जायं ? बताते नहीं हैं कि कौन सा टैक्स लगायें जिससे कि जनता पर भार न पड़े। ऐसा कोई सुझाव आज सामने नहीं आता है। केवल एक औपचारिकता के आधार पर, केवल आलोचना के लिये बिना कोई ऐसा सुझाव दिये हुये कि जो जनहित में हो, जो कार्य रूप में परिणत किया जा सकता हो, कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर देते हैं। इसलिये मैं जहां इन मांगों का समर्थन करता हूं वहां इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

अधिष्ठाता महोदय, शराब के नाम पर अगर कुछ लोगों को कुछ शेर याद आ जाय या शाकी की याद आ जाय या फिर अमीर खुशरू या गालिब याद आ जायं तो कुछ लोग ऐसे हैं इस सदन में जिन्हें आचार्य नरेन्द्र देव और डा० लोहिया भी याद आ सकते हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि गांधी जी के नाम पर या गांधी जी का नाम लेने पर शायद हमारे सामने सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि तुम तो गांधी वादी नहीं हो, कांग्रेस की बेंच में बैठने वाले ही वही असली गांधी वादी हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि गांधी जी के राजनीतिक वारिश आज गांधी की सारी नीतियों के खिलाफ काम करते हैं और यह देखकर बड़ा अफसोस होता है। आज शराब की मात्रा बढ़ती ही जा रही है।

अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार की जो शराब के बारे में नीति है मैं समझता हूं कि एक ऐसे मर्ज की है जो दिन में तो एक पत्नी की तरह से दिखाई देती है और रात में बहुत सी औरतों की इज्जत पर दाग लगाये। यह सरकार पोस्टरों के जरिये, प्रचार के जरिये शराब पीना बुरी बात है, शराब नशा पैदा करता है। इस तरह के प्रचार हो चुके हैं और वे प्रचार तो

---

*बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसे भी हैं जिसमें बहुगुणा साहब की तस्वीर छापकर इस तरह प्रचार हो चुके हैं। अगर इस कथनी के बाद कांग्रेस सरकार की करनी की ओर देखा जाय तो सरकार के आंकड़े और राजस्व इस बात को साफ साफ बता देंगे कि सरकार का प्रचलन बढ़ा है। शराब का प्रचार बढ़ा है। शराब पीना लोगों ने कम नहीं किया है बल्कि शराब पीना ज्यादा कर लिया है।

मैं अधिष्ठाता महोदय एक बात साफ कहना चाहता हूं कि जब यह सरकार शिक्षा के सवाल पर पिट गई और जब यह सरकार लोगों की रोज की जिन्दगी में आने वाली बातों में पिट गई, तो यह खाली अपना राज्य चलाने के लिये शराब का प्रचार कर रही है। इस प्रकार से इनकी नीतियों से ऐसा कोई आदर्श समाज नहीं बन सकता है जिसका पाया शराब के आधार पर चल रहा है। खाली पैसा ही सब कुछ नहीं हुआ करता। अगर पैसा ही सब कुछ है तो फिर सोचना पड़ेगा कि इंग्लैण्ड, अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर इन देशों की बात न करें। तो बाम्बे और दिल्ली के विद्यार्थी, नवजवान के मुकाबिले में उत्तर प्रदेश के नवजवानों का क्या होगा, अगर शराब इस तरह से बढ़ती चली गई तो। किसी भी सूबे में या मुल्क में शराब के बल पर वहां की जनता को ईमानदार नहीं बनाया जा सकता है।

आम शिकायत है कि विद्यालयों के बगल में शराबखाने खोले जा रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि महिला विद्यालयों की बगल में ही शराबखाने खोले जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक सवाल कहना चाहता हूं कि जब शराबखानों की संख्या बढ़ायी जायगी, तो जमीन पर ही तो वे शराबखाने खुलेंगे, आसमान पर तो नहीं खोले जायेंगे और हो सकता है कि उसकी बगल में या तो महिला विद्यालयों या बालकों के विद्यालय हों। प्रश्न यह है कि उनके करीब खोले जायं या न खोले जायं। जब शराबखाने खुलने ही हैं तो या तो वे निश्चित रूप से किसी शरीफ आदमी के घर के पास होंगे या किसी विद्यालय के करीब में खुलेंगे। माननीय सदस्यों ने कहा कि स्कूल और कालेजों के पास शराबखानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसका हर आदमी विरोध करेगा, लेकिन जब शराब के प्रसार की बात चल रही है तो यह सोचना पड़ेगा कि शराब की दुकाने कहां पर खोली जायं। इसका उदाहरण देने के लिये मैं निवेदन करूंगा कि हर जिले में, हर शहर में जितने भी शराबखाने खुले हुए हैं, वे उनमें से ६० प्रतिशत ऐसे हैं जो कि शिक्षण संस्थाओं की बगल में १०० गज के फासले पर ही खुले हुए हैं। अगर माननीय सदस्यों की शिकायतों पर इसके निराकरण के लिये कदम उठायें जांय तो ६० फीसदी दुकानों को आपको शहर की बस्तियों से बाहर ले जाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी यह काम कर दें तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।

आज यह सरकार जिस सभ्यता की गुलामी कर रही है, जिस औद्योगिक सभ्यता की ओट लेती है, उसमें शराब पीना गुनाह नहीं है बल्कि एक विशिष्टता समझी जा रही है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, एक साल हुए कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में भी यह प्रस्ताव हुआ था कि शराब पीना वर्जित नहीं होना चाहिये, जो चाहे वह पीएं। लेकिन जब इस सभ्यता की गुलामी आप लाद देंगे जो कि औद्योगिक सभ्यता को चलाती है, जो नेहरू सभ्यता में बहेंगे, जो कि विदेशों से प्रभावित होकर चल रही है, तो शराब को नहीं रोक सकेंगे लेकिन अगर आप छोटे छोटे, लघु उद्योगों, की सभ्यता को चलायेंगे तो इस शराब की पाबन्दी पर आप सोचेंगे इस शराब का जितना बुरा असर आज इस देश और इस सूबे की नयी पीढ़ी पर पड़ रहा है शायद और किसी पर नहीं पड़ रहा है। आज प्रदेश का नौजवान आपकी नीतियों से निराश है। आजादी तो आपने ले ली लेकिन जो चरित्र आपका होना चाहिये, वह आपने पेश नहीं किया है। शराब का प्रचार करके, नये-नये लाइसेंस देकर, नैतिकता की बात, मैं नहीं समझता कि किसी को कहनी चाहिये। अगर इस प्रकार से शराब का प्रचार और प्रचलन प्रदेश में और देश में चलता रहा तो २-३ साल में इस सूबे का नौजवान यह आशा नहीं करेगा कि आपका सूबा केरल,

[श्री शत्रुरुद्र प्रकाश]

महाराष्ट्र, बम्बई और दिल्ली से बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकेगा। जिस तरह से आज पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से पिछड़ा रहेगा।

आपका आबकारी विभाग शराब के नाम पर ईमानदारी से तो चल ही नहीं सकता है। इसलिये यह सोचना कि शराब का विभाग शुद्ध ईमानदारी पर चलेगा, मैं समझता हूं कि यह सोचना ही गलत है। लेकिन दो तीन बातें रखना चाहता हूं। जहां तक मुझे जानकारी मिली है आबकारी विभाग के इन्सपेक्टरों की नियक्तियां और प्रोमोशन ऐडहाक तरीके पर किये जा रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से उनकी पदोन्नतियां नहीं की जा रही हैं। मुझे अच्छी तरह पता लगा है कि आगरे में एक धवन साहब अधीक्षक या सुपरिटेंडेंट हैं जो ५५ साल की उमर गुजर जाने के बाद भी प्रोमोशन पा गये हैं सरकार के इशारे पर। एक विशेष अवसर उनको दिया गया। आज निश्चित तौर पर जबकि शराब की मार्फत पैसा कमाना ही यह एक्साइज विभाग एक हथियार हो गया है, दूसरी तरफ राजनीतिक मकसदों को पूरा करने के लिये आप शराब का प्रचलन बढ़ा रहे हैं और शराब की दूकानों की संख्या बढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे निश्चित तौर पर जनता को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। इसलिये आप चाहें तो पूरी शराब बन्दी कर दें या चाहे तो शराब का प्रचलन अगर बन्द नहीं कर सकते हैं तो भौगोलिक आधार पर इतना तो करें कि गरमी के मौसम में एक बूंद भी सरकारी इन्तजाम के साथ न बिकने पाये। इतना ही मुझे कहना है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं आबकारी के बजट के समर्थन में बोल रहा हूं। जब यह बजट पेश किया गया तो मुझे ऐसा लगा कि सदन में कुछ बहकी-बहकी बात की जाने लगी है और जो बात बुनियादी है, जो कहनी चाहिये वह विरोधी पक्ष नहीं कह पा रहा है। असलियत यह है कि उर्दू शायर के शब्दों में बहकने पर कहा जाता है।

"कम-जर्फ को न दे शराब ऐ साकी,
कि मैखाने की बात मैखाने के बाहर न जाय।"

यह स्थिति है। बुनियादी स्थिति यह है कि मद्य निषेध की नीति हमारी महात्मा गांधी की प्रेरणा से है और हमने देखा है कि टोटल-प्राहिबिशन बहुत मुश्किल है। बाम्बे और गुजरात के उदाहरण आपके सामने हैं जहां मद्य निषेध को पूर्ण रूप से लागू किया गया लेकिन वहां लाखों गैलन शराब गलत तरीके से पहुंचती है और जिन साहब ने बन्द किया था उन्हीं के नाम पर उसका ब्रांड रख दिया गया है—"मोरारजी ब्रांड।" यहां सबसे बड़ी सामाजिक क्रान्ति की आवश्यकता है जो कानून या डंडे के जोर से शराब-बन्दी नहीं की जा सकती, यह साबित हो चुका है। जिन-जिन प्रदेशों में लागू की गयी उनमें बाद में कानून में रिलैक्सेशन करना पड़ा। तो हमें जनता के बीच जाना होगा। हम केवल सरकार की आलोचना करने से या एक के प्रति आरोप करने से समस्या का हल नहीं ढूंढ़ना चाहिये, क्योंकि वह हल है ही नहीं। उसके लिये हमें सदन के बाहर सामाजिक क्रान्ति करनी होगी, लोगों को शराब के दोष बताने होंगे, उसके विरुद्ध भावना जाग्रत करनी होगी कि वह बुरी चीज है तभी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कानून से नहीं।

जहां तक कुछ सदस्यों ने शराब की मिलावट की बात कही, मैं समझता हूं कि वह ठीक है, वह नहीं होनी चाहिये, इससे स्वास्थ्य में फर्क पड़ता है। मैं देखता हूं कि जो देशी शराब के ठेके हैं उनको जितना कोटा दिया जाता है उससे अधिक वह लोग बेचते जाते हैं। देखा गया है कि जाली रंगों को मिला कर वह शराब बनाते हैं।

दूसरी बात यह देखी गयी है कि डिस्टिलरीज का चेकिंग प्रापर नहीं है। जितना भी इलिसिट लीकर बनता है वह इन ठेकों के माध्यम से ग्राहकों को बेचा जाता है। ये सब चीजें जो चल रही हैं और जो तस्कर व्यापार शराब का चल रहा है उसकी भी रोकथाम नहीं हो पा रही है क्योंकि जिन प्रदेशों में शराब का मूल्य कम है वहां से वह उत्तर प्रदेश में लायी जाती है और यहां बेची जाती है और टैक्स की चोरी दिन प्रति दिन होती है।

इस डिपार्टमेंट की कमियों के बारे में आपके माध्यम से आबकारी मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो ५० वर्ष से आबकारी विभाग बना हुआ है उसका नये सिरे स पुनर्गठन करना चाहिये। इस विभाग की ओर से जो टैक्स वसूल किया जा रहा है, वह ७१, ७२ और ७३ में ३१ करोड़ था और ७३-७४ में ३६ करोड़ था और प्रस्तावित ५० करोड़ है। लेकिन इस विभाग से खर्च किया जा रहा है कुल १/५ जबकि सैल्स टैक्स विभाग से १२-१३ परसेंट खर्च किया जाता है। जब ड्यूटी बढ़ी है, शराब के रेट्स बढ़े हैं तो दसरी जगहों से लाकर बेचने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है। इसलिये इस विभाग का पुनर्गठन करना चाहिये। इसके अलावा जब इलिसिट शराब या तस्करी की शराब पकड़ी जाती है तो इस विभाग के पास कोई मालखाना नहीं जहां वह रखी जा सके। वह कलेक्टरी के मालखाने में ही जमा करते हैं। उनकी मर्जी पर है कि वह उस माल को अपने यहां रखें या न रखें। इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह स्टाफ की कमी है। मैं आगरे की ही बात करूंगा। वहां ६-७ लाख की आबादी में दो कांस्टेबिल हैं और ३-४ इन्सपेक्टर। किसी जिले में इनका आफिस नहीं है, इन्सपेक्टर अपने घर पर ही काम करते हैं। इसके अलावा आबकारी विभाग वालों के पास कोई आर्म्स नहीं है, कोई गाड़ियां नहीं जबकि तस्करी करने वालों के पास वायरलेस सेट्स है, मार्डन आर्म्स हैं, नयी गाड़ियां हैं। इस विभाग वाले केवल साइकिल से दौड़ दौड़ कर पकड़ने की कोशिश करते हैं इसलिये ज्यादातर नाकामयाब रहते हैं। इसके अलावा आबकारी के कांस्टेबिलों का वेतन पुलिस कांस्टेबिलों से कम है। आबकारी निरीक्षकों की भी यही स्थिति है। इतने कम वेतन में इनसे ईमानदारी की उम्मीद करना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि आबकारी विभाग द्वारा जितने लोग पकड़े जाते हैं उनके मुकदमों की पैरवी तथा डाक्युमेंट्स वगैरह की तैयारी पूरी नहीं हो पाती क्योंकि इनके पास इस तरह का कोई विभाग नहीं है। इसलिये सही केसेज भी छूट जाते हैं।

एक बात जो आबकारी मंत्री द्वारा घोषित की गई है कि विदेशी शराब की दूकानें दी जा रही हैं इससे फेयर कम्पटीशन चलेगा और एकाधिकार खत्म होगा और जो मिलावट करते थे उसकी रोकथाम होगी। दूसरे जब औद्योगीकरण ज्यादा बढ़ रहा है और अल्कोहल की मात्रा भी इंडस्ट्रीज में ज्यादा लग रही है उसमें टिंचर जिंजर का जो प्रयोग चल रहा है उसमें इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो अल्कोहल दिया जाता है उसमें ड्यूटी कम है। वहां पर एक्साइज का कोई आदमी मौजूद नहीं रहता जो यह देखे कि अल्कोहल जा कहां जा रहा है और उससे खराब शराब बनती है और बिकती है। इसके लिये एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिलों में जो आपके एक्साइज आफिसर्स हैं उनके ग्रेड ठीक होना चाहिये। अन्य विभागों में तो प्रथम ग्रेड के आफिसर्स आपने रखे हैं, किन्तु इस विभाग में द्वितीय ग्रेड के हैं। यह ठीक होना चाहिये ताकि वे लोग ईमानदारी से अपना काम कर सकें।

इस सबके लिये मेरा मंत्री जी से सुझाव है कि वे एक ऐसी समिति बना दें जो सारी बातों पर विचार करके अपने सुझाव दे। जो लोग तस्करी करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा दंड देना चाहिये। जो अन्य कमियां हैं उनकी ओर भी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये।

*श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

माननीय अधिष्ठाता जी, एक समय वह था जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी मद्य निषेध के लिये शराब की दूकानों का घिराव करते थे, धरना देते थे, उनके साथी डंडे खाते थे, जेलों में जाते थे, महिलायें जान देने के लिये तैयार रहती थीं, और एक समय आज वह है कि जब इसी शराब पियो और पिलाओ की तारीफ करने के लिये और उसको बढ़ाने के लिये आज की महिला सदन में गरजती हैं। विधायक होने के बाद शायद उन्होंने दारुलशफा की शाम नहीं देखी है, अगर देखी होती तो उनको पता चल जाता....।

(व्यवधान)

मान्यवर, हमारी सरकार ने गरीबों के लिये बड़ा अच्छा नुक्सा शराब की दूकानें बढ़ाकर निकाला है। राम राज्य पैदा करने वाली इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। शराब पीकर प्रदेश की गरीबी नहीं मिटी है, लेकिन प्रदेश की ६ करोड़ गरीब जनता मिटती जा रही है। सरकारी पक्ष के लोग यह कहकर इसकी हमदर्दी कर रहे हैं कि इस से ५० करोड़ रुपया प्राप्त होता है। इस पाप की कमाई से जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। आज यह सत्ताधारी इस स्तर पर आ गये हैं कि सड़कों पर शराब बिकवाने लगे हैं, जनता नालियों में गिर रही है। कुछ दिन पूर्व एक विधेयक आया था जिसमें शराब को सुस्वाद बनाने की बात थी। यह सरकार विरोध पक्ष पर आरोप लगाती है, मगर खुद ६ करोड़ जनता को शराब बाट रही है। चोरी करते हैं और फिर सीना जोरी करते हैं।

मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से अब एक बात और कहना चाहता हूं वह यह है कि जिन स्थानों पर शराब का ठेका १० लाख रुपये में नीलाम हो सकता है, आबकारी विभाग ६ लाख रुपये पर करता है। सोचने की बात है, मान्यवर, उसका प्राफिट १ लाख का अगर हुआ तो भी ७ लाख केवल हुआ। परन्तु ठेका १० लाख में बिकता है और यह ३ लाख कहां जाते हैं। यह ३ लाख या तो कर्मचारी खाते हैं या वहां का ठेकेदार इन्कम टैक्स को बचाता है या फिर ऊपर से लेकर नीचे तक सभी इसमें मिले हैं। तो इसके लिये सरकार सिर्फ जिम्मेदार है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि मंगलवार को दूकान बन्द करने का ढोंग रचाया गया है। वह केवल इसलिये किया गया है कि, इक्साइज इंस्पेक्टर, थानेदार, को मंगलवार को दूकान खोलने के लिये ठेकेदार घूस दे और फिर अपनी दूकान खोले। मान्यवर, होली पर चले जाइये, सड़कों में नालियों में लोग बिखरे पड़े हुए आपको मिलेंगे। यहां कहा जाता है कि दूकान मंगलवार को बंद रहेगी। तो मंत्री जी इस ओर देखें।

अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बहुत से धार्मिक स्थानों पर मद्य निषेध होना चाहिये। मान्यवर, अयोध्या, भगवान राम की पावन नगरी है। यह एक पुण्य स्थली है। उत्तर प्रदेश की ही नहीं सारे देश की। लेकिन वहां पर, अयोध्या के अन्दर शराब बन्द नहीं है। मद्य निषेध नहीं है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुण्य-स्थली भगवान राम की नगरी में से शराब को हटाया जाय।

मान्यवर, मेरठ के अन्दर लोगों को स्प्रिट का परमिट दिया गया है। और उनको स्प्रिट लेने के लिये दूर-दूर जगहों को जाना पड़ता है। जबकि निकटवर्ती स्थानों पर उनको स्प्रिट मिल सकती है। तो मान्यवर, उनको निकटवर्ती स्थानों पर स्प्रिट मिलने की सुविधा होनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण की पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, बड़ी दुहाई दी जाती है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दूकानें नहीं खुलेंगी। मान्यवर, जालौन, कोंच, के अन्दर बाल, कन्या दोनों विद्यालयों के बीच में शराब की दुकान है। मान्यवर, मंत्री जी इसकी जांच करें। दूसरे वहां पर राम लीला भवन के १५–२० कदम पर कोंच, जिला जालौन में शराब का ठेका है। मान्यवर, यहां कहा जाता है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब के ठेके नहीं होंगे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज अंग्रेजी शराब की दूकानें शहरों में बढ़ती चली जा रही हैं। उनके दो प्रयोजन है। एक यह है कि जैसे मोहन मीकिन, जो कांग्रेस के लिये लाखों रुपया चंदा देती है। उनको एडजस्ट करना है। और दूसरे जो इन दूकानों को लाइसेंस दिया जाता है और लाइसेंस पाने के लिये २० हजार–३० हजार रुपया आज लिया जाता है –जिलाधिकारी–कमिश्नर–और अन्य लोगों के दरवाजों को खटखटाया जाता है। उनको नोटों की गड्डियां दी जाती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से लोगों से रुपया लेकर आप अन्य लोगों को शराब पिलाकर न मारिये।

मैं दो एक (लाल बत्ती जलने पर) सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं २ मिनट का समय और लूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपके २ मिनट अभी बाकी हैं।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

मान्यवर, इनके अलावा और दो मिनट चाहता हूं।

मान्यवर, एक बात कहता हूं कि अगर किसी के गंदा फोड़ा हो जाय और उसको सूचना मिल जाय कि उसकी मृत्यु फोड़े से हो जायेगी तो वह उसको फोड़ने के लिये, आपरेशन कराने के लिये कोशिश करेगा। आप यह तर्क देते हैं ५० करोड़–४० करोड़ की आमदनी जो हो रही है वह कम होगी तो कृपा करके आप जन जीवन के साथ खिलवाड़ न कीजिये। आप इस फोड़े का आपरेशन कीजिये नहीं तो मृत्यु अवश्यम्भावी है। इसलिये मृत्यु से बचने के लिये आप इस फोड़े को दूर कीजिये और मद्य निषेध करिये, यह अत्यन्त आवश्यक विषय है।

मान्यवर, एक बात मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज मद्यनिषेध के लिये परिवार नियोजन जैसा बड़ा विशाल प्रचार किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि पहले सिनेमा स्लाइड पर शराब पीना खराब दिखाना चाहिये दिखाया जाता था परन्तु अब सिनेमा स्लाइड नहीं दिखाई जाती है जो कि दिखाई जानी जाहिये। यदि सचमुच मद्यनिषेध हो तो इसके लिये गांव-गांव में प्रचार करना होगा। मैं कहना चाहता हूं मनुष्य पहले मदिरा को पीता है, फिर मदिरा मदिरा को पीती है, और अन्त में मदिरा मनुष्य को पी जाती है। मंत्री जी आप शराब नहीं पिलाते हैं, जहर पिलाते हैं। अंत में मैं पूज्य बापू जी की आत्मा की शांति के लिये कहूंगा कि जो सपना उन्होंने गुलामी के समय में देखा था कि भारत का नागरिक चरित्रवान बनेगा तो वह तब तक चरित्रवान नहीं बन सकता जब तक कि देश में शराब खत्म न हो। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, अधिष्ठाता जी, हम आपके बड़े आभारी हैं कि कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में हमें आपने कुछ कहने का मौका दिया। मान्यवर, एक पुरानी किताब पढ़ी थी जिसमें राज्य के विनाश के लिये कौन सी चीज जरूरी है लिखा था। इसके सम्बन्ध में उस राज्य नेता ने लिखा है कि जिस राज्य में शराब की पाबन्दी न हो, जिस राज्य में जुआं खेलने पर पाबन्दी न हो तथा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

जिस राज्य में वेश्यावृत्ति पर पाबन्दी न हो वह राज्य जल्दी ही नष्ट हो जायगा । यहां शराब पीने पर पाबन्दी नही है, लाटरी के नाम पर जुआं भी हो रहा है तथा वेश्यावृत्ति यदि देखना हो तो चले जाइये हरिजन गांव की बस्ती में । इस सरकार का विनाश कब होगा इसको हम-आप सभी जानते हैं । इसका जल्दी ही विनाश होने वाला है। मद्यनिषेध हो, ऐसी योजना इस सरकार की है । जंगल लगाओ और जंगल कटाओ । यह योजना भी चलती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शराब पर पाबन्दी लगाना मुश्किल है । अब यह एक सैद्धांतिक बहस की बात केवल रह गई है । हमारे जीवन में, हमारे पक्ष में इस सत्ता ने शराब को एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में बदल दिया है । जब से मोहन मेकिन का रिश्ता हुआ तब से और आवश्यक बन गई । पहले राज्य सभा का मेम्बर बुद्धिमान, योग्य और समाज सेवी व्यक्ति होता था । परन्तु अब पैसे वाले मोहन मेकिन जैसे व्यक्ति राज्य सभा के मेम्बर होते हैं । इसके बाद मारुति कारखाने का शेयर जिन्हें मिल गया वे और भी कुछ नये रिश्ते भविष्य में आने वाले हैं । तो श्रीमन्, शराबखोर लोग शराब इंडस्ट्री में शासन पक्ष के लोग बढ़ रहे हैं । उसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं ।

एक सदस्य ने कहा कि इनको आमदनी की जरूरत है । तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या उनके पास और कोई सुझाव नहीं था । अगर सुझाव देना है तो इसके सम्बन्ध में डाक्टर लोहिया जी ने कहा था कि आमदनी की हदबन्दी कर दो । तो इससे आमदनी बढ़ सकती है । क्या सरकार १५,००० रु० पर हदबन्दी करेगी। यदि सरकार १५,००० रु० पर हदबन्दी कर दे तो शराब से जो पैसे मिलते हैं वह मिल जायेंगे । इससे कालाधन बाहर आ जायगा । इसी प्रकार १०० रु० के नोट पर पाबन्दी लगा दें तो कालाधन बाजार में बाहर आ जायगा । हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि जो स्थिति चल रही है शराब के सम्बन्ध में वह अब एक अनिवार्य बुराई के रूप में हमारे गले में पड़ गई है । और हम और आप इसको दूर नहीं कर सकते हैं । इसको दूर करने के लिये विभाग को प्रयत्नशील होना चाहिये ।

आप जानते हैं कि शराब एक अनिवार्य बुराई है और इसके साथ बेईमानी लगी हुई है । यह भी जानते हैं कि इसका ढांचा ऐसा है- मेरा इशारा मोहन मीकिन्स की तरफ था और मेरे पास इस समय रिकर्ड नहीं है, नहीं तो मैं बताता कि कितना रुपया केवल शराब बहने के नाम पर मोहन मीकिन्स को दे दिया गया । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान गोरखपुर के केस की तरफ ले जाना चाहूंगा । वहां का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यह नहीं लिखता की वहां पर कोई बाढ़ आई है, लेकिन शहर के दो-चार बड़े-बड़े ठेकेदार यह लिखते हैं कि वहां पर बाढ़ आई है और इस तरह से २ लाख रुपया एक्साइज के विशेषज्ञ जो यहां पर बैठे हुये हैं, बाढ़ के नाम पर दे दिया जब कि राप्ती में बाढ़ नहीं आई, गंडक में बाढ़ नही आई, जो छोटे-छोटे ठेकेदार गांव में रहते हैं वहां पर बाढ़ नहीं आई, बाढ़ तो केवल दो-चार बड़े-बड़े ताड़ी के ठेकेदार हैं वहां आई और दो लाख के करीब रुपया दे दिया गया । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के भूतपूर्व विधायकों ने कम से कम ५० हजार रुपये का ब्लकमेल एक्साइज कमिश्नर से किया । यह एक घटना नहीं है, ऐसी अनेक घटनायें हैं । एक्साइज विभाग का एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप ऐसा है कि वहां मनमानी होती है । हमारा इलाका चीनी का इलाका है । वहां पर मुलेसिस इन्सपेक्टर पोस्टेड हैं। जो शुरू का इन्सपेक्टर है वह सब-इन्सपेक्टर है । उसको तो इन्सपेक्टर पोस्ट नहीं किया बल्कि उतनी ही क्वालीफिकेशन का दूसरा इन्सपेक्टर पोस्ट कर दिया क्योंकि उनका तो चैनल ही दूसरा है और जो विभाग हैं वह कुछ खास लोगों को ही पोस्ट करना चाहता हैं । माननीय मंत्री जी मौजूद हैं, उन्हीं के समय की एक घटना मैं बताना चाहता हूं कि एक बार मंत्री जी झांसी गये थे, वहां एक इन्सपेक्टर उनके ड्राइवर को ५० रुपये घूस दे रहा था कि वह उनका ट्रांसफर करवा दें । उन्होंने उसको डाटा और सस्पेन्ड करने की धमकी दी । वही इन्सपेक्टर आ जाता है लखनऊ और मंत्री जी बेखबर हैं । जितना रुपया चाहे वह गैर सरकारी लोग

हों या सरकारी, वह ज्यादा देंगे उन की ही पोस्टिंग अच्छी होती है । न किसी की योग्यता और न सीनियारिटी की तरफ ध्यान दिया जाता है । मिनिमम ५ हजार रुपये हैं । अगर बढ़िया जगह चाहते हों तो १० हजार, उससे बढ़िया जगह तो २५ हजार रुपया । इस तरह से चल रहा है । अगर वह सब इन्सपेक्टर क्वालीफाइड है और काम कर रहा है । तो क्यों नहीं उसको इन्सपेक्टर आप डिक्लेवर कर दें और पुलिस से इनका रिश्ता अलग कर देना चाहिये ।

एक सुझाव मेरा यह है कि जितनी दूकाने हैं उन पर किसी गैर-सरकारी लोगों का नियंत्रण नहीं है । जितने भी स्प्रिट के लाइसेंस होते हैं वह शराब के रूप में पानी मिलाकर बेची जाती है । एडलट्रेशन के लिये भी कोई पाबन्दी नहीं है । शराब में १० गैलन पानी डालकर बेची जाती है उन पर कोई अंकुश नहीं है । वह इसलिये नहीं है कि, मैं जानता हूं कि करीब-करीब एक दर्जन ऐसे लोग हैं जिनको सत्ता पक्ष की तरफ से विधान सभा का टिकट दिया गया था । इसलिये मैं चाहता हूं कि जिस तरह से और समितियां हैं जिला स्तर पर उसी तरह से एक समिति बनाई जाय गैर सरकारी लोगों की जिससे इन पर नियंत्रण और कन्ट्रोल हो सके । यह आदेश तो निश्चित रूप से दे दिये जाने चाहिये कि विद्यालय से शराब की दुकानें दूर होनी चाहिये । नोटीफाइड एरियाज में शराब की दुकानें खोलने के लिये जो लाइसेंस देने के जो आदेश पारित हुये हैं उसको निश्चित् रूप से बिदड्रा होना चाहिये । जसा मैंने कहा शराब एक अनिवार्य बुराई है जो हमारे गले पड़ी हुई है, मैं चाहूंगा कि इसको जितना इसका दायरा कम और संकुचित किया जाय वह हमारे लिये, हमारे राष्ट्र के लिये कल्याणकारी होगा । इसीलिये मेरा यह सुझाव कि जिला स्तर पर एक गैर सरकारी लोगों की एक कमेटी होनी चाहिये, पर सरकार विचार करे । जो एक्साइज इस्पेक्टर हैं उसको पुलिस की भी पावर्स होनी चाहिये क्योंकि अगर दरोगा कोआपरेट नहीं करता तो वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर सकता । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस आबकारी अनुदान पर समर्थन में बोलने का अवसर दिया । कुछ दिन पूर्व एक अधिनियम शराब के कर में वृद्धि हेतु प्रस्तुत किया गया था । उसका मकसद था कि शराब को इतना महंगा कर दें जिससे लोग उसका कम से कम उपयोग करें और उसके माध्यम से मद्य निषेध को इस प्रदेश में लागू कर सकें । अभी हमने विरोधी पक्ष के सदस्यों के मुंह से बापू का नाम सुना । आज वह बापू का नाम लेते हैं । एक दिन वह था जब वे बापू के प्रति घृणा और द्वेष का भाव इस देश और प्रदेश में पैदा करते थे । यदि वे उन्हीं दिनों बापू के नाम की दुहाई देते तो यह सम्भव था कि आज भी बापू हमारे बीच में होते और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता। मद्य निषेध से कांग्रेस का बड़ा भारी सम्बन्ध है । दुकानों का पिकेटिंग कर और धरना देकर हजारों की संख्या में जेलों को भर दिया था। आजादी के बाद बम्बई, गुजरात और भिन्न-भिन्न प्रदेशों में मद्य-निषेध पूर्ण रूप से लागू हुआ लेकिन वह सफल न हो सका। यह पाश्चात्य सभ्यता का असर है कि शराब की ओर लोग आकर्षित होते हैं । जब यह वास्तविकता है कि शराब को लोगों से छुड़ाया नहीं जा सकता तो निश्चित है कि उसको नियंत्रित करने की व्यवस्था की जाय । नियंत्रित ढंग से दुकानों को खोलने और संचालित करने का सरकार का लक्ष्य और सिद्धांत है । जितनी भी नशीली वस्तुयें है गांजा, अफीम और भांग आदि उनकी बिक्री की सरकारी दुकानों के माध्यम से व्यवस्था की गयी है । हफ्ते में एक दिन ये दुकानें बन्द भी रहती हैं । जहां तक देशी शराब की दुकानों का सम्बन्ध है इन पर कोई नियंत्रण नहीं है इसलिये बड़ी अव्यवस्थायें फैलती हैं । जो लोग शराब, गांजा, अफीम का प्रयोग करते हैं उससे केवल आर्थिक क्षति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री देव बहादुर सिंह]

ही नहीं पहुंचती बल्कि यह अपराध को भी जन्म देते हैं। जो हमारी शराब की, नशीली वस्तुओं की दुकाने हैं यदि वहां से ये चीजें उपलब्ध नहीं होतीं तो लोग उनका स्वयं निर्माण करते हैं। महुआ से लोग शराब बनाते हैं। सरकार ने उसको रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन वह बन्द न हो सका। जितनी भी अधिक संख्या में लोग अपने घरों में इसका निर्माण करते हैं उतनी ही सरकार की कम आय होती है। यदि हम चाहते हैं कि आबकारी से जो धन हमें मिलता है उसमें वृद्धि हो तो यह तभी सम्भव है कि जो लोग घरों में शराब बनाते हैं उसको नियंत्रित किया जाय।

दूसरी बात यह है कि इस बात की व्यवस्था है कि जो धार्मिक स्थान हैं या स्कूल हैं वहां शराब की दुकानें न खोली जायं। लेकिन मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर वह इसका सर्वेक्षण करायें तो वह पायेंगे कि शिक्षा संस्थायें या धार्मिक स्थल हैं उनके नजदीक और कहीं-कहीं पर तो बिलकुल दरवाजे पर ही शराब की दुकानें विद्यमान हैं। इसका बड़ा कुप्रभाव लोगों पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो विदेशी हिप्पी आते हैं वे भी धार्मिक स्थानों पर नशीली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिसका भी कुप्रभाव पड़ता है। अगर इन पर नियंत्रण लगा सकें तो भावी पीढ़ी पर अच्छा असर पड़ेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि पता नहीं कानून में कहीं कोई कमी है, या आप सफल नहीं हो रहे हैं। अगर आप असफल हैं, तो सफल किया जा सकता है। कम से कम धर्म-स्थान जो हैं, जैसे हरिद्वार आदि हैं, वहां वह बन्द होनी चाहिये। श्रीमन्, नैनीताल नीमकरौली बाबा के आश्रम पर सैकड़ों की संख्या में हिप्पी लोग जाते हैं। आज भी विद्यमान होंगे। कुछ लोग इस देश और प्रदेश में इसीलिये आते हैं कि यहां नशीली वस्तुयें खुलकर सस्ते दामों में मिलती हैं। केवल शराब ही नहीं है, जिसका कुप्रभाव लोगों पर पड़ता है, और भी बहुत सी चीजें हैं। हल्दवानी की एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें जिंजर-टिंचर पीने के कारण बीसों आदमियों का देहान्त हो गया और किसी का चालान नहीं हुआ। मेरा सुझाव है कि जिंजर-टिंचर पर भी लाइसेंस हो और उसका उपयोग केवल दवा में हो, पीने के लिये नहीं। हमारे यहां बड़ा नुकसान इससे हुआ है। एक बार एक प्रतिनिधि मंडल भी आया था सरकार से मिलने कि इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाय, लेकिन वह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जंगे-आजादी के दौरान गांधी जी ने शराब के खिलाफ पिकेटिंग किया और यह नारा दिया कि शराबखानों को बन्द किया जाय, यह बहुत बुरी चीज है। लेकिन आज उन्हीं महात्मा गांधी के मानने वाले शराबखाने खुलवा रहे हैं। और यह कह रहे हैं कि खूब शराब पिओं। क्या कल का वह नारा जो शराब के खिलाफ गांधी जी ने लगाया था, उसको ये भूल गये या क्या आज शराब की वह बुराइयां अच्छाइयों में नजर आने लगी हैं। क्या वजह है? मान्यवर, बुराई, हमेशा बुराई है। उसको कभी अच्छाई में नहीं याद किया जा सकता शराब इसलिये गुनाह और जुर्म है, क्योंकि इससे सारी बुराइयां फैलती हैं। मैं बड़ी सफाई से अर्ज करना चाहता हूं.....।

मेरी उधर के साथियों से गुजारिश है कि कृपया हंसे नहीं, गौर फरमायें...।

श्री अधिष्ठाता---

शायद कुछ लोगों को आप के नाम से नशा हो गया है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क---

तो मैं मान्यवर, जिगर मुरादाबादी की कुछ लाइनें अर्ज कर दूं---

जानकर मिनजुमलाये खासाने, मैखाना मुझे,
मुद्दतों रोया करेंगे, जामो पैमाना मुझे।

मान्यवर, ये लोग शराब इसलिये लोगों को पिलाना चाहते हैं कि आने वाली नस्लें आपको याद रखें कि कांग्रेस सरकार ने उनके लिये शराब का इंतजाम किया । इसलिये ये शराब पीना जारी रखना चाहते हैं कि आने वाली नस्लें इनको इन अल्फाजों में याद रखें ।

मान्यवर, आज शराब की वजह से हमारे देश और प्रदेश के अन्दर जो बुराई और कमी महसूस की जा रही है उसके बारे में मैं बड़ी सफाई से अर्ज करना चाहता हूं । मान्यवर, जहां तक गरीबी का ताल्लुक है, बेकारी का ताल्लुक है और बहुत सी बुराइयों का ताल्लुक है, उसमें शराब का बहुत बड़ा हिस्सा है । शराब की वजह से गरीब मजदूर अपनी खून और पसीने की कमाई को शराब में बरबाद करता है और उसके बच्चे भूखे सो जाते हैं । क्या यह सरकार इस बात से इन्कार कर सकती है कि शराब से हमारे देश को नुकसान नहीं पहुंच रहा है । आपको यह मानना ही पड़ेगा कि शराब एक ऐसी बुराई है जो एक नहीं बल्कि बहुत सी बुराइयों की जड़ है । जब तक इसको नाजायज नहीं करार दिया जायेगा और जब तक इस पर मुकम्मल पाबन्दी नहीं लगायी जायेगी, हमारे प्रदेश से ये तमाम बुराइयां जो आपको नजर आ रही हैं दूर नहीं हो सकेंगी ।

हमारे देश में गरीबी , बेकारी तथा मुफलिसी फैल रही है मगर इसके लिये जितना बजट आप मंजूर फरमा रहे हैं उसके बरअक्स मुकाबले में जो लोग शराब पीकर नशा करते हैं और पैसा बरबाद करते हैं, अगर इन दोनों का मुकाबला आप करेंगे तो यह पायेंगे कि कमाई के मुकाबले आप तबाही तथा बरबादी को ज्यादा इंवाइट कर रहे हैं । जितनी आमदनी इससे सरकार को होती है उससे कहीं ज्यादा मुल्क का सरमाया बरबाद हो जाता है और न कभी यह चीज मुल्क के लिये मुफीद साबित हो सकती है । आज लाखों के ठेके शराब के दिये जाते हैं । और हालत यह है कि मिनिस्ट्री लेबिल पर एक बोतल से कोई भी आदमी आज काम करा सकता है । (व्यवधान) । आप सुनिये ।

आज सरकार की नीति यह है कि वह शराब को आम करती जा रही है, गांव, शहरों के अन्दर और जगह जगह सरकार ने उसकी दूकानें खोल दी हैं । सरकार ने कहा है कि मस्जिदों मन्दिरों तथा स्कूल व कालेजों के सामने शराब की दूकानें नहीं होंगी तो क्या इससे शराब पीने की बुराई दूर हो जायगी ? मैं समझता हूं कि यह एक धोखा है । आज स्कूलों व कालेजों के तुल्बा इस बीमारी में मुबतिला हो रहे हैं । सरकार को सोचना होगा कि इसका अन्जाम कल क्या होगा । अगर उसने इस बीमारी को दूर नहीं किया और अभी से उसका इलाज नहीं किया तो आने वाली नस्ल स्कूल व कालेज से शराबी बन कर निकलेगी और हमारा समाज व सोसायटी जैसी बनना चाहिये, मुल्क का वकार जितना ऊंचा होना चाहिये वैसा वह नहीं बन पायेगा । शराब की वजह से समाज के अन्दर जो बद अखलाकी पैदा होती जा रही है, आज हमारा समाज जिस तहजीब और तमद्दुन को जन्म दे जा रहा है उससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि आने वाली नस्ल किन अल्फाज में आपको याद करेगी ? गांधी जी तथा देश के दूसरे लोगों ने जो कुछ कुरबानी दी थी उसकी मंशा यह कभी नहीं थी कि शराब आमफहम हो, लोग उसे पियें बल्कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी ।

मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वह इस पर मुकम्मल पाबन्दी लगायें, सरकार ऐसा कानून बनाये जिससे इसको बिलकुल ममनून करार दे दिया जाय । अगर इस बुराई को रोकने के लिये थोड़ी सी कुरबानी भी हमको देनी पड़े चाहे आमदनी कुछ कम हो जाय तो मेरी गुजारिश है कि एक बड़ी बुराई को दूर करने के लिये यह कुरबानी हमको जरूर देनी चाहिये और उसके लिये थोड़ी बहुत जरूरियात को रोका जा सकता है । पिछली नस्लों की तवारीख को उठा कर देखियेगा तो आप पायेंगे कि बुराई के खिलाफ हमेशा जंग की गयी है । हमेशा समाज ने बुराई के खिलाफ आवाज उठाई है । हम इसीलिये इस सदन में बैठे हैं कि हम देखें कि कैसे बुराइयां दूर की जायें और कैसे अच्छाइयां आम की जाय । यदि हम

[श्री शफीकुर्रहमान बर्क]

ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम अपने फर्ज को अदा नहीं कर रहे हैं । हमें इस समाज को ऊपर उठाने के लिये, सदन की मर्यादा को कायम रखने के लिये किन-किन चीजों की जरूरत है उसके लिये हमें सोचना ही पड़ेगा ।

बहुत सी बातें शराब-बन्दी के बारे में कही गईं । शराब पीकर लोग उस आलम में आजाते हैं जिससे कि बुराइयां फैलती हैं । एक आदमी की उस समय क्या हालत हो जाती है जब वह शराब पीकर न अपनी बहन की शनाख्त कर पाता है और न अपनी मां की शनाख्त कर सकता है । जो देश ऐसे गुनाह बर्दाश्त करता हो तो उसकी तरक्की नहीं हो सकती है । इस-लिये मैं गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले हमें इस शराब को ममनूकरार दे देना चाहिये । अगर आपने ऐसा नहीं किया तो खुदा जाने क्या हो लेकिन आने वाला वक्त खुद बतलायेगा और फसला करेगा कि इस शराब से मुल्क की मुसतकबिल पर क्या असर पड़ेगा । मैं कटौती के प्रस्ताव की ताईद करता हूं ।

श्री भूप सिंह केन (जिला मेरठ)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसलिये मैं आपका आभारी हूं । मैं सबसे पहले मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांग का समर्थन करता हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, सुबह से इस सदन में विरोधी दल के जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने पूज्य बापू जी के बारे में कई तरह-तरह के शब्दों में उनका नाम लिया । किसी माननीय सदस्य ने कहा कि पूज्य बापू जी की आत्मा को कैसे कैसे संतुष्टि मिलती होगी । कैसे-कैसे शांति मिलती होगी, किसी माननीय सदस्य ने उनको खद्दरधारी, किसी ने बापू का पुतला और किसी ने अच्छे-अच्छे शब्द जो उनको सुन्दर लगते थे यहां पर प्रयोग किये। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब इस देश में आजादी का आन्दोलन चल रहा था उस समय हम सब उनकी औलाद थे और जब तक हमें आजादी मिली तब तक हम सब अपने आपको सच्चा सुपुत्र मानते थे और वे भी हम सबको सच्चा सपूत मानते थे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम बापू जी की औलाद थे उस समय जो उनकी समझदार औलाद थी जो उनको सच्चा पुजारी समझते थे वे उनके बतलाये हुये मार्ग से थोड़ा भटक गये और कुछ माननीय सदस्य जो अपने आप को बापू जी के सच्चे सुपुत्र थे, अपने आपको अच्छा समझते थे वे उनके बताये हुये लक्ष्य-कदमों से बहुत दूर चले गये । किसी ने बापू जी को, उनके बताये मार्गों पर चलते-चलते तीर का निशाना बनाया लेकिन कुछ ऐसी भी औलाद उनकी है जो कि धीरे-धीरे उनके सिद्धांतों पर चलती है और उनके रास्तों को अच्छा समझती है ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यहां पर कुछ विरोधी सदस्यों ने इधर के बैठने वाले सदस्यों के बारे में ऐसे शब्द कहे जिनके बारे में मैं केवल एक ही बात बतलाऊंगा । और वह उस बात को अच्छा समझें और मानें । रात में जब वे सोयें तो सोचते जायें, फिर वह सही समझें तब हमारी तरफ लांछन का विचार उठायें । किसी गांव में कोई मरीज था जो बहुत दिनों से बीमार चला आ रहा था, किसी ने उससे कहा कि पास के गांव में एक हकीम हैं उनके पास चले जाइये । जब वह मरीज अपने घरवालों के साथ उनके पास ले जाया गया तो हकीम ने उसकी नब्ज देखने के बाद पाया कि उसके प्राण छूट ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने उससे कहा मेरे पास एक हफ्ते के बाद आना कोई दवा बता दूंगा । जब वह बाद में गया तो हकीम ने कहा कि आज से तुम गुड़ खाना छोड़ दो । उसने कहा मेरी तो जान ही निकल गई थी, यह दवा तो आप पहले ही बता सकते थे । इसपर हकीम जी ने कहा - बेटा जिस दिन पहली बार तुम आये थे, उस समय मैं खुद गुड खाता था, तो तुम्हे मैं गुड़ न खाने का उपदेश कैसे देता । मुझे उस समय अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि तुम मेरी बात मान जाओगे । किन्तु जब मैंने आज छोड़ दिया है तो मुझे अपनी आत्मा पर भरोसा है और तुमसे कहता हूं कि गुड़ खाना छोड़ दो तुम्हारी बीमारी दूर हो जायेगी । माननीय विरोधी सदस्य आप भी इस बात पर थोड़ा ध्यान दें । ...(व्यवधान)...

अभी मेरे कुछ साथियों ने कहा कि गरीब हरिजन जो हैं उनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनको शराब पिलाई जाती है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बड़े-बड़े होटल जहां रंगरेलियां मनाई जाती हैं, क्या उसमें गरीब हरिजन ही जाते हैं ? वहां केवल वे जाते हैं, जिनके पास पैसा होता है, नम्बर दो का पैसा होता है । गरीब आदमी केवल बदनाम होता है । गरीब आदमी के लिये स्प्रिट पिलाई जाती थी, जिसमें अब हमारी सरकार ने रंग मिला दिया । उसको भी वही रईश आदमी बेचते थे । रंग मिलने से गरीब आदमी उससे दूर हो गया है । यहां पर कुछ बातें कहीं गईं कि उनके दिल में गरीब हरिजनों के लिये बड़ी तड़फन है । क्योंकि उनको शराब के जरिये मारा जा रहा है । मैं उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं .... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

गौरीशंकर जी यह आपके लिये मुनासिब नहीं है ।

श्री भूप सिंह कंन—

कि कोई हरिजन या मजदूर शराब की कोई दूकान खोलकर नहीं बैठा है । शराब का ठेका वही लेते हैं, अंग्रेजी शराब की बिक्री वही करते हैं, जिनके पास नम्बर दो का पैसा होता है । अन्त में, मैं यह कहंगा कि आबकारी का जो अनुदान है, उसका पूरा समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, आपने आबकारी अनुदान पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं । आज सबेरे से इस सदन में शराब के ऊपर चर्चा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो शराब का नाम सुनकर हमारे बहुत से विधायक यहां से चले गये और हमारी प्रेस गैलरी के जो पत्रकार हैं, भी वे उठकर चले गये हैं, क्योंकि वे भी शराब की बात सुनना पसन्द नहीं करते हैं ।

मान्यवर, अभी हमारे सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि कानून के द्वारा शराब बन्द नहीं हो सकती । मैं जानना चाहता हूं कि कानून के द्वारा अगर कोई बुराई नहीं रुक सकती है तो अपने प्रदेश में चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, कत्ल होते हैं । यदि उसके लिये कानून बना हुआ है और कानून के द्वारा ये चीजें नहीं रुकती तो फिर उस कानून को तोड़ देना चाहिये । कानून बनाने के बाद भी आज सारे जुर्म होते हैं । और जो जुर्मी होता है उसको सजा दी जाती है । उसी प्रकार अगर शराब के बारे में कानून बन जाय कि शराब पीता है वह जुर्मी साबित होगा तो उस जुर्म के लिये सजा दी जायगी तो शराबखोरी जिस पैमाने पर बढ़ रही है, विधायक निवासों में शराबखोरी हो रही है, कमसे कम जरा लोगों पर कानून का शिकंजा डाल कर उन्हें रोका जा सकता है । आज महात्मा गांधी के नाम पर वोट पाकर सत्ता पाने वाले लोग किस मुंह से कहते हैं कि शराब बन्दी नहीं होनी चाहिये । अगर शराब में बुराई नहीं है तो महात्मा गांधी ने शराब बन्द करने का अन्दोलन क्यों चलाया था ? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो महात्मा गांधी के साथ शराबबन्दी करने के लिये शराब की दूकानों पर धरना दिये थे, जो पोलिटिकल सफरर हैं, उनको शराब की दूकान खोलने के लाइसेंस दिये जा रहे हैं । इसलिये उनको रोजगार मिले शराब के लाइसेंस या परमिट दिये जाते हैं । जिन लोगों ने शराबबन्दी के लिये आन्दोलन किया था, अपनी कुरबानी की थी ऐसे पोलिटिकल सफरर लोगों को शराब की दूकानों पर बैठाया जाता है । इससे बढ़कर महात्मा गांधी की आत्मा को कष्ट पंहुचाने वाली कौन सी बात हो सकती है ? हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बाबू लाल वर्मा]

कहा कि कानून से नहीं शराब बन्द हो सकती उन्हें भाषण देना चाहिये । भाषण के जरिये जनता को समझायेंगे कि शराब पीना छोड़ दो । भाषण द्वारा शराब पीना छूट नहीं सकता । हमारे एक वक्ता महोदय शराब नहीं पीना चाहिये, इस पर भाषण देने के लिये गये । जब भाषण देने का मौका आया तो उन्होंने कहा कि मुझ पर सुरूर कम हो गया है थोडी सी पी लूं । इस लिये हमारे पूर्व वक्ता सत्ता पक्ष की ओर से बोले । उनका कहना है कि शराब पी कर शराब पीने के लिए उपदेश ।

मैं चीन का उदाहरण देता हूं । चीन में लोग अफीम खाते थे इसलिये चीन संसार में सबसे पिछड़ा देश था । अफीम के नशे में लोग पड़े रहते थे । देश आगे बढ़ नहीं सकता था । लेकिन जिस समय चीन ने अपने देश में अफीम खाना जुर्म करार दे दिया चीन दुनियां के देशों में सीना तान कर खड़ा हो गया । आज दुनिया एक तरफ है और चीन दूसरी तरफ है । लेकिन बराबर मुकाबला कर रहा है इसलिये कि उन्होंने अफीम खाना बन्द कर दिया और उनका देश आगे बढ़ गया । अगर हिन्दुस्तान में शराब पीना बन्द कर दी जाय तो देश तरक्की कर सकता है । बापू जी के शराब के विरुद्ध आन्दोलन क्यों किया था क्योंकि शराब बुराई का पहला कारण है । शराब के बाद जुआ और सारे अनैतिक कार्य शुरू हो जाते हैं । और समाज पीछे गिरता है । शराबखोरी बढ़ती जायगी तो हिन्दुस्तान आगे बढ़ेगा नहीं । इसलिये शराब बनाने के बारे में लोगों का यह दलील देना कि कानून द्वारा शराब बन्द नहीं हो सकती गलत है । शराब न पीने के लिए कानून बनाया जाय तो शराब पीना बन्द किया जा सकता है । मेरा सुझाव यह है कि अगर पैसा कमाने के लिये शराब के धंधे खोले जाते हैं तो मेरा सुझाव है कि शराब दवाइयों के काम में लायी जाय । जिसके चोट लगे उसके काम में लायी जाय और पैसा कमाने के लिये शराब बाहर भेजी जाय । जिस तरह से पहले हिन्दुस्तान से अफीम बाहर भेजी जाती थी । उसी तरह से शराब का व्यापार किया जाय । शराब पीने से इस देश की जनता गिरेगी, पतित होगी लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे जिससे देश का विकास नहीं हो सकेगा । इसलिये एक कानून बनाया जाना चाहिये कि देश में कोई भी आदमी शराब न पिये । यह देश के लिये हानिकारक है और समाज पतन के गर्क में चला जायेगा । इसलिये जो लोग शराब के बारे में दलीलें देते हैं कि यह अच्छी है वह महात्मा गांधी की आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं जो उनका नाम लेकर जनता के वोट से यहां आये हैं । यह एक बुरी चीज है और यह सारे समाज को दूषित करती है । पतन की ओर ले जाती है । इसके पीने से आदमी को होश नहीं रहता है, वह अपना पराया नहीं समझ पाता है । इसलिये ऐसी चीज को समाज से दूर रखना चाहिये । इसके लिये एक कानून बनाया जाना चाहिये । यदि शराब से पैसा कमाना है तो इसको बाहर भेजा जाना चाहिये ।

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि शराब के जहां कारखाने खुल रहे हैं, शराब की बिक्री बढ़ रही है इससे देश को बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे । लोग कहते हैं कि शराब अच्छी चीज है । मैं कहता हूं कि न शराब पीना गुनाह है न पिलाना गुनाह है लेकिन होश में आना गुनाह है । जिस पैमाने पर देश में शराब बढ़ाई जा रही है उस पर पाबन्दी लगनी चाहिये ।

श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों ने आबकारी विषय के ऊपर काफी कहा है कि इसलिये मैं संक्षेप में ही कहूंगा । अभी सत्ताधारी दल के एक सदस्य ने कहा कि शराब वह पीता है जिसके पास नम्बर दो का पैसा होता है और अमीर होता है । मैं कानपुर में १५ साल रहा हूं और मैंने वहां भी श्रमिक बस्तियों में देखा है । वहां की शराब की दूकानें खुली हुई हैं । वहां पर रिक्शे वाले और मिल मजदूर शराब पीते हैं । यदि अमीर आदमी शराब पीता है तो आमदनी

का कितना हिस्सा खर्च करता है और अगर गरीब आदमी पीता है तो वह कितना प्रतिशत खर्च करता है। अब मैं राष्ट्रीय समस्या रखता हूं कि शराब पीना अच्छा है या बुरा, मद्यनिषेध होना चाहिये या नहीं शराब पीने वालों की संख्या बढ़नी चाहिये या घटनी। शराब पीने से आदमी बनता है या बिगड़ता है। यह दो प्रश्नों के सही उत्तर पर निर्भर करता है कि मद्य-निषेध होना चाहिये या नहीं ? मैं पूछता हूं कि क्या शराब पीने वालों की संख्या बढ़नी चाहिये ? शराब पीने से लोग बनते हैं या बिगड़ते हैं ? अगर बनते हैं तो उसका उदाहरण बतायें।

एक सदस्य—

शराब पीने से कांग्रेसी बनते हैं।

श्री गोरे लाल शाक्य—

इसके साथ ही साथ हमारे माननीय मंत्री जी न कहा था कि मद्य का मूल्य बढ़ाकर बनाने वालों की संख्या कम करना चाहते हैं। यह उनकी दलील बिलकुल थोथी है। जिस तरह से दूकानें ज्यादा बढ़ेंगी तो पीने वालों की संख्या अधिक होगी। मान लीजिये आप किसी गांव में शराब की दूकान खोलते हैं जहां पर कभी शराब की दूकान नहीं थी तो यह संभव है कि वहां पर २–४ लोग शराब पीना सीख जायें। मैं चाहता हूं कि इन चीजों का इस्तेमाल औषधियों के लिये हो आम इस्तेमाल के लिये नहीं होना चाहिये। हम अपने दिल का जो रोष है वह केवल इस तुलना को रखकर समाप्त करेंगे, जिस तरह से सरकार शराब के द्वारा आमदनी करना चाहती है मैं इस आमदनी को उसी तरह समझता हूं जिस तरह से कोई माता पिता अपनी लड़की से आमदनी कर उसका इस्तेमाल करता है। यह तुलना करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि मद्यनिषेध होना चाहिये और मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(इस समय ४ बजकर १८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष—

श्री त्रिवेणी सहाय।

कई सदस्य—

(शासन पक्ष) इस ओर मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

कोई खड़ा ही नहीं हुआ पूरे कांग्रेस दल पर मेरी निगाह गयी। आप बैठ जायें। कोई खड़ा ही नहीं हुआ।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, नशे में हैं ये क्या करें। मान्यवर, क्या ही अच्छा होता कि यह बजट इस अधिवेशन के पहले दिन ही पेश हो जाता सब नशे में हो जाते और जो डर है वह दूर हो जाता। आज जो पेश किया गया है मैं उसी की ओर आना चाहता हूं। क्या इस देश की जनता की भावना मद्यनिषेध की ओर है या इस देश की जनता की भावना मदिरापान की ओर है। सन् ४२ के पहले अंग्रजों का शासन था। इस देश के अन्दर महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश भक्ति की भावना जागृत हुई। महात्मा गांधी ने कहा था कि नशाबन्दी की जाये। मुझे दुख है कि माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

सदस्य पूज्य बापू का नाम लेते हैं, पिछली कार्यवाही निकाल कर देखें जिसमें उन्होंने कहा था कि शराब बन्दी होनी चाहिये और यह सरकार शराब बन्दी की ओर कोई प्रयास नहीं कर रही है। आज २६ साल हो गये हैं।

मान्यवर, एक बात और है। इसके पीछे इसकी ओर इसका ध्यान नहीं जायगा। कारण क्या है? मान्यवर, जिस ग्वाले की गाय ज्यादा दूध देती है उससे उसका ज्यादा प्यार हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है इन्हें। इसका मोह आपको छोड़ना पड़ेगा। जिह तरह से आपकी अन्तरात्मा की पुकार है वैसे ही आपके दल के अन्दर लोग हैं। जो हमेशा गांधी जी की दुहाई दिया करते थे आज उसी बेंच पर बैठकर विरोधी पक्ष ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, हम चाहते थे कि यह प्रस्ताव आप रखते। लेकिन आज आप इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल तो यह है कि वह महात्मा गांधी की टोपी नहीं है, वह टोपी दिये हुये हैं, पूंजीपतियों के पैसों से। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर पैसे की बदौलत आज कांग्रेस के लोग चुनाव में लड़ जायं तो आज कांग्रेस के कारनामें ऐसे हो चुके हैं कि जनता उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक सकती है। आज कांग्रेसी सरकार देश को बरबादी के रास्ते पर ले जाना चाहती है। अगर मैं कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दूं एक-एक आदमी का, एक-एक जिले का, तो आपके यहां जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, मान्यवर, दे आर बेन नो डाउट। लेकिन ये राय बहादुर हैं। श्रीमन्, राय बहादुर थें अंग्रेजों के जमाने में। खान बहादुर भी हुआ करते थे। एक दिन राय बहादुर साहब शराब पीकर आये अपने घर, उनकी स्त्री ने पूछा कि कहां से आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि लड़ाई के मैदान से आ रहा हूं तो उनकी स्त्री ने कहा क्या किया? तो उन्होंने कहा कि यह किया, वह किया, उसको काटा, उसको फेंका, उसको मारा, तमाम, तमाम। तो उसी प्रकार से श्रीमन्, आज यह लोग कहते हैं कि मैंने यह कर डाला, मैंने वह कर दिया। आज आप अपने दल को खुल कर देखिये। प्रदेश के कांग्रेस के लोगों के जीवन को देखिये। आप देखेंगे कि वही कांग्रेसी आज शराब की बोतल से शुरू होता है तब जाकर गांधी के चरणों में पड़ता है। मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर कि देश की आज जो समस्या है उसको हल करने की कोशिश करो। आज इस देश की समस्या को सोचना पड़ेगा क्या हम देखते हैं कि देश की समस्या को हल करेंगे कि मदिरा को बढ़ावा देंगे। बड़े-बड़े मिल मालिकों को इस बात का बढ़ावा दिया जाता है कि शराब अच्छी है यह शराब पिलाई जायगी।

मैं, मान्यवर, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज जब विरोधी पक्ष की तरफ से कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है तो शासक दल की ओर से उसका विरोध किया जाता है तो मान्यवर लज्जा से मुंह दब जाता है। मान्यवर, अगर आप हाथ उठवा कर देखें इस सदन में कितने लोग शराब के पक्ष में हैं, तो मान्यवर ९० प्रतिशत लोग ऐसे मिलेंगे जोकि शराब के विरोध में हैं। ९० प्रतिशत लोग ऐसे हैं इस सदन में जो यह कहेंगे कि शराब पीना बुरा है। लेकिन जब हम कानून बनाने की बात करेंगे तो क्या करें जो सरकारी पक्ष में बैठे हैं उनको हाथ उठाना ही पड़ेगा। नहीं, इसको बन्द करना पड़ेगा। इस देश के लिए आवश्यक है और उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा तभी देश में कोई परिवर्तन आयेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बात तो सही है कि इस आबकारी के बजट से सबसे ज्यादा पैसा सरकार को मिलता है लेकिन आप शराब पीने की बात क्यों करते हैं? आज आप गांव गांव और शहर-शहर में लाइसेन्स बांट रहे हैं। मैं ५ साल से इस सदन का सदस्य रहा हूं, मैं जानता हूं, कि जब-जब यह बजट आया है, १०० माननीय सदस्यों में से ८० ने शराब पीने का विरोध किया है . . . .

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

*श्री राम जी लाल (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान का समर्थन करने के लिए इस चर्चा में शामिल होने का समय दिया। मान्यवर, आज इस सदन में आबकारी के अनुदान पर विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा और उस पर जो विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, उनमें हर एक ने कटौती के प्रस्ताव पर बोलते समय महात्मा गांधी का नाम लिया और मुझे आश्चर्य है कि उन लोगों ने भी आज सामने रखा जिन्होंने महात्मा गांधी की नीति से और नीति के खिलाफ १९४७ के बाद जब महात्मा गांधी ने इस देश में हिन्दू मुस्लिम एकता का नारा लगाया, उसकी खिलाफत की और मैं जानता हूं कि उसी के कारण गांधी की हत्या भी हुई। आज वे ही लोग महात्मा गांधी के आदर्श का बखान करते हैं। इस देश में और इस देश के हजारों वर्षों के काल में शराब हमारे देश का अ विष्कार था। जो हमारे धार्मिक ग्रंथों पर विश्वास करते हैं, उन माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं जब कि कभी इस शराब का हमारे यहां पर निर्माण हुआ था तो उसको रत्न के नाम से पुकारा था और यह १४ रत्नों में एक थी। आज इसका विकृत रूप हो गया है। आज जो सामाजिक बुराई हो गयी है तो इसका कारण शराब नहीं है, बल्कि इसके इस्तेमाल का ढंग है। मैं, श्रीमन्, आपके माध्यम से, निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस देश में मद्यनिषेध होना है तो सारे देश में एक ही नीति बनाई जानी चाहिए तभी मद्यनिषेध हो सकेगा।

(व्यवधान)

हमारे देश में हजारों वर्षों से शराब का चलन रहा है। सम्राट अशोक तथा चन्द्र गुप्त के जमाने में भी शराब का प्रचलन था, लेकिन उससे देश का पतन नहीं हुआ था। आज मान्यवर, अगर हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं तो वह यह है कि हमारे देश की आर्थिक सामाजिक पद्धति में शराब कहीं फिट नहीं बैठती। इसका चलन कम होना चाहिए, लेकिन यदि इससे जो ५० करोड़ का राजस्व हमें प्राप्त होता है वह बन्द कर दिया जाय और दूसरे प्रदेशों में चालू रहे तो हमारे प्रदेश को क्या फायदा मिलेगा?

मैं मद्य-निषेध के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आबकारी विभाग का ऐसे प्रभावकारी ढंग से पुनर्गठन किया जाना चाहिए जिससे शराब में मिलावट सही ढंग से जांच की जा सके और शराब जो मंगलवार और दूसरे दिन हम बन्द करना चाहते हैं, ऐसा देखा जाता है कि उन दिनों में भी उसकी बिक्री होती है। लेकिन जब लोग पकड़े जाते हैं और उन्हें पुलिस के सुपुर्द किया जाता है तो दो विभिन्न विभाग होने पर केस नहीं चलता और वह छूट जाते हैं। इसलिए इस विभाग को इतना प्रभावकारी बनाया जाय ताकि शराब के अन्दर जो मिलावट से ऐक्सीडेंट और मृत्यु तक हो जाती है वह बन्द हो सके। धन्यवाद।

*श्री राम सेवक यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैं इधर और उधर दोनों माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने बहस में हिस्सा लिया। और उधर के लोगों का खासतौर से जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन जहां तक मद्य-निषेध का प्रश्न है किसी ने उसकी मुखालिफत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सेवक यादव]

नहीं की। यह सही है कि कुछ लोग द्विविधाग्रस्त थे, दोहरे मस्तिष्क वाले थे, जैसा कि हमारी माननीय सदस्या जो सामने बैठी हैं—बख्शी जी—उन्हें सुनकर पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने अपने को ठीक कर लिया। शुरू में उन्होंने चाहा कि सदन को रंगमय बना दें लेकिन फिर कहा कि स्त्रियों को शराब पीने की आदत नहीं होती, यह बहुत बुरी चीज होती है। यह सही कहा। स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले में कम शराब पीती हैं।

श्रीमती स्वरूपकुमारी बख्शी—

सुनलें, सुन लें—मैंने जो मदिरा और नशे का जिक्र छेड़ा वह अध्यात्मिक नशे का जिक्र किया था लेकिन आपने मेरा प्लाइंट कैच ही नहीं किया। मैं उस नशे की बात कर रही थी जिसके मातहत हमको शेक्सपीयर, गालिब और खुसरो ने बड़ी-बड़ी कवितायें दी हैं।

एक सदस्य—

आप पीजिए, आपको कौन मना करता है।

श्री रामसेवक यादव—

तो मैं कह रहा हूं माननीय सदस्या से कि वह इसको कसौटी बना लें मद्य-निषेध की कि हम मद्य-निषेध की ओर जा रहे हैं या मद्य-पान की ओर बढ़ रहे हैं। जो महिलाएं कभी शराब छूती तक न थीं, अगर लखनऊ के क्लबों में जाकर देखें, अवध जीमखाना क्लब में पहुंच जायं तो आपको जोड़ियां मिलेंगी जो इसी काम में रत होंगी, तब आप हमारी बात से इत्तफाक करेंगी। कि हम मद्य-निषेध की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं। और मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से निवेदन कर दूं कि शराबखोरी से अपराध बढ़ते हैं और देश और प्रदेश में अपराध बढ़ने के जहां अन्य कारण हैं वहां कम से कम ३० परसेंट कारण तो शराबखोरी है, जैसे चोरी, उसी के साथ-साथ रिश्वतखोरी क्योंकि जो जिमखाना या ऐसी जगहों में बैठते हैं और उनकी आमदनी इतनी नहीं होती कि रोज शराब पी कर चौबीसों घंटे धुत रहें तो वे रिश्वत का सहारा लेते हैं? तो अपराध बढ़ाने में भी इसका हाथ होता है। जो आमदनी आपको इससे होती है वह भी किसी हद तक चोरी और घूस का हिस्सा होता है। अगर हमको चोरी और घूस का हिस्सा आमदनी बढ़ाने के नाम पर लेने में लज्जा नहीं आती है तो फिर दूसरा कोई चारा नहीं रह जाता।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आपने सुझाव क्या दिए?

श्री राम सेवक यादव—

सुझाव भी मैं दे रहा हूं। आप मद्य-निषेध कीजिए, कर के लालच में आप लोगों को शराबी न बनायें। रहा पैसे का सवाल, तो हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं कि किस तरह से पैसे की कमी को पूरा किया जाय, लेकिन आप यहां ऐलान कर दें कि आप मद्य निषेध लागू करने के लिए तैयार हैं। हम इसके लिए हार्दिक तैयार नहीं हैं कि आप देशवासियों को शराब पीना सिखायें। इसके अलावा मैं दो बातें आपके सामने रखता हूं जिनका उत्तर हमको मिलना चाहिए। पहली बात तो यह है कि क्या आप जो उत्तरोत्तर मद्य-निषेध की ओर बढ़ रहे हैं उसके चलते शराब की बिक्री की मात्रा घटी या बढ़ी? दूसरी यह कि शराब पीने वालों की संख्या घटी या बढ़ी? अगर इन दोनों

कसौटियों पर आपका जवाब ठीक नहीं उतरता तो आपका यह कहना कि आप उत्तरोत्तर मद्यनिषेध की ओर बढ़ते जा रहे हैं यह नितान्त भ्रामक और असत्य होगा ।

आपने अंग्रेजी शराब की दुकानें खोलने की बात कही है। क्या यह मद्य-निषेध की ओर कदम है। और अगर आपने लाइसेन्स की व्यवस्था की। एक तरफ तो आपने ठेके की व्यवस्था चालू रखी है और दूसरी तरफ लाइसेन्स की व्यवस्था चलाने जा रहे हैं। आप एक ही व्यवस्था रखें क्योंकि लाइसेन्स का मतलब यह होगा कि सरकार को हस्तक्षेप करने और अपने लोगों को लाइसेन्स देने का मौका होगा। अगर आप चाहते हैं कि उसका दुरुपयोग न हो तो आप ठेके की ही प्रथा चलायें। इसी तरह से मोनोपली कमीशन ने आपको एक राय दी थी कि ५०० मीटर की दूरी पर किसी कारखाने के व्यवस्थापक वगैरह के मकान हों। क्या आपने जांच कराई कि जितने कारखाने हैं उनके व्यवस्थापक लोग ५०० मीटर की दूरी पर रह रहे हैं या वहीं रह कर कोई छापा वगैरह पड़ जाय तो उससे बचने की कोशिश करते हैं? शराब का उद्योग इतना फायदेमन्द है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए लोग इसमें ज्यादा पैसा लगाना पसन्द करते हैं, लेकिन उस पैसे को दूसरे उद्योग धन्धों में लगाना पसन्द नहीं करते। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रवृत्ति को रोकें और उस पैसे को ऐसे धन्धों में लगवायें जिससे देश और प्रदेश की तरक्की हो। लेकिन हमको लगता है कि शासन की उसमें दिलचस्पी है नहीं क्योंकि इसमें जो अपार धन मिलता है उसी में कई तरह के राजनीतिक हिस्से वगैरह का आ जाया करते हैं और उसको खत्म करने की कोई बात नहीं होती ।

मान्यवर, इनका प्रशासन एक चीज को करता है फिर उसे छोड़ देता है। किसी को किसी आरोप में पहले पकड़ता है, फिर छोड़ देता है। १९७१-७२ में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मोदी हरदुआगंज की एक मिल में शीरे का भारी स्टाक जो कागज में कहीं दर्ज नहीं था पकड़ा था। लेकिन आज तक पता नहीं चला कि उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई। हर फैक्टरी आज उत्पादन क्षमता से अधिक बियर का उत्पादन कर रही है, मगर उस पर कोई रोक नहीं है, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

(व्यवधान)

ज्यादा उत्पादन करके तस्करी वगैरह का काम किया जाता है।

एक और कैमिकल हाक्स होता है जो शराब बनाने के काम में आता है। नारंग मिल को जितनी मात्रा में यह दिया गया वह निर्धारित मात्रा से कहीं अधिक दिया गया, मैं चाहता हूं इसका भी मन्त्री जी जवाब दें कि क्यों अधिक दिया गया ?

गाजियाबाद में एक नई फैक्टरी खुली है। उसमें उत्पादन का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन यह मैटीरियल उसको बराबर दिया जा रहा है, क्यों ?

अभी बियर का रेट १.७५ पैसे आपने बढ़ाया। जो फैक्टरी उससे प्रभावित हुई वे उच्च न्यायालय में चली गयीं। इसी बीच आपने रेट को घटा कर ७५ पैसे कर दिया और शायद और कम करने की बात है। क्यों ? अगर यह रेवन्यू बढ़ाने के लिए रेट बढ़ाया गया था तो जितने समय के लिए यह १.७५ पैसे बढ़ाया गया और बढ़ा रहा, उतने समय में आपकी रेवेन्यू बढ़ी या घटी ?

इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करें ।

*श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, जिन २० माननीय सदस्यों ने विवाद में भाग लिया और अपने सुझाव दिए में उनका आभारी हूं। दोनों पक्ष से यही आमतौर से सुझाव आये कि इसमें भ्रष्टाचार है, मद्य-निषेध होना चाहिए, बियर के कारखाने अधिक मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं और सबसे ज्यादा आलोचना यह की गयी कि मोहन मेकिन को यह सरकार मदद कर रही है। माननीय रामसेवक जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुए जो बातें कहीं, मैं समझता हूं कि शायद उनकी इत्तला गलत है। उनकी तथा उनके दल की कुछ ऐसी आदत है कि वे गलत सूचना के आधार पर हाउस में भाषण दिया करते हैं। माननीय चौधरी साहब ने भी एक बार एक तहसीलदार के खिलाफ गलत शिकायत की जिसको उन्होंने बाद को स्वीकार किया कि सूचना गलत थी।

हमारे राम सेवक जी ने कहा कि कांग्रेसी विधायकों को शराब पीने और खद्दर के अलावा और दूसरे कपड़े पहनने की आज्ञा दी गयी है। तो इस तरह से गलत सूचना के आधार पर आप कोई बात न करें। वेल्यूएबिल सुझाव दें। शराब पीना ठीक है, इस प्रदेश की सरकार का कहना यह नहीं है। प्रदेश की सरकार का मौलिक वसूल है कि मद्य-निषेध हो। मैंने अपने शुरू के भाषण में कहा था कि हमारे कटौती के प्रस्ताव वाले माननीय सदस्य कभी गवर्नमेंट में रहे होंगे। उस सरकार के समय में कटौती का प्रस्ताव एक्साइज बजट पर पेश हुआ होगा तो उस समय आप एम०एल०ए० रहे जरूर होंगे और अपने कटौती का प्रस्ताव रखने वाले का विरोध किया होगा।

जिन २० माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं मैंने उन भावों को रख लिया है। प्रथम तो यह कि हमारे इस विभाग में नेपाल से बराबर गांजा आ रहा है। मंगल को दूकान खुलती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि स्टाफ के ऊपर कितना खर्च होता है और उतने खर्च पर भी आपने कटौती का प्रस्ताव रखा है।

इस विभाग के इन्सपेक्टर्स किस प्रकार से बड़े-बड़े बदमाशों से और अन्य लोगों से किस प्रकार अपनी रक्षा करें क्या आपने सोचा है। नेपाल और हिन्दुस्तान का बार्डर कई मील लम्बा है। क्या इतने एक्साइज इन्सपेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नर आप दे सकेंगे। एक मील पर हमारी चेक पोस्ट है और १० मील दूर जाकर स्मगिंलग होती है। एक एक्साइज इन्सपेक्टर के अन्डर में पचास गांव हैं। क्या वह मंगल को इतने गांवों को देख सकता है। ज्यादा से ज्यादा वह २---४ दुकानें देख सकता है। और यदि मंगल को दूकान खुलती है तो इसका कारण क्या वह रिश्वत लेता है? माननीय सदस्य इस पर विचार करें। इतने अण्डर स्टाफ पर कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। तो जो यह स्मगिंलग का सवाल है और चेकिंग का सवाल है। हमारा अन्डर स्टाफ चेकिंग कैसे कर सकता है?

बहुत से लोगों ने कहा कि इन्सपेक्टर्स दो साल के एडहाक बेसिस पर रखे जात हैं। तो जहां तक मुझे अनुभव है इन्सपेक्टर्स पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट होते हैं और ग्रेजुएट लिये जाते हैं। इनका पे स्केल १६० से शुरू होता था तो आप इनसे क्या आशा कर सकते हैं कि २०० रुपए किराया देकर बदमाशों का मुकाबला कैसे करेंगे? मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने इक्साइज डिपार्टमेन्ट का केस रखा और उनकी तनख्वाह बढ़ी।

मैंने इक्साइज इंस्पेक्टर के लिए सेन्टर से लिखा पढ़ी की इनको बदमाशों का मुकाबला करने के लिए सरकारी कोटे से रिवाल्वर दिये जायं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सेन्टर ने लिखा कि सूबा देगा और सूबे ने लिखा कि सेन्टर देगा। इस तरह से इक्साइज

---

*वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंसपेक्टर्स बदमाशों आदि का मुकाबला करने के लिए सरकारी कोर्ट से रिवाल्वर पाने से वंचित रह गए । आप विभाग को सहयोग दें और उसके बाद देखिये कि स्टाफ चेकिंग कर सकता है कि नहीं ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि सेलेक्शन एडहाक बेसिस पर होता है। उनको शायद रूल नहीं मालूम हैं। इंस्पेक्टरों का सेलेक्शन अब पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है और ऐसा ही कराया है। आमतौर से हमारे कटौती वाले प्रस्ताव के सदस्यों का ज्यादातर कहना यह है कि जितनी ज्यादा दुकानें खुलेंगी उतनी ज्यादा पब्लिक आंख से देखेंगी और उतनी ही ज्यादा पीने की आदत होगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल के नेता तथा सदस्यों ने दूकानें तथा डिस्टलरी जब देखा था तो क्या किसी को पीने की आदत हुई ? मैंने तो रात दिन डिस्टलरी का मुआयना किया है और जहां तक हो सका एक-एक ठेके का मुआयना किया। लेकिन मुझे पीने की आदत नहीं पड़ी। शायद इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर माननीय सदस्यों को देखकर पीने की आदत नहीं पड़ी तो जनता को भी देखकर पीने की आदत नहीं होती है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या दुकानदार कहता है कि तुम शराब पीयो ? क्या सरकार जबर्दस्ती करती है कि तुम पीओ ? इस प्रकार दुकान बढ़ने से, ठेके बढ़ने से, दाम बढ़ने से अगर शराब की आदत पड़ती है तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं।

शराब पीने की आदत को रोकने के लिए चरित्र की जरूरत है, सामाजिक उत्थान की जरूरत है। तो फिर बड़े आदमियों के दिलों में यह भरने से कि शराब पीना खराब है तो वह क्या इससे नहीं पीयेंगे ? मैं इसको,मानने को तैयार नहीं हूं। गरीब आदमी शराब पीकर अपने दुख:दर्द भूल जाता है तो मैं इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इस प्रकार शराब गरीब और अमीर दोनों में चलती है। तो क्या कानून के जरिए इस पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है ? नहीं। जैसे देहरादून में जनसंघ के एक सदस्य, श्री नित्यानन्द स्वामी ने इसका विरोध किया था और कहा कि यहां ठेके निलाम हों। इसका कारण यह था कि ठेके उनकी पार्टी वालों को नहीं मिले थे इसलिए नीलाम हों। परन्तु उनका कहना यह था कि वहां लोग शराब पीकर भले आदमियों को गाली देते हैं। मैं वहां गया परन्तु मुझे कोई शिकायत इस प्रकार की नहीं मिली। इसी प्रकार दूसरी बार नीलाम हुआ तो जनसंघ वालों ने भूख हड़ताल की और यह तय हुआ कि बोतलें बन्द बेची जायं और उसके ठेके के अन्दर शराब न पी जाय। इसके बावजूद देहरादून में शराब पीना बन्द नहीं हुआ। वहां उक्त आक्शन हुआ। अतः यह कहना गलत है कि शराब की आदत शराब देखकर पड़ती है।

हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि मोहन मेकिन को सरकार चला रही है। एक सदस्य ने कहा कि ठेकों में बाढ़ आई है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर शराब में बाढ़ आई थी तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मोहन मेकिन की तरफ से कई तार मेरे पास आये थे कि कई करोड़ रुपए का माल बाढ़ में बह गया तथा डिस्टलरी डूब गयी। तो मैंने आदेश दिए कि १५—१६ आदमी नाव से जाओ और डिस्टलरी में रहें। यह बात सही थी कि डिस्टलरी डूब गई थी। हमारे विभाग ने बराबर ड्यूटी वहां दिया। डिस्टलरी की जांच हुई परन्तु कोई नुक्सान नहीं हुआ। इसी प्रकार लखनऊ की डिस्टलरी का बड़ी आसानी से कहा जा सकता था कि पानी में डूब गई और माल बह गया। परन्तु ऐसा नहीं कहा गया। अतः इस प्रकार का जो लांछन माननीय सदस्य लगाते हैं वह केवल भाषण की वजह से लगाते हैं क्योंकि उनको कुछ न कुछ बोलना है। इसलिए यदि श्री राम सेवक यादव जी को देखने से आदत नहीं पड़ती है तो वह कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १० के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १०—राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४७,८७,२०० रुपए की अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम ५१ के अन्तर्गत कुल सात सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री सत्य प्रकाश की दवाओं के मूल्य में दुगुनी वृद्धि के बारे में है जिसको अस्वीकार किया क्योंकि चौधरी साहब की दवाओं के बारे में २ घंटे की चर्चा स्वीकार हो चुकी है।

दूसरी सूचना श्री मोहन लाल कपूर ने एक अस्पताल में दूषित रक्त चढ़ाने से मृत्यु के बारे में है। इसको भी अस्वीकार किया। इसको आप अल्पसूचित प्रश्न के रूप में करें।

तीसरी सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह की गेहूं के बारे में है। इसको भी अस्वीकार करते हैं। किन्तु इसको आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया जायगा। माननीय सूबेदार प्रसाद और श्री शिवसम्पत्ति राम ने हरिजन महिला पर हमला के सम्बन्ध में लिखा है। इसको उन्होंने अनिश्चित बनाते हुए सभी सवर्ण जातियों को भी सम्मिलित कर दिया है। सब तो विरोध कर नहीं सकते। यह आक्षेप है। इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें। श्री बाबूलाल जी वर्मा ने पुस्तकों के बारे में लिखा है। यह सवाल कई बार आ चुका है। श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी ने इलाहाबाद में अपराध स्थिति से जनता में असन्तोष के बारे में लिखा है। यह तो हमेशा रहती है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

२ कत्ल दिन-दहाड़े हो गए हैं...

श्री अध्यक्ष—

कौन सा ऐसा जिला है जहां हत्या नहीं हो रही? श्री राम सेवक जी ने जो लिखा है उसमें कानूनी बात है।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, तो अखबारों में जो रिपोर्ट आई है उस पर है। इसकी वजह से वहां पर काफी क्षोभ है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री रामसेवक यादव—

समय से आ नहीं पाता है।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)---

मान्यवर, मैंने किताबों की कमी बारे में नहीं लिखा है। बल्कि किताबें जो बाजार में उपलब्ध हैं उनपर ब्लैक हो रहा है। उन्हें दूसरी पुस्तकों के साथ लगाकर बेचा जा रहा है। यह एक गम्भीर समस्या है, पूरे प्रदेश की है। किताबें मिलती नहीं और अगर कुछ हैं तो ब्लैक हो रहा है। सब लोग परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप एक चीज के बारे में कह रहे हैं लेकिन इस देश में बहुत सी चीजें हैं जो ब्लैक में बिक रही हैं। ब्लैक तो एक सामान्य चीज हो गई है।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)---

मैंने बैकरीज के बारे में एक सवाल दिया था आज ही ?

श्री अध्यक्ष---

आज नहीं है।

श्री देवकुमार यादव---

आप दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष---

जी हां।

## उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७४†

*वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय। श्रीमन्, यह विधेयक जिस भावना से यहां प्रस्तुत किया गया है वह यह है कि इस सदन में व्यक्त पिछले वर्षों में एक सर्व-सम्मत राय की अभिव्यक्ति। हमारे प्रदेश में चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादन एक सर्वाधिक एवं बहुत ही आर्थिक महत्व का विषय है। आज लगभग २५ लाख परिवार हमारे प्रदेश के २८ जिलों में चीनी मिलों से सम्बन्धित है और उनका भविष्य, उनका जीवन निर्वाह और उनकी आमदनी नयी चीनी मिलों और उन के गन्ना उत्पादन पर निर्भर है। अनेक जिलों में चीनी गन्ने का उत्पादन वहां की जनता के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। उदाहरण के लिए देवरिया जिले में १४ चीनी मिलें हैं जो वहां के जन-जीवन से बिल्कुल गुंथी हुई हैं। सन् १९३२ में जब पहली बार चीनी उद्योग का प्रसार हुआ तब हमारे देश में १९५०-५१ में १३९ चीनी मिलें थीं जिनमें से ६२ चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में थीं और कुल देश की आवश्यकता का ५५ फीसदी उत्पादन हमारे प्रदेश की चीनी मिलों में होता था। जब चीनी की देश में मांग बढ़ी तो हमारे यहां चीनी उद्योग कमजोर था और गन्ने की रिकवरी कम थी इसलिए यह फैसला लिया गया कि ऐसे प्रदेशों में चीनी उद्योग बढ़ाया जाय जहां रिकवरी ज्यादा हो और गन्ने का उत्पादन प्रति एकड़ अधिक हो। आज स्थिति यह है कि भले ही देश में पैदा होने वाले गन्ने का आधे से ज्यादा

---

†८ जुलाई, १९७४ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

गन्ना हमारे प्रदेश में होता है, किन चीनी की पैदावार ५५ प्रतिशत से घटकर ३५ प्रतिशत रह गयी। देश चीनी की जितनी खपत करता है उसका ३५ प्रतिशत हमारे प्रदेश में बनती है। अब वह समय आ गया है कि चीनी उद्योग को ऊपर उठायें और गन्ने की पैदावार में तेजी से परिवर्तन लायें ताकि प्रदेश की करोड़ों जनता की गरीबी कम हो और उन्हें रोजगार मिले। हमारे प्रदेश की महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न यह बन गया है। यह विधेयक इस दृष्टि से इस दिशा में एक कदम है ताकि गन्ने और चीनी की पैदावार कुछ बढ़े।

श्रीमन्, जब हम बात करते हैं कि मिलों का जीर्णोद्धार करना है तो उसका अर्थ क्या है। पहली बात तो यह है कि हमारी बहुत सी चीनी मिलें पुरानी हैं। कुछ मिलें ऐसी हैं जो जावा में पुरानी पड़ गयी थी और वहां से वह लाई गई और यहां चलाई जा रही है। दूसरी बात यह है कि चूंकि यह मिलें पुरानी हैं इसलिए इनकी क्षमता भी कम है और चीनी की रिकवरी भी कम होती है। इन मिलों के प्रसार और विकास में भी पैसा लगता है। जब तक हम इन मिलों की कैपेसिटी न बढ़ायें तब तक यह इकनोमिक नहीं हो सकती। बहुत सी चीनी मिलें, विशेषकर पूर्वी जिलों में, ऐसी हैं जो इकनामिक प्रोपोजीशन नहीं हैं। उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह इकनोमिक हो सकें। इसलिए श्रीमन्, बार-बार बकाया का सवाल भी आता है। परचेज टैक्स ड्यू है, फलां टैक्स ड्यू है। हमेशा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और जनता के लिए परेशानी का विषय रहता है। जो हमारे यहां अनइकनोमिक फैक्टरीज हैं वह लगभग ३६ हैं। इनमें से २५ मिलें पूर्वी यू०पी० में हैं। इनमें से १४ मिलें ऐसी हैं जो आज भी एक हजार टन की कैपेसिटी से कम हैं। एक जमाना था जब ३०० टन कैपेसिटी थी, जो १९३०–४० में लाभकर कैपेसिटी मानी जाती थी। बाद को श्रीवास्तव कमेटी बनी। उसने कहा कि ७५० टन होनी चाहिए। सन् १९५०-५१ में १००० टन एकोनामिक कैपेसिटी मानी गयी। १९६९ में रिहेबिलीटेशन कमेटी गवर्नमेंट आफ इंडिया की बनी। उसने कहा कि १५०० टन कैपेसिटी एकोनामिक है। हमारे यहां मान्यवर, ३५ चीनी मिलें जो अन-इकोनामिक है वे हैं ऐरा, रोजी, डोईवाला, खलीलाबाद, सिसुआ बाजार, कठकुइयां, मन्डेरवा, भटनी, लक्ष्मीगंज, गौरी बाजार, वाल्टर गंज, खड्डा, रामकोला (एम० के०) बाराबंकी, छितौनी, बुढ़वल, पिपराइच, बंभनान, तुरतातपुर, तुलसीपुर, बलरामपुर, बेतालपुर, स्योराही, देवरिया, कैप्टनगंज, शाहगंज, धुधली, पड़ौना, आनन्द नगर, बस्ती, जरवल रोड, बिसवां, मोती नगर, नवाबगंज, रामकोला (पी०) सर दार नगर। इन मिलों में एकाध का इक्सपेंशन हुआ है। बाकी सब मिलें अलाभकर हैं। इनकी क्षमता ही कम है। एक तो इनकी क्षमता कम है, दूसरे ये मिलें पुरानी भी हैं। इसलिए इनमें रिकवरी अच्छी नहीं आती। कम पैसा मिलता है, क्रशिंग कम होती है और ठीक से लाभ नहीं होता है। जो औसत लाभ है—(हो सकता है उसमें बैलेंस शीट गलत हो) वह भी अच्छा नहीं है। १०–२० साल के हानि लाभ के आंकड़े देखें तो प्रतीत होगा कि नाममात्र का लाभ है। यह स्थिति खासतौर से पूर्वी जिलों की चीनी मिलों की है। २०—२५ साल से मांग चल ही है कि इनको रिहेबिलिटेट करें, लेकिन इनवेस्टमेंट नहीं करते, पैसा नहीं लगाते और मिल की देखभाल नहीं होती। इसलिए यह प्रश्न आया कि किस प्रकार से इन मिलों का जीर्णोद्धार हो। शासन को तजुर्बा है कि इनमें से कुछ मिलें रिसीवरशिप पर चल रही हैं। इनकी मरम्मत में अगर १५ लाख रुपए लगाया जाय, तो कुछ चलने के काबिल हो सकती हैं। इन मिलों की यह हालत है। इसलिए प्रदेश के लिए यह आवश्यक हो गया है कि इन चीनी मिलों के जीर्णोद्धार की तरफ ध्यान दिया जाय और उसमें चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी की हुकमत हो, सभी को इसके बारे में सोचना है।

यह यू० पी० की इन मिलों को सुधारने के लिए आवश्यक है, यह पूर्वी यू० पी० की मिलों क लिए आवश्यक है। यह केवल प्रदेश की नहीं, राष्ट्रीय आवश्यकता है।

अब इसके लिए, श्रीमन्, जो धन की आवश्यकता है, वह भी अत्यधिक है। जिन कमेटियों ने इस सम्बन्ध में विचार किया, उनमें सन् १९६२ में एक डेवलपमेंट कौंसिल आफ शुगर इंडस्ट्री ने विचार किया और संक्षेप में हिसाब लगाया कि २५ करोड़ रुपए की जरूरत होगी इनके जीर्णोद्धार के लिए, पुनर्निर्माण के लिए। लेकिन जो इंडस्ट्री की मांग थी वह ७८ करोड़ थी और वह अब ६२ और ७४ के मूल्यों में भी काफी फर्क है। मेरा असेसमेंट है कि अगर इन मिलों के जीर्णोद्धार के लिए कोई कार्यक्रम बनाया जाय तो कम से कम ५० करोड़ की जरूरत होगी ताकि ये मिलें लाभकर हो सकें। जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की कमेटी थी रिहेबिलीटेशन आफ शुगर फैक्ट्रीज, उसने २८.२० करोड़ की सिफारिश की। यह १९६३ की रिपोर्ट थी। यह दूसरी थी। एक तो यू० पी० के बारे में थी। यह बड़े ब्योरे में रिपोर्ट रखी है। उसने भी सन् १९६३ में यह सिफारिश की कि २८.२० करोड़ रुपए की लागत में इनकी मरम्मत की जाय। इनको जीर्णोद्धार किया जाय इसके लिए पूरी रिपोर्ट बनाई और हर फैक्टरी का एक एनालेसिस हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट, कानपुर ने अलग-अलग फक्टरीज की जांच की और रिपोर्ट दी। वे भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। अब इस सब रुपए के प्रबन्ध के लिए इंडस्ट्रियल फायनेंशयल कारपोरेशन तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कुछ सहायता दे सकते हैं लेकिन वह सहायता इस पृष्ठभूमि में नाम मात्र की ही हो सकती है। इसके लिए सरकार की बैंकिंग चाहिए। आगे चल कर अग चीनी मिलों के लिए इजाजत भी मिल जाय और चीनी मिलों को टेक-ओवर भी कर लिया जाय तब भी रुपए की जरूरत पड़ेगी और यही प्रेशर हमारे रिसीवर्स पर तथा शुगर कारपोरेशन पर पड़ रहा है। टेक ओवर करने पर सदन पर प्रेशन पड़ेगा। आज जो रिसीवर हैं उन पर दबाव पड़ रहा है कि चीनी मिलों को ठीक किया जाय। जरवल रोड, पिपराइच, खड्डा, बुढ़वल ये मिलें हैं जिनका नाम आये दिन सदन में आता है कि इन मिलों के लिए कुछ करना है। इन मिलों का अपना-अपना इतिहास है। म प्रत्येक मिल के विस्तृत इतहास में नहीं जाना चाहता क्योंकि उनका इतिहास उन क्षेत्रों तथा मंडलों के सम्मानित सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां की मिलों की हालत क्या है। यह अतिआवश्यक है अगर हमको अपने यहां शुगर इंडस्ट्री को जिन्दा रखना है तो गन्ने की पदावार बढ़ायें। राष्ट्रीयता यह नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश के लोग नये चीनी मिलों के लाइसेन्स तो लेते चले जायें और गन्ने की पदावार न बढ़ायें। ५ पूर्वी, छठी योजना में अगर सारे देश में लाइसेन्स दिये जायं तो उत्तर प्रदेश के लिए ही जहां १०० लाइसेन्स देने की बात कही जाय वहां राष्ट्र के हित में यह भी जरूरी है कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में यहां पर एकड़ ईल्ड बढ़ाई जाय और उसके लिए रिसर्च की आवश्यकता है। छोटे किसान को गन्ने का अच्छा बीज देने की आवश्यकता है। अच्छी सड़कें बनाने की आवश्यकता है। डेवलपमेंट की आवश्यकता है। लाखों करोड़ों रुपया इसमें लगेगा। इस सम्बन्ध में जितनी भी सिफारिशें की हैं कमेटियों ने, शुगर इंक्वायरी कमीशनों ने उन सब ने यह बात कही है कि इस सम्बन्ध में रुपया अधिक लगाया जाय। मेरे पास सेन कमीशन के नाम से मशहूर शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है जिसे भारत सरकार की फूड ऐंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बिठाया था उसकी सिफारिश को मैं अंग्रजी में पढ़ देता हूं और उसका हिन्दी में तर्जुमा भी कर दूंगा।

In the su-tropical belt, the current rate of application of water and fertilizer is grossly inadeuate. The number of irrgations given and the afount of fertilizer put in per acre of land are appreciably less than those in Maharashtra and Madras. Further, it has been found by research stations located in the sub-tropical belt that, with adequate

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

application of inputs and proper care, the yield per acre can be almost doubled in this belt. It is also possible by propogating suitable varieties to increase to some extent the level of sugar recovery in these areas. It is, therefore, very important that development programmes for sugarcane cultivation are intensified in Uttar Pradesh and Bihar. Further, the eastern region of Uttar Pradesh and the northern region of Bihar are economically backward. Sugarcane happens to be the main cash crop in these areas and being a hardy crop provides security of income to the agriculturists in the event of failure of other crops due to frequent natural hazards."

"समशीतोष्ण क्षेत्रों में जितना पानी और खाद दिया जाता है यह महाराष्ट्र और मद्रास की तुलना में बहुत कम है। रिसर्च के जरिए से यह स्पष्ट हो गया है कि इन क्षत्रों में दुगुनी पैदावार प्रति एकड़ हो सकती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि गन्ने के उत्पादन का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश और बिहार के अन्दर और सघनीकृत किया जाय। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले और बिहार के उत्तरी क्षेत्र में जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं इन क्षेत्रों को पसा देने वाली आमदनी कराने वाली यही एक मात्र ऐसी फसल है जो कि प्राकृतिक प्रकोपों के सामने ठहर सकती है।"

"Further these areas do not enjoy the advantage of having mineral resources or other materials for setting up large-scale industries."

इन क्षेत्रों में कहीं ऐसे कोई खनिज पदार्थ नहीं हैं जिनसे बड़े उद्योग लगाये जा सकें। यही सब कारण ह जिनसे हमारी प्रति एकड़ गन्ने की पदावार बढ़ाने का महत्व बढ़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम प्रतिवर्ष कुछ आमदनी निश्चित रूप से एर्र-मार्क कर दें, लगा दें, निश्चित कर लें जिससे कोई भी सरकार हो, इसके लिए प्राविधान बना रहे। ऐसा करने से उसमें निश्चितता आ जाती है। इसे हम मिलों के जीर्णोद्धार में, निर्माण में लगा सकते है। इसी के लिए यह बिधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसके द्वारा ४० पैसे परचेज टैक्स जैसे महाराष्ट्र में है, तामिलनाड़ में है जो कि १०—१५ साल पहले से चला आ रहा है और कन्सोलिडेटेट फंड के रूप में खर्च होता है। बराबर यह मांग रही है कि इस फंड का अधिकांश भाग गन्ने के विकास में लगाया जाय। हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि जो काम हम पहले से करते आ रहे हैं उसको रोककर चीनी और गन्ने के उद्योग में लगायें। यह सम्भव हो सकता है कि हम एक फंड उसके लिए क्रिएट कर लें और हमारा विभाग इस उद्योग के लिए नियमानुसार सदन के नियन्त्रण के अन्तर्गत, आडिट रेगुलेशन्स के अन्तर्गत इन मिलों के विकास और उनके जीर्णोद्धार के लिए उपलब्ध करायें। जसा कि मैंने कहा सीजन में लगभग ४ करोड़ रुपया इन दो फंडों में जायगा और लगभग सवा दो करोड़ चीनी मिलों के लिए और डेढ़ करोड़ के लगभग गन्ना विकास रिसर्च में जायगा। अगर ज्यादा पदावार हुई तो ४ करोड़ से यह धनराशि बढ़ भी सकती है। पांच साल के अन्तर्गत इस प्रकार हमें २०—२५ करोड़ रुपए उपलब्ध हो जायेंगे उनके विकास के लिए। चाहे कोई सरकार हो, उसे इसके लिए करना पड़ेगा। इसलिए मैं सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे गन्ना और चीनी उद्योग के विकास के लिए उसमें परिवर्तन लाने के लिए चूंकि इसमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, उसमें एक क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री राजेंद्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

पहले संशोधन रखा जायगा उसके बाद ही आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। विचार शुरू होने के बाद ही स्पष्टीकरण हो सकता है।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हू कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपनी रिपोर्ट एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दे। मान्यवर, इस विधेयक को माननीय नारायण दत्त जी ने प्रस्तुत किया है, लेकिन मुझ बड़ी खुशी है कि आज उन्होंने इस विधेयक को मासूम नहीं कहा है....

श्री अध्यक्ष--

आपको नहीं कहा मासूम, इसलिए आप नाराज हैं ?

श्री त्रिवेणी सहाय--

लेकिन आज इस विधेयक के जरिये क्या होने जा रहा है वह भी आप देख लें। सरकार ने इसके लिए आज अच्छा दिन भी चुना है क्योंकि आज इक्साइज का बजट भी था और लोग शराब पीकर नशे में भी आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा खतरा हो तो आप इसे पास करें।

(हंसी)

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, इस मासूम बिल के जरिये २४ लाख परिवारों की गर्दन कसी होगी और जो उत्तर प्रदेश में बेचारे मिल मालिक ह--मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूं, उनकी मिलों की मरम्मत, नवीनीकरण के लिए आप साधन जुटा रहे हैं। जिस समय बजट पेश हुआ है और आपन बजट भाषण छापा और मुझे पढ़ने का मौका मिला, उसी दिन म समझ गया था, क्योंकि जग्लरी में नारायण दत्त जी बड़े कुशल हैं। जितने करोड़ का घाटा बजट में हुआ है, उसके बारे में मीठे-मीठे शब्दों में बोलकर छुरी चलाने का काम माननीय मन्त्री जी कर रहे हैं। ३० करोड़ रुपया विकास कर के जरिए वसूल कर लिया है। इनके बजट भाषण का जो ३२वां पेज है, उसमें लिखा है--' यद्यपि उत्तर प्रदेश प्रमुख गन्ना उत्पादन क्षत्रों में से एक क्षत्र है, किन्तु इस प्रदेश में गन्न का प्रति एकड़ उत्पादन देश के अन्य राज्यों खासकर महाराष्ट्र और तामिलनाडु के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए यह आवश्यक है कि गन्न की अच्छी और अधिक उपज वाली किस्मों के अनुसन्धान और विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाय। राज्यों में चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण का भी आवश्यकता है।'' तो इसमें मुख्य दो बातें कही गई हैं। पहली, गन्ने के विकास और अन्वषण के लिए बड़ी आवश्यकता है। यह बात हमको भी पसन्द आई कि भला इस सरकार के कान तो खड़े हुए। लेकिन दुख तब होता है यदि नारायणदत्त तिवारी जी ने इस आदर्श का आदर किया होता। किन्तु यह चाहते हैं कि एक बिल लाकर ४ करोड़ रुपया हम प्रति वर्ष खाते में जमा करें, जो दो मदों पर खर्च किया जायगा--गन्ने के विकास और अनुसन्धानों पर और दूसरे मिलों के नवीनीकरण-माडर्नाइजेशन पर।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

मैं पूछना चाहता हूं, यदि यही आपका मूल उद्देश्य होता कि गन्ने के अनुसन्धान और विकास पर खर्च किया जायगा तो इस बिल के अन्दर जो धारा दी है, इस मूल अधिनियम की धारा (३) का संशोधन किया गया है। उसमें कुछ धाराओं को बढ़ाया गया है। इसलिए कन्सालिडेटेड फंड से निकाल कर दो मदों में जमा करने की बात कही गई है। पहला वह है, जिसमें एक-तिहाई भाग जमा किया जायगा गन्ने के विकास और अनुसन्धान के लिए जमा किया जायगा और दूसरा वह है जो दो-तिहाई भाग मिलों के नवीनीकरण, माडनाईजेशन के लिए खर्च किया जायगा। यदि आप सचमुच किसानों के हमदर्द थे और २४ लाख किसानों के हित की आपको परवाह थी तो यह दो-तिहाई भाग गन्ने के विकास और अनुसन्धान के लिए खर्च किया जाता और शेष एक तिहाई भाग मिल मालिकों को दिया जाता। किन्तु इस सरकार का तो दिमाग औंधा हो गया है। आज से जैसे कुछ साल पहले गन्ना मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जायगा, यह हवा चली थी। हम लोग भी मांग करते रहे और उधर से भी माननीय सदस्य इसकी मांग करते रहे। जनसंघ उसके पक्ष में नहीं था केवल उनके साभाजीकरण के पक्ष में था। और जैसे ही दिल्ली की सत्ता पल्टी, सत्ता पलटने के लिये ही यह आवाज मारी गयी। दिल्ली की सत्ता पलटने के लिये, जैसे अन्तारात्मा की आवाज पलटी कि हम समाजवाद लायेंगे और राजा-महाराजाओं को खत्म कर देंगे। मिलें सब सरकार की हो जायेंगी। बम्बई में आपका अधिवेशन हुआ। वहां कहा गया कि हम चीनी का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। लेकिन सी० बी० गुप्ता महोदय, करने नहीं देना चाहते हैं।

१९७१-७२ के बजट के पहले माननीय नारायण दत्त तिवारी ने भाषण दिया था, यहां पर कहा था कि हमारी सरकार शीघ्रातिशीघ्र इन मिलों का राष्ट्रीयकरण कर देगी। यह घोषणा होती रही और सारे लोगों को आशा हुई कि समाजवादी सरकार तैयार हो गयी है मिलों के ऊपर इनकी तलवार चल जायगी। लेकिन आप ने देखा कि मिलों का राष्ट्रीयकरण का सवाल है वह रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब फिर जो बजट आया था १९७२-७३ में उसमें आपने इतना कह कर छोड़ दिया "जनहित में प्रदेश की व्यक्तिगत स्वामित्व वाली चीनी मिलों के अर्जन संबंधी प्रदेश सरकार की नीति से यह सदन अवगत है।" राष्ट्रीयकरण से उठकर मिलों के अर्जन पर आ गये। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य आंखों से ओझल कर दिया और अर्जन पर आ गये। उसके बाद अब हम इस बात पर आ गये हैं कि ७२-७३ मिले हैं, जो ३५ साल से लगी हुई हैं, जो जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं। उनका नवीनीकरण करना है। इसलिये पैसे की आवश्यकता है। तीन बातें करनी हैं--नवीनीकरण, एस्टेब्लिशमेंट और माडर्नाइजेशन। एक-एक मिल को ठीक करने के लिये, जैसे जरवल के बारे में मालूम है ९५ लाख रुपया लगेगा उसमें आपने खुद कहा कि एक-एक मिल ठीक करने के लिये १५-२० लाख रुपया जरूर लगेगा। नयी मिलें लगाने की जो आपकी चर्चा है वह केवल दिखाने के लिये है। वास्तविकता यह है कि जो मिलें जीर्णशीर्ण पड़ी हुई हैं उनको पैसा देकर मिल मालिकों को खुश करना है। क्या नयी मिल आप लगा सकेंगे? एक नयी मिल के लगाने में कम से कम ३ करोड़ रुपया खर्च होता है। सरकार ने भी घोषणा की है कि इस प्रदेश में ३० सहकारी मिलें लगने जा रही है। तो ९० करोड़ रुपया चाहिये। ९० करोड़ रुपया आप एक साल के अन्दर कहां से ला सकते हैं। इसके अलावा जो निधि एकत्र करेंगे उसमें से एक तिहाई को आप गन्ना विकास के लिये जमा कर दोगे। जो बच जायगा वह इसमें जमा करोगे। तो निश्चित रूप से ४ करोड़ में से कुछ कम हो जायगा। उसमें कुछ रुपया मार्डनाइजेशन पर, कुछ नवीनीकरण पर और कुछ एस्टैब्लिशमेंट पर लगेगा। जो आप का स्वर्णि स्वप्न था कि सात मिलें खुलेंगी, आवश्यकता इस बात की है कि कई अरब रूपया चाहिये वह कहां से आयेगा?

दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि मेरा प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव इसीलिये है कि माननीय सदस्य बैठ कर सोचें, सभी लोग किसान हैं, क्या गन्ना उत्पादक को चाहते हैं, क्या इस बात की छूट देंगे कि आप का पैसा एक तिहाई उस फंड में जमा होंने देंगे आप ? मिल मालिक के फंड में दो तिहाई रुपया जमा होगा। इसकी आप इजाजत देंगे। कभी नहीं देंगे। गन्ना उत्पादक आज अपनी समस्या में कितना उलझा हुआ है इसको सब लोग जानते हैं। आज गन्ना किसान के लिये गन्ने की समस्या बड़ी भारी है। सबसे बड़ा उद्योग गन्ने का है। इसी आधार पर हमें इसको लेना चाहिये था। पहले गन्ने का विकास, फिर गन्ना उत्पादक और तब मिल मालिक आना चाहिये था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है बल्कि उल्टा हुआ है। आपने जो कमेटी बनाई है। उसमें गन्ना किसान का कहीं नाम नहीं है। उसका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिये था। हमारे तिवारी जी कहते हैं कि गन्ना किसान के हित की बात हो रही है। जो गन्ना उत्पादक हैं, गन्ना पैदा करता है उसके प्रतिनिधि को आपने नहीं रखा है। अगर आप केन फेडरेशन के अध्यक्ष को रख लेते तब भी बात समझ में आती और हम आपकी भावना का आदर करते, लेकिन आप दूर चले गये। आपकी दृष्टि अलग है। आप चाहते हैं कि पहले मिल ठीक होनी चाहिये।

मैं आपस कहना चाहता हूं कि इस बिल के विरोध करने की किसी की क्षमता नहीं हो सकती है। गन्ना विकास का कोई सदस्य विरोध नहीं कर सकता है और चीनी मिलों का भी नवीनीकरण होना चाहिये। इससे कोई भाग नहीं सकता है। जो कर लगा है यह मिल मालिकों पर है या किसानों के ऊपर है। आप कहेंगे कि यह कर किसानों के ऊपर नहीं है लेकिन यह सीधे सीधे किसानों पर ही है। आप कह देंगे कि चीनी का दाम बढ़ जायेगा। १९६७ में क्या दाम थे ? १ रुपया ६० पैसा किलो। उस समय आपने मिल मालिकों को छूट दी कि १ रुपया ९५ पैसे किलो बेंचे। आज भी आपने छूट दे दी है। ७० परसेंट कंट्रोल से बिकेगी और ३० परसेंट मिल मालिक मनमाने दाम पर बेचता है। ३९५ रुपये क्विंटल मिल मालिक चीनी बेच रहा है। आपने ऐसा क्यों किया ? मिल मालिक फायदा उठा रहा है और जनता को चीनी ब्लैक से मिल रही है। सरकार ने २०० रुपये क्विंटल से चीनी खरीदी। लेकिन गन्ने का दाम कितना बढ़ा। १९६७ में जैसा कि बाबूलाल जी ने कहा कि उस समय हिम्मत सिंह जी मिनिस्टर थे, गन्ना पेरा गया, लोगों को भुगतान दिया गया। फिर भी घाटा नहीं आया। लेकिन क्या आज गन्ने का भाव १२ रुपये क्विंटल वाजिब है। कभी नहीं। जो सिद्धान्त तैयार किया गया था कि जितने रुपये मन शकर बिकेगी उतने ही आने मन गन्ना बिकेगा। वह सिद्धान्त कहां गया ? गन्ने के विकास के बारे में सोचना चाहिये ? आपने एक बात और कर दी पहले ६७ पैसे टैक्स था लेकिन आपने अब एक रुपया कर दिया है। (किसी सदस्य के कुछ कहने पर) कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में १ रुपया हो गया। मान्यवर, मैंने ५२ की प्रोसीडिंग्स पढ़ी हैं। ५३, ५४, ६२ और ६४ की पढ़ लें। माननीय गेंदा सिंह जी यहां पर बैठते थे आज वह पार्लियामेंट में चले गये हैं और माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है। इसके आंकड़े अगर आप चाहेंगे तो दिखा दूंगा मेरे पास हैं। लेकिन हमारा इसे प्रवर समिति में भेजने का अनुरोध क्यों है। २–३ पैसा इसमें जमा हो गया या उसमें जमा हो, १ रुपया लगाया जाये या कम लगाया जाये। लेकिन नहीं। सरकार की आदत है। भाई कोई बिल ला दो। सब लोग हाथ उठा दो। पास हो जायेगा। आज आप कठिनाई में पड़ जायेंगे। यह सरकार हमसे बुरा काम करवा रही है। इससे हम कह रहे हैं।

दूसरी चीज आप देखें। आप कहते हैं कि गन्ने की पैदावार उसका क्षेत्रफल और चीनी का उत्पादन यह भी देखें। गन्ने का क्षेत्रफल १९६९–७० में १०.४६ लाख हेक्टर, १९७०–७१ में १०.७८ लाख हेक्टर, १९७१–७२ में ९.५५ लाख हेक्टर, १९७२–७३ में १०.३० लाख हेक्टर और १९७३–७४ में १२.९ लाख हेक्टर था। अब मान्यवर, आप देखें कि १९६९–७० में १०.४६ लाख हेक्टर गन्ने का क्षेत्रफल था और १९७३–७४ में बढ़ कर १२.९ लाख हेक्टर हो गया। चीनी का उत्पादन १९६९–७० में १६.२४ लाख मी० टन, १९७०–७१

[श्री त्रिवेणी सहाय]

में १३.०१ लाख मी० टन, १९७१–७२ में ८.३२ लाख मी० टन, १९७२–७३ में १२.३९ लाख मी० टन और १९७३–७४ में १२.२८ लाख मी० टन था। गन्ने का उत्पादन १९६९–७० में ४७४.०९ लाख मी० टन औसत ४५.३ प्रतिशत, १९७०–७१ में ४५८.८५ लाख मी० टन औसत ४२.०६ प्रतिशत, १९७१–७२ में ३८०.०८ लाख मी० टन औसत ४०.५ प्रतिशत, १९७२–७३ में ४७४.४ लाख मी० टन औसत ४६.१० प्रतिशत और १९७३–७४ में ५३३.२८ लाख मी० टन औसत ४४.१ प्रतिशत था।

अब आप देख कि गन्ने की पैदावार १९६९–७० में कम थी और १९७३–७४ में ज्यादा थी, लेकिन चीनी का उत्पादन १९६९–७० में १६.२४ लाख मी० टन था और १९७३–७४ में १२.२८ लाख मी० टन रह गयी। उससे क्या विदित होता है? इससे यह विदित होता है कि १९६९–७० में आज से ज्यादा चीनी पैदा होती थी। आज क्यों ज्यादा क्षेत्रफल में कम चीनी का उत्पादन हो रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आज आपने जो तलवार लटका दी है कि हम राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं। इससे उनको भय है और भय के नाते अब उन्होंने अपना हाथ समेटना शुरू कर दिया है। इसलिये क्या होता है। पैदावार चीनी की अधिक होती है लेकिन चोरी चली जाती है। मेरा भाई रेलवे में है वह मुझे बताता है कि बाजार में जो मिल से चीनी जाती है उसमें एक हजार क्वीन्टल का वैगन होता है तो उसमें १५०० क्वीन्टल भर दिया जाता है। चीनी की पैदावार ज्यादा हुई है। लेकिन आंकड़ों को दिखाया गया है कम। इसलिये दिखाया गया है कि मिलों की क्षमता घट गई है और मिलों को आवश्यकता इस बात की है कि सरकार फिर से नवीनीकरण करे।

आपने गन्ना उत्पादकों को क्या राहत दी? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय तिवारी जी से कि गन्ना उत्पादक को आपने क्या राहत दी? क्या खाद, पानी आपने सस्ती दी? क्या गन्ना के बीज आपने सस्ते दिये? नहीं दिये, बल्कि उसके सामने दूसरे सवाल आज गन्ना के किसानों के सामने हाहाकार मचा हुआ है। किस बात पर हाहाकार मचा हुआ है? वसूल पर। श्रीमन्, अगर किसी गन्ना किसान का २ हजार रुपया बाकी है तो उसका ट्यबवेल खोला जा रहा है। लेकिन, आपसे मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आखिर आज मिल मालिकों के ऊपर कितना पैसा बकाया है प्रदेश के किसानों का? जब माननीय सदस्य विधान सभा में पूछते हैं कि क्या मय ब्याज के रुपया दिलवायेंगे? क्या उनके ऊपर जो बकाया है उसमें मुजरा करायेंगे? तब चुप हो जाते हैं, खामोशी आती है और माननीय अध्यक्ष जी, आप भी सरकार के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाते कि जो पैसा बकाया है सरकार के ऊपर वह हमें मिलना चाहिये मय सूद ब्याज के मिलना चाहिये। नहीं मिलता। क्या होता है, २ हजार के लिये वह किसान बन्द कर दिया जाता है। दो हजार के के लिये उसके बैल खोल दिये जाते हैं। दो हजार के लिये वह दरदर मारा मारा हर एम० एल० ए० के घर घूमता है, तब वह रुकता पाता है और मिल मालिक क्या करते हैं, उनके ऊपर ३५ लाख रु० बाकी है, १६ लाख रु० बाकी है, लगभग ५ करोड़ रुपये से लेकर ७ करोड़ रुपये तक गन्ना उत्पादकों का मिल मालिकों पर बाकी है, बल्कि और होगा २१–२२ करोड़ होगा या २२–२३ करोड़ होगा जो किसानों का है, वह क्या मिल मालिकों के बाप का है। उसको वसूलने में आपको क्यों दया आती है? कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नोटिस दे दिया है। ऐसा मालूम होता है कि तीर मार दिया।

श्री अध्यक्ष––

माननीय सदस्य को आधा घंटा हो गया। कितना समय और लेंगे?

श्री त्रिवेणी सहाय––

बस अभी दो मिनट में खत्म कर दूंगा।

जैसा मैं ने कहा था कि श्रीमन्, एब्री ब्रेन नो डाउट, लेकिन ब्रेन ही राय अंग्रेजों के जमाने में श्रीमन् राय बहादुर हुआ करते थे। राय बहादुर शराब पीकर आये थे। बीबी ने पछा कहां से आ रहे हो ? तो उन्होंने कहा कि मैं लड़ाई के मैदान से आ रहा हूं। बीबी ने पछा क्या किया ? आपने कहा यह मारा वह मारा, सैकड़ों पर काट डाले। तो यह बहादुर लोगों का काम है श्रीमन्। इनकी बहादुरी इसमें है कि अगर २ बोरे गेहूं कोई ले जा रहा है, एक पीपा तेल अगर कोई ले जा रहा है या किसी गन्ना उत्पादक के ऊपर २,००० रुपया बकाया है तो उसके लिये जेल का दरवाजा है। मगर कपूर साहब ने जमीन ली तो जुर्म लेकिन अगर इंदिरा गांधी का पुत्र हरियाणा में जमीन ले ले तो कोई बात नहीं है। श्रीमन्, इनकी जो व्यवस्था है, उसके लिये आपसे प्रार्थना है कि आप तिवारी जी को समझा दें क्योंकि ये कोई बात हमारी नहीं मानते हैं। इसलिये मैं कहता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि यह बहुत ही महत्वपर्ण बिल है और इस पर जो मेरा प्रस्ताव है, आप सब उसका समर्थन करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी की तारीफ करता हूं और वह इसलिये करता हूं कि इन्होंने उन प्रश्नों को पहले रखा जिनका विरोध हो सकता था और जिस प्रश्नों को स्वीकार कर सकते थे, उसक बाद में इस लिये कहा था ताकि सभी सदस्यों के दिमाग पर यह असर पड़ कि गन्न के उत्पादकों और इस प्रदेश के हित में यह टैक्स बढ़ाने का काम या इस बिल को लाने का काम किया है।मैं केवल इतनी बात उनसे पूछना चाहता हूं कि यह जो पैसा लिया जा रहा है किसानों से क्या कभी आप के मन में यह नहीं आया कि पैसा तो लगाया जायगा किसानों पर और लाभ जो होगा वह होगा मिल मालिकों का क्योंकि इससे मिलों का जीर्णोद्धार होगा। ये सारी जितनी मिल हैं, जावा से लाकर पुरानी लगायी गयीं हैं, उसकी मरम्मत आज तक नहीं की गयी है और पूरा शोष मढ़ा जा रहा है किसानों पर कि यदि यह मिल अच्छी होती तो रिकवरी अच्छी होती। गन्ना उत्पादक भी उसक लिये जिम्मेदार जिसक लिये मिल मालिक गुनाह करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं एक बात बता दूं कि परचेज टैक्स का भार किसानों पर नहीं पड़ता, यह तो चीनी के प्रति बोरे पर पड़ता है। चीनी के प्रति बोरे की कास्ट पर जाता है जो कि सारे भारत में जाती है और एक्सपोर्ट भी होती है। उत्तर प्रदेश में १३ लाख टन चीनी पैदा होती है जिसमें से ३ लाख टन तो उत्तर प्रदेश में कन्ज्युम होती है और शेष बाहर जाती है। तो परचेज टैक्स प्रति बोरे पर होता है।

श्री मधुकर दिघे—

माननीय मंत्री जी का यह कहना सही हो सकता है कि यह चीनी के प्रति बोरे पर पड़ता है लेकिन यह भार या तो गन्ना उत्पादक पर पड़ेगा या उपभोक्ता पर। इस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर यह भी मान लिया जाय कि यह टैक्स आप चीनी के प्रति बोरे पर लगा ही रहे हैं, फिर भी यह टैक्स उपभोक्ता पर तो अवश्य ही पड़ेगा क्योंकि जब आप टैक्स लगाते है तो वह चीनी क उपभोक्ता पर पड़ेगा तो क्या ये लोग इसमें पैसा दे रहे हैं, या जो जीर्णोद्धार के लिये देंगे उनका उपयोग मिलों की मशिनरी को ठीक करने, उनके एस्टेब्लिशमेंट पर या अन्य कामों पर जब आप खर्च करेंगे तो क्या आप उपभोक्ता का हिस्सा इन जीर्णोद्धार किये हुये मिलों पर इस बिल के द्वारा करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस बिल में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। जब आप यह पैसा खर्च करेंगे तो उसमें जो मिल के मजदूर है, गांव के किसान हैं या चीनी के उपभोक्ता है उनके नुमाइन्दे वहां हैं ? आप देखगे कि इस बिल में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है

[श्री मधुकर दिघे]

मेरा यह कहना है कि जब भार्गवा कमेटी की रिपोर्ट आ गयी, उसने चीनी मिलों के संबंध में स्थिति का विश्लेषण करके रख दिया, उनके संबंध में क्या करना चाहिये, यह बतला दिया तो फिर इन चीनी मिलों का जीर्णोद्धार करना एक खतरनाक काम है, जैसा कि हम चिल्लाते हैं कि पिपराइच की चीनी मिल अब समाप्त होनी चाहती है। अगर उसको मिल मालिक चलाये या आप चलायें या बुढ़वल मिल को आप चलायें या मिल मालिक चलायें तो उसमें आज प्रदेश के, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों के प्रश्न हैं, लाखों लोगों की जिन्दगी लगी है। यह सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इन चीनी मिलों का जीर्णोद्धार करके आगे आने वाले वर्षों में आप उनको चला सकते हैं ?

अभी तक जितनी कमीशन की रिपोर्ट आयी हैं, विद्वानों, टेक्नालाजिस्टों ने राय दी है, उन को देखने के बाद आप देखेंगे कि इसमें पैसा लगाने के बाद वह स्थिति पैदा नहीं कर सकते हैं जिसका इरादा है। आपका इरादा अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप किसानों का, उपभोक्ताओं का पैसा लेकर इन चीनी मिलों का जीर्णोद्धार करन लायक नहीं रह गये हैं। इसीलिये जिस स्थिति के लिये पहले इरादा किया था कि इन सारी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे उससे आप धीरे धीरे खिसक गये, उसकी ओर पुनः संकल्प के साथ आपको बढ़ना चाहिये, इन चीनी मिलों के अधिग्रहण करने का काम आपको करना चाहिये। इसको लगाने के लिये रुपया चाहिये, चाहे वह किसानों का हो या उपभोक्ताओं का हो, वह आप उस रुपये से जीर्णोद्धार का काम नहीं कर सकते हो। इसलिए आप से और इस सदन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इन सभी बातों पर विचार नहीं कर लेते, इन सभी पहलुओं को नहीं देख लेते तब तक आप इस ६७ पैसे से सौ पैसे बढ़ाने का जो काम आप कर रहे हैं, जो प्राविधान रख रहे हैं उसको कामयाबी के साथ कर नहीं सकते हो। इस लिए मैं त्रिवेणी सहाय जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि डेवलपमेंट के सिलसिले में भी जो पैसा टैक्स के रूप में पहले लेते रहे हो यह आपने गन्ने के उत्पादन के संबंध में, गन्ना उत्पादकों के संबंध में, अनुसंधान के संबंध में जो इस्तेमाल किया है, रुपया लगाया है उसका सदुपयोग अभी तक नहीं हुआ है यह कहना चाहता हूं कि और इसलिए इन सभी पहलुओं पर जब तक विचार नहीं हो जाता तब तक, आप यह स्वीकार करने के लिए हमें मजबूर करें, यह उचित नहीं है।

आपके कमरे में आकर भी मैंने कहा था कि पूर्व के चीनी मिलों के मामले में आपको बहुत ठंढे दिल से विचार करना चाहिये। गन्ना उत्पादकों का इतना बकाया है जैसा कि सुबह एक सवाल के उत्तर में मुझे बताया कि १ करोड़ ५८ लाख केवल गोरखपुर, देवरिया में बकाया है। आप उनका पैसा नहीं देते हो उस पर इंटरेस्ट देने के लिये भी तैयार नहीं हो, पैसा बकाया है तो वह कब मिलेगा--कोई निश्चित बात बताना नहीं चाहते हो। यह कह दिया जाता है कि जब पैसा मिलेगा तब भुगतान करेंगे। अगर मिल मालिकों पर जबरदस्ती नहीं करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थिति में मैं आपसे कहूंगा कि आप इस पर पुनः विचार करने के लिये इसको प्रवर समिति में भेजेंगे और इस संबंध में जो प्रस्ताव है उसको आप स्वीकार करें। उस के बाद ही हम इन सब पहलुओं पर विचार करके सही राय कायम कर सकेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय त्रिवेणी सहाय जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब ६ बज गये हैं। क्या अभी और एक, दो घंटा बैठना चाहेंगे ? तीन दिन एक-एक घंटा बैठने के लिये कहा था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

जैसा कहा था वैसा कीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

तो फिर अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया । )

लखनऊः

१५ जुलाई, १९७४ ।

सत्यप्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

---

विधान सभा

## नत्थी "क"

[देखिये नियम २९ (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४४ पर]

### विधायकों के नाम जिन्हें १ मार्च १९७४ से १५ जून, १९७४ तक की अवधि म नये राशन कार्ड जारी किये गये हैं

| क्रम-संख्या | विधायक का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| १ | श्री भगवती प्रसाद वर्मा | एम० एल० ए० |
| २ | श्री सत्यपाल मलिक | ,, |
| ३ | श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायन | ,, |
| ४ | श्री एच० के० श्रीवास्तव | एल०एल०सी० |
| ५ | श्री महाबीर प्रसाद | एम० एल० ए० |
| ६ | श्री हुकुम सिंह | ,, |
| ७ | श्री चितरंजन स्वरूप | ,, |
| ८ | श्री छज्जू सिंह | ,, |
| ९ | श्री दशरथ सिंह | ,, |
| १० | श्री रामपति | ,, |
| ११ | श्री मलिक मोहम्मद | ,, |
| १२ | श्री फजरुल रहमान | ,, |
| १३ | श्री गिरजा शंकर | ,, |
| १४ | श्री जयराम गौतम | ,, |
| १५ | श्री अब्दुल वहीद | ,, |
| १६ | श्री राज पाल सिंह | ,, |
| १७ | श्री धर्मराम | ,, |
| १८ | श्री राघवेन्द्र सिंह | ,, |
| १९ | श्री भूप सिंह केन | ,, |
| २० | श्री लटूरी सिंह | ,, |
| २१ | श्री राजेन्द्र सिंह यादव | ,, |
| २२ | श्री फरजन्द अली | ,, |
| २३ | श्री राजेन्द्र सिंह | ,, |
| २४ | श्री राम प्रकाश यादव | ,, |
| २५ | श्री जाफर आजमी | ,, |
| २६ | श्री देव कुमार यादव | ,, |
| २७ | श्री रघुनाथ राय | ,, |
| २८ | श्री बेचन राम | ,, |
| २९ | श्री धर्म चन्द्र मिश्रा | ,, |
| ३० | श्री मुल्तान सिंह | ,, |
| ३१ | श्री बाबू सिंह | ,, |
| ३२ | श्री झिलमिट | ,, |
| ३३ | श्री रघुबीर राम | ,, |

| क्रम संख्या | विधायक का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| ३४ | श्री मंगरे सिंह .. .. .. | एम० एल० ए० |
| ३५ | श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता .. .. .. | ,, |
| ३६ | श्री रामेश्वर नाथ चौबे .. .. .. | ,, |
| ३७ | श्री कबूल सिंह .. .. .. | ,, |
| ३८ | श्री शाह अब्दुल फज .. .. .. | ,, |
| ३९ | श्री अब्दल बाकी .. .. .. | ,, |
| ४० | श्री एच० एम० हयात .. .. .. | ,, |
| ४१ | श्री रफी खां .. .. .. | ,, |
| ४२ | श्री राम प्रकाश त्रिपाठी .. .. .. | ,, |
| ४३ | श्री हेम राज .. .. .. | ,, |
| ४४ | श्री जुगल किशोर .. .. .. | ,, |
| ४५ | श्री झाम लाल अहिरवार .. .. .. | ,, |
| ४६ | श्री अवधेश कुमार .. .. .. | ,, |
| ४७ | श्री अम्बिका प्रसाद .. .. .. | ,, |
| ४८ | श्री धीरेन्द्र सहाय .. .. .. | ,, |
| ४९ | श्री धर्मपाल सिंह .. .. .. | ,, |
| ५० | श्री नाथू राम .. .. .. | ,, |
| ५१ | श्री शिव सम्पत राम .. .. .. | ,, |
| ५२ | श्री मनियार खां .. .. .. | ,, |
| ५३ | श्री अठई राम .. .. .. | ,, |
| ५४ | श्री बैजनाथ प्रसाद .. .. .. | ,, |
| ५५ | श्री हर प्रताप सिंह .. .. .. | ,, |
| ५६ | श्री राम सञ्जावन .. .. .. | ,, |
| ५७ | श्री सत्यवीर .. .. .. | ,, |
| ५८ | श्री मन्ना लाल .. .. .. | ,, |
| ५९ | श्री सत्य प्रकाश मालवीय .. .. .. | ,, |
| ६० | श्री दुर्योधन प्रसाद .. .. .. | ,, |
| ६१ | श्री उदल सिंह .. .. .. | ,, |
| ६२ | श्री राम जन्म राय .. .. .. | ,, |
| ६३ | श्री मूलचन्द .. .. .. | ,, |
| ६४ | श्रीमती सुखदा मिश्रा .. .. .. | ,, |
| ६५ | श्रीमती राम रती देवी .. .. .. | ,, |
| ६६ | श्री जंग बहादुर .. .. .. | ,, |
| ६७ | श्री ब्रह्मदत्त .. .. .. | एम० एल० सी० |
| ६८ | श्री रामदयाल सिंह प्रधान .. .. .. | एम० एल० ए० |
| ६९ | श्री लक्ष्मी नारायन पांडे .. .. .. | ,, |
| ७० | श्री भगवती चरन निर्मोही .. .. .. | ,, |
| ७१ | श्री रामजी सिंह .. .. .. | ,, |
| ७२ | श्री सुखन सिंह .. .. .. | ,, |
| ७३ | श्री जगदीश नारायन त्रिपाठी .. .. .. | ,, |

| क्रम-संख्या | विधायक का नाम | | | | पदनाम |
|---|---|---|---|---|---|
| ७४ | श्री कुंवर बहादुर मिश्रा | .. | .. | .. | एम० एल० ए० |
| ७५ | श्री दीनानाथ सेवक | .. | .. | .. | ,, |
| ७६ | श्री हर केवल प्रसाद | .. | .. | .. | ,, |
| ७७ | श्री कृष्णा राय | .. | .. | .. | ,, |
| ७८ | श्री दल सिंह यादव | .. | .. | .. | ,, |
| ७९ | श्री वीर सिंह यादव | .. | .. | .. | ,, |
| ८० | श्री आनन्द स्वरूप यादव | .. | .. | .. | ,, |
| ८१ | श्री मोहम्मद अयूब | .. | .. | .. | ,, |
| ८२ | श्री रणधीर सिंह | .. | .. | .. | ,, |
| ८३ | श्री जंग बहादुर वर्मा | .. | .. | .. | ,, |
| ८४ | श्री रामदेव यादव | .. | .. | .. | ,, |
| ८५ | श्री भीखा लाल | .. | .. | .. | ,, |
| ८६ | श्री शारदा प्रसाद रावत | .. | .. | .. | ,, |
| ८७ | श्री अब्दुल रऊफ अंसारी | .. | .. | .. | ,, |
| ८८ | श्री माखन लाल | .. | .. | .. | ,, |
| ८९ | श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता | .. | .. | .. | ,, |
| ९० | श्री संत सिंह युसूफ | .. | .. | .. | ,, |
| ९१ | श्री गिरिजा किशोर मिश्रा | .. | .. | .. | ,, |
| ९२ | श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला | .. | .. | .. | ,, |
| ९३ | श्री प्यारे लाल वर्मा | .. | .. | .. | ,, |
| ९४ | श्री शिव कैलास | .. | .. | .. | ,, |
| ९५ | श्री जंग बहादुर सिंह पटेल | .. | .. | .. | ,, |
| ९६ | श्री बांके लाल | .. | .. | .. | ,, |
| ९७ | श्री राम सेवक यादव | .. | .. | .. | ,, |
| ९८ | श्री अदल सिंह | .. | .. | .. | ,, |
| ९९ | श्री सत्यपाल सिंह | .. | .. | .. | ,, |
| १०० | श्री रामजी लाल | .. | .. | .. | ,, |
| १०१ | श्री सलाउद्दीन | .. | .. | .. | ,, |
| १०२ | श्री जागेश्वर जी | .. | .. | .. | ,, |
| १०३ | श्री रघुराज सिंह | .. | .. | .. | ,, |
| १०४ | श्री भीष्म प्रसाद | .. | .. | .. | ,, |
| १०५ | श्री सुल्तान सिंह | .. | .. | .. | ,, |
| १०६ | श्री शिव प्रसाद | .. | .. | .. | ,, |
| १०७ | श्री गोपी नाथ | .. | .. | .. | ,, |
| १०८ | श्री कैप्टन राम गरीब | .. | .. | .. | ,, |
| १०९ | श्री अजीत सिंह | .. | .. | .. | ,, |
| ११० | श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप | .. | .. | .. | ,, |
| १११ | श्री राम समुझ तिवारी | .. | .. | .. | ,, |
| ११२ | श्री तीर्थ राम कोहली | .. | .. | .. | ,, |
| ११३ | श्री प्रभु दयाल | .. | .. | .. | ,, |

| क्रम संख्या | विधायक का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| ११४ | श्री सच्चिदानन्द | एम० एल० ए० |
| ११५ | श्री रफीउल्ला | ,, |
| ११६ | श्री मोहम्मद मसूद | ,, |
| ११७ | श्री बाल कृष्ण | ,, |
| ११८ | श्री राधा चरन सिंह | ,, |
| ११९ | श्री रघुराज सिंह | ,, |
| १२० | श्री गया प्रसाद | ,, |
| १२१ | श्री कैलाश सिंह | ,, |
| १२२ | श्री राम हर्ष चौधरी | ,, |
| १२३ | श्री गुलाब मेहरा | ,, |
| १२४ | श्री शिव चरन लाल | ,, |
| १२५ | श्री मंगी लाल | ,, |
| १२६ | श्री श्याम विहारी सिंह | ,, |
| १२७ | श्री सुखद राज सिंह | ,, |
| १२८ | श्रीमती श्याम देवी | ,, |
| १२९ | श्री कमला प्रसाद वर्मा | ,, |
| १३० | श्री दयाराम भास्कर | ,, |
| १३१ | श्री बादाम सिंह | ,, |
| १३२ | श्री बृज पाल सिंह | ,, |
| १३३ | श्री राम अधार राय | ,, |
| १३४ | श्री गौरी शंकर | ,, |
| १३५ | श्री मलखान सिंह | ,, |
| १३६ | श्रीमती दुलारी देवी | ,, |
| १३७ | श्री शफीकुर्रहमान | ,, |
| १३८ | श्री राम स्वरूप भारतीय | ,, |
| १३९ | श्री बाबा राम नाथ | ,, |
| १४० | श्रीमती चम्पा देवी | ,, |
| १४१ | श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा | ,, |
| १४२ | श्री जगन्नाथ सिंह परमार | ,, |
| १४३ | श्री भारत सिंह | ,, |
| १४४ | श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा | ,, |
| १४५ | श्री श्याम मिश्रा | ,, |
| १४६ | श्री अनुवार मोहम्मद | ,, |
| १४७ | श्री पुत्तू लाल | एम० एल० सी० |
| १४८ | श्री दधीच सिंह | एम० एल० ए० |
| १४९ | श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान | ,, |
| १५० | श्री पूरन लाल | ,, |
| १५१ | श्री काशी प्रसाद | ,, |
| १५२ | श्री इन्द्र पाल सिंह | ,, |
| १५३ | श्री नजीर अहमद | ,, |

| क्रम-संख्या | विधायक का नाम | | | | पदनाम |
|---|---|---|---|---|---|
| १५४ | श्री विमल प्रसाद तिवारी | .. | .. | .. | एम० एल० ए० |
| १५५ | श्री राज बहादुर | .. | .. | .. | ,, |
| १५६ | सरदार कुलतार सिंह | .. | .. | .. | ,, |
| १५७ | श्री हुब राज | .. | .. | .. | ,, |
| १५८ | श्री राम रेखा यादव | .. | .. | .. | ,, |
| १५९ | श्री देवी सिंह | .. | .. | .. | ,, |
| १६० | श्री बीर सिंह | .. | .. | .. | ,, |
| १६१ | श्री सोहन लाल | .. | .. | .. | ,, |
| १६२ | श्री कृपा शंकर आर्य | .. | .. | .. | ,, |
| १६३ | श्री राम अवतार दीक्षित | .. | .. | .. | एम० एल० सी० |
| १६४ | श्री रेवती रमन सिंह | .. | .. | .. | एम० एल० ए० |
| १६५ | श्री गंजी प्रसाद | .. | .. | .. | ,, |
| १६६ | श्री अंगने लाल | .. | .. | .. | ,, |
| १६७ | श्री नन्द राम सिंह | .. | .. | .. | ,, |
| १६८ | श्री जंग बहादुर सिंह | .. | .. | .. | ,, |
| १६९ | चौधरी विक्रम सिंह | .. | .. | .. | ,, |
| १७० | श्री मेघनाथ सिंह | .. | .. | .. | ,, |
| १७१ | श्री दीप नरायन पाण्डे | .. | .. | .. | ,, |
| १७२ | श्री काशीनाथ मिश्र | .. | .. | .. | ,, |
| १७३ | श्री लक्ष्मण सिंह | .. | .. | .. | ,, |
| १७४ | श्री चन्द नरायन सिंह | .. | .. | .. | ,, |
| १७५ | श्री अनरुद्ध राय | .. | .. | .. | ,, |
| १७६ | श्री राम लखन | .. | .. | .. | ,, |
| १७७ | श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र | .. | .. | .. | ,, |
| १७८ | श्री रघुनाथ सिंह | .. | .. | .. | ,, |

# नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५८ पर)

## सूची

| क्र०-सं० | नाम बाकीदार | बकाया धनराशि | वसूली के लिये की गई कार्यवाही |
|---|---|---|---|
| | | रु० | |
| १ | मेसर्स किशन लाल महंगा सिंह | १,२०,०००.०० | वसूली की कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्पेशल लीव टु अपील संख्या १५१०/७३ के कारण स्थगित थी। शासन की पैरवी से उक्त अपील खारिज हो गई है और वसूली की कार्यवाही के आदेश जिलाधिकारी को दे दिये गये हैं। |
| २ | श्री सरदार सिंह | २४,०००.०० | सिविल वाद संख्या १५४/६९ के द्वारा वसूली स्थगित है। |
| ३ | श्री किरन देव | ४,०५०.०० | रिकवरी सर्टिफिकेट मालगुजारी की तरह वसूल करने के लिये संबंधित तहसीलदार को भेज दिया गया है और उनके द्वारा वसूली की कार्यवाही जारी है। |
| ४ | श्री कृपा शंकर अवस्थी | १,२५०.०० | तदैव |
| ५ | श्री ओम प्रकाश | ३,०००.०० | तदैव |
| ६ | श्री महेन्द्र प्रकाश सिंह | २६८.०० | तदैव |
| ७ | श्री बैज नाथ द्विवेदी | ३,६६४.०० | तदैव |
| ८ | श्री हीरा लाल | ३,७५०.०० | तदैव |
| ९ | श्री शिव कुमारी सरन गर्ग | ४,६७२.०० | तदैव |
| १० | श्री किशन लाल | ८७६.०० | तदैव |
| ११ | श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया | १,३१६.०० | तदैव |
| १२ | श्री कृपा शंकर अवस्थी | २,४९९.०० | तदैव |
| | योग | १,६९,३४५.०० | |

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--१२१ वि० सभा--(१५४९)१९६५-८३५।